लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड २५, १९५९/१८८० (शक)

[९ से २० फरवरी १९५९/२० माघ से १ फाल्गुन १८८० (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

vation Unit
8-8-12
nigated
Parliament Library

सातवां सत्र, १९५९/१८८० (शक)

(खण्ड २५ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खण्ड २५, अंक १ से १०—९ फरवरी से २० फरवरी, १९५९/२० माघ से १ फाल्गुन, १८८० (शक)]

पृष्ठ

अंक १—सोमवार, ९ फरवरी, १९५९/२० माघ, १८८० (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १

श्री ठाकुर दास मल्होत्रा, श्री रानेन्द्र नाथ बसु तथा श्री विट्ठल नारायण चन्दावरकर का निधन १

राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा-पटल पर रखा गया . . २—९

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . . ९—१०

संसदीय समितियां—कार्य सारांश १०

स्थगन प्रस्तावों के बारे में १०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . . १०—१२, १४

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक—

(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन १३

(२) संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य १३

लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक—

(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन १३

(२) संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य १३

विशेषाधिकार समिति—

प्रतिवेदन के उपस्थापन के समय का बढ़ाया जाना . . १३—१४

भारतीय आय-कर (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित . . १४

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १५—१८

अंक २—मंगलवार, १० फरवरी, १९५९/२१ माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ९ और १२ से १८ . . . १९—४२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . ४२—४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०, ११ और १९ से ५१ . . ४५—५९

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ७, ९, ११ से ४४ और ४६ से ५२ ५९—८०

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि . . ८०-८१

स्थगन प्रस्ताव—

रजा तथा बुलन्द शुगर मिल्स, रामपुर में ताला बन्दी . ८१–८२

विशेषाधिकार-भंग संबंधी प्रस्ताव—

श्री एम० ओ० मथाई द्वारा कही गई बातें . . . ८२—९५

सभा-पटल पर रखेगये पत्र . . . ९५–९६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

खाद्यान्नों के मूल्य . . . . ९६—९९

दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक— १००—३७

विचार करने का प्रस्ताव . . . . १००—३१

खण्ड २ से ४, ७ से १९, १८ क, ५, ६, २० तथा १ और अधिनियमन सूत्र १३१—३७

पारित करने का प्रस्ताव . १३७

कार्य मंत्रणा समिति—

चौतीसवां प्रतिवेदन . १३८

दैनिक संक्षेपिका . १३९—४५

अंक ३—बुधवार, ११ फरवरी, १९५९/२२ माघ, १८८० (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण १४७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५२ से ५६, ५८ से ६२ और ६४ . १४७—६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३, ६५ से ९८, १०० से १०७ और १०९ से १२८ १६९—९७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३ से ७३, ७५ से १०४ और १०६ से १३४ . १९७—२३८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . २३९

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौतीसवां प्रतिवेदन . २३९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों की हड़ताल २३९–४०

कार्य मंत्रणा समिति—

चौंतीसवा प्रतिवेदन . २४०

दिल्ली पंचायत राज (संशोधन) विधेयक २४०—७५

विचार करने का प्रस्ताव . . २४०—७३

खण्ड २ से २९, नया खण्ड ३० और खण्ड १ २७३—७५

पृष्ठ

पारित करने का प्रस्ताव . . २७५

फार्मेसी (संशोधन) विधेयक . . . . २७५—८४

विचार करने का प्रस्ताव . . २७५—८२

खण्ड २ से १०, ११ से १४ तथा खण्ड १ २८३—८४

पारित करने का प्रस्ताव २८४

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक . २८४—८६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २८७—९३

अंक ४—गुरुवार, १२ फरवरी, १९५९/२३ माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १३७, १४० और १४२ से १४७ . २९५—३१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९, १४१, १४९ से १५५ और १५७ से १९१ . ३१९—३९

अतारांकित प्रश्न संख्या १३५ से १६५, १६७ से २०२, २०४, २०५, २०७ से २१०, २१२ से २२४ और २२६ से २२८ . ३३९—७५

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

चीनी मिलों में तालाबन्दी . . ३७५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ३७५—७८

विधेयक पर राय . . . ३७८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

रेलवे कर्मचारियों की मृत्यु ३७८—८०

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक . ३८०—४२८

विचार करने का प्रस्ताव . . . ३८०—४१८

खण्ड २ से ४, ६ से १२, ५ और १ तथा अधिनियमन सूत्र . ४१८—२३

पारित करने का प्रस्ताव . . . . ४२३—२८

दैनिक संक्षेपिका . . . . ४२९—३६

अंक ५—शुक्रवार, १३ फरवरी, १९५९/२४ माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९२ से १९६, १९८ से २०० और २०२ से २०४ ४३७—५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०५ से २२६, २२८ से २४१ और २४४ से २५२ ४५९—७९

अतारांकित प्रश्न संख्या २२९ से २३५, २३७ से २३९ और २४१ से २७६ ४७९—९८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४९९

पृष्ठ

प्राक्कलन समिति----
छत्तीसवां प्रतिवेदन ४९९

फिल्म उद्योग के बारे में वक्तव्य---सभा-पटल पर रखा गया . . ५००

चिनाकुरी खान-दुर्घटना पर चर्चा के बारे में . . ५००

सभा का कार्य . . . ५००--०१

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . ५०१--३४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
चौतीसवां प्रतिवेदन ५३४-३५

देश के सभी लोक-सेवा आयोगों पर केन्द्रीय नियंत्रण के बारे में संकल्प . ५३६—५१

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अंतरिम सहायता की दूसरी किस्त देने के बारे में संकल्प . ५५२-५३

दैनिक संक्षेपिका . . ४५४--५९

अंक ६—सोमवार, १६ फरवरी, १९५९/२७ माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर-

तारांकित प्रश्न संख्या २५३ से २६०, २६२, २६४ से २६८, २७० २७१, २७३ से २७५, २७७ और २८१ ५६१--८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६१, २६३, २६९, २७२, २७६, २७८ से २८०, २८२ से ३०१ और ३०३ से ३१० . . . ५८८--६०५

अतारांकित प्रश्न संख्या २७७ से ३२२, ३२४ से ३५९ और ३६१ से ३६९ ६०५--४५

रामपुर की चीनी मिलों में हड़ताल के बारे में ६४५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ६४५--४८

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक के बारे में याचिका . . ६४८-४९

तारांकित प्रश्न संख्या ६४४ के अनुपूरकों के उत्तरों को शुद्ध करने के बारे में वक्तव्य . . ६४९

नदी बोर्डों के नियमों के सम्बन्ध में वक्तव्य . . ६४९

रामपुर की रजा और बुलन्द शुगर मिल्स में श्रम विवाद के बारे में वक्तव्य ६५०-५१

राष्ट्रपति के अथिभाषण पर प्रस्ताव ६५१--८२

दैनिक संक्षेपिका . . ६८३--९२

अंक ७—मंगलवार, १७ फरवरी, १९५९/२८ माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३११, ३१२, ३१४ से ३१६, ३१८, ३२१ से ३२४ और ३२६ से ३२८ ६९३--७१९

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१३, ३१७, ३१९, ३२०, ३२५, ३२९ से ३४१, ३४३ से ३५८ और ३६० से ३६४ . . . ७१९—३५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७० से ३७८, ३८० से ४०५, ४०७ से ४२६, ४२८ ४२८ और ४३० . . . . ७३५—५७

स्थगन प्रस्ताव

आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर गोली चलाये जाने की घटनायें ७५७—६०

औचित्य प्रश्न के बारे में . . . ७६१

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ७६१—६३

अनुदानों की अनुपूरक मांगें, १९५८-५९ . ७६३

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९५८-५९ . ७६३

प्राक्कलन समिति—

सैंतीसवां प्रतिवेदन . ७६३

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . ७६३—८१४

दैनिक संक्षेपिका ८१५—२०

अंक ८—बुधवार, १८ फरवरी, १९५९/२९ माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६५ से ३६८, ३७०, ३७३ से ३७५, ३७७, ३७९, ३८२ से ३८५ और ३८८ . ८२१—४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६९, ३७१, ३७२, ३७६, ३७८, ३८१, ३८६ ३८७, ३८९ से ३९१ और ३९३ से ४१७ . . ८४६—६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४३१ से ४७९ और ४८१ से ४८७ ८६२—८४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ८८४—८५

रेलवे आय-व्ययक, १९५९-६० . . ८८५—९१२

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . . . ९०२—३९

कार्य मंत्रणा समिति—

पैंतीसवां प्रतिवेदन. ९३०

दैनिक संक्षेपिका . . . ९४०—४४

पृष्ठ

अंक ९—गुरुवार, १९ फरवरी, १९५९/३० माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४१८ से ४२२, ४२५, ४२६, ४२८ से ४३३, ४३५, ४३९ और ४४१ . ९४५—७०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ ९७०—७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२३, ४२४, ४२७, ४३४, ४३६ से ४३८, ४४०, ४४२ से ४६७ . . ९७२—८७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८९ से ४९९ और ५०१ से ५५७ ९८७—१०१५

श्री सिद्दप्पा होशमानी का निधन १०१५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १०१५

कार्य मंत्रणा समिति— १०१५

पैंतीसवां प्रतिवेदन

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव १०१६—३२

कामगर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १०३२—५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . १०५४—५९

अंक १०—शुक्रवार, २० फरवरी, १९५९/१ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६८ से ४७७ और ४७९ से ४८८ १०६१—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७८ और ४८९ से ५१८ १०८६—११००

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५८ से ६६५ ११००—४६

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ११४७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ११४८

विशेषाधिकार समिति—

आठवां प्रतिवेदन . . . ११४८-४९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

एक बरात को परेशान किये जाने की कथित घटना . ११४९

सभा का कार्य ११४९–५०

खेल-कूद के स्तर में गिरावट के बारे में प्रस्ताव . ११५०—६८

विधेयक पुरस्थापित ११६८–६९

पृष्ठ

१. श्री उ० च० पटनायक का भारतीय आग्नेयास्त्र विधेयक . . ११६८

२. श्री जगदीश अवस्थी का दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक (धारा ७ का लोप) . ११६९

३. श्री झूलन सिंह का पटसन का न्यूनतम मूल्य विधेयक ११६९

संसदीय विशेषाधिकार विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . ११६९—८६

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . ११८७

दैनिक संक्षेपिका . . ११८८—९५

नोट: मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा मे उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

मंगलवार, १७ फरवरी, १९५९/२८ माघ, १८८० (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

केन्द्रीय वेतन आयोग का प्रतिवेदन

†*३११. श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री राधा रमण :
श्री राम कृष्ण :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि
श्री अ० क० गोपालन :
श्री राम गरीब :
श्री वाजपेयी :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री सूपकार :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री भक्त दर्शन :
श्री हाल्दर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय वेतन आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उस पर सरकार ने यदि कोई निर्णय किया है तो वह क्या है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : प्रथम पंच वर्षीय योजना पूरी होने के पश्चात् भारत सरकार ने हिसाब लगाया है कि राष्ट्रीय आय १८ प्रतिशत बढ़ गई है । द्वितीय पंच वर्षीय योजना के लक्ष्य . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न क्या है ? मैं प्रश्न की इस प्रस्तावना के लिये अनुमति नहीं दे सकता ।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : योजना के आरम्भ से राष्ट्रीय आय में २५ प्रतिशत वृद्धि हुई है । मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहूंगा कि क्या श्रमिकों को राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हुई है उसमें उन्हें उनका उचित अंश मिलेगा अथवा नहीं । यह बड़ा स्पष्ट सा प्रश्न है ।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : यह प्रश्न उस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता । वेतन आयोग का प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है । इस बारे में मैं फिर क्या कह सकता हूं ?

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : मैं श्रमिक वर्ग को ५ रुपये की जो अन्तरिम सहायता दी गई है उस बारे में पूछ रहा हूं । जबकि राष्ट्रीय आय में २५ प्रतिशत वृद्धि हुई तो क्या मजदूरों को उसमें से उनका उचित अंश देना न्यायपूर्ण और उपयुक्त नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति । श्री स० म० बनर्जी :

†**श्री स० म० बनर्जी** : १९-११-१९५८ को माननीय मंत्री ने एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने में अभी तीन-चार मास का समय लगेगा । इसके अनुसार फरवरी में तीन मास समाप्त हो रहे हैं और मार्च में चौथा मास भी समाप्त हो जायेगा । क्या प्रतिवेदन फरवरी अथवा मार्च तक प्रस्तुत कर दिया जायेगा ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : फरवरी तो शीघ्र ही समाप्त होने वाली है । मार्च में प्रतिवेदन नहीं मिल सकेगा । मैं समझता हूं कि वह जून में प्राप्त होगा ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : चूंकि १८ महीने हो चुके हैं, इस कारण मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब के कारण जानने का प्रयत्न किया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें यह बताने की आवश्यकता नहीं कि आयोग १८ महीने पहले नियुक्त किया गया था । वह सीधे यह पूछ सकते हैं—"विलम्ब के क्या कारण हैं ?" ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं पूर्णरूपेण सन्तुष्ट हूं कि आयोग इस मामले में बिल्कुल देरी नहीं कर रहा है । उसे न जाने कितने पत्रों को निबटाना और न जाने कितने लोगों की बात सुननी पड़ती है । इतना समय तो इसमें लगना ही था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बाजपेयी** : क्या सरकार वेतन आयोग को परामर्श देगी . . .

†**अध्यक्ष महोदय**: यह कार्यवाही के लिये सुझाव है ।

†**श्री राधा रमण**: क्या सरकार वेतन आयोग से किसी अन्तरिम सहायता की आशा रखती है अथवा जून में प्राप्त होने वाला प्रतिवेदन ही अन्तिम प्रतिवेदन होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या कोई और भी अन्तरिम प्रतिवेदन मिला है ?

†**श्री मोरारजी देसाई**: कोई संभावना नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ**: यह कहां तक सच है कि अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से वेतन आयोग के सामान्य कार्य में बाधा पहुंची है ? यदि ऐसा है, तो कहां तक और अन्तरिम प्रतिवेदन तैयार करने में कितना समय लगा था ?

†**श्री मोरारजी देसाई**: अन्तरिम प्रतिवेदन में दो से तीन मास लगे थे ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : क्या सरकार वेतन आयोग से एक और अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की सिफारिश करने जा रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय**: इसका उत्तर वह पहले ही दे चुके हैं ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : उन्होंने बताया था कि आयोग अन्तरिम प्रतिवेदन नहीं प्रस्तुत करने वाला है । क्या सरकार ने एक अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये आयोग से कहा है ?

†**श्री मोरारजी देसाई**: सरकार ने आयोग से प्रारम्भ में ही बता दिया था कि वह जो भी प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे कर सकता है । अब सरकार दुबारा उससे कहने नहीं जाती ।

†**श्री तंगामणि**: क्या वेतन आयोग तथा विभिन्न मजूरी बोर्डों के सभापतियों का एक सम्मेलन बुलाया गया था जिसमें यह निश्चय किया गया था कि यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में जितनी देरी संभव हो सके उतनी ही की जाये ?

†**अध्यक्ष महोदय**: माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या उन्होंने सम्मेलन में यह निश्चय किया था कि इसमें देरी की जाये ।

†**श्री तंगामणि**: क्या वेतन आयोग के सभापति और विभिन्न मजूरी बोर्डों के सभापति का कोई सम्मेलन हुआ था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य वेतन आयोग के सभापति के लिये यह कह रहे हैं कि वह प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में जानबूझ कर विलम्ब कर रहे हैं ?

†**श्री तंगामणि**: मैं जानकारी चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय**: यह तो आरोप लगाना है ।

†**श्री वे० प० नायर**: यह पूछना तो आरोप लगाना नहीं कि क्या कोई सम्मेलन हुआ था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि:** अनेक मजूरी बोर्ड स्थापित किये गये हैं और वे सामान्य नीति के संबंध में एक दूसरे से परामर्श करना चाहते हैं । मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या स्थापित किये गये विभिन्न बोर्डों के सभापतियों और वेतन आयोग के सभापति कभी मिले थे ?

†**श्री मोरारजी देसाई:** मुझे पता नहीं, श्रीमान् ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या भारत सरकार ने प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने पर उस पर विचार करने और उसे कार्यान्वित करने के लिये एक समय तालिका बनाई है ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** प्रतिवेदन प्राप्त होने से पहले समय तालिका बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

†**श्री भक्त दर्शन :** क्या वेतन आयोग ने राज्य सरकारों से भी परामर्श किया है और क्या राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार और वेतन आयोग का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि वेतन-स्तरों में जो भी बढ़ोत्तरी की जायेगी, उसका क्या प्रभाव प्रान्तीय सरकारों के कर्मचारियों पर पड़ेगा ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** राज्य सरकरों ने क्या किया है, यह मुझे मालूम नहीं है, लेकिन राज्य सरकारों के कुछ प्रतिनिधियों के साथ उन्होंने चर्चा की होगी, यह मैं समझता हूं ।

†**श्री बाजपेयी :** वेतन आयोग द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् सरकार को निर्णय करने में कितना समय लगने की संभावना है ?

†**अध्यक्ष महोदय:** पहले भी यही पूछा गया था ।

†**श्री मोरारजी देसाई:** कम से कम समय ।

†**श्री तंगामणि:** १९ नवम्बर, १९५८ के एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा था कि अगस्त, १९५८ में साक्ष्य लेने का काम समाप्त हो गया था । क्या वेतन आयोग ने विलम्ब के कारण हमें बताये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यही प्रश्न कुछ भिन्न रूप में पहले भी पूछा गया था ।

†**श्री स० म० बनर्जी:** क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि डाक तथा तार कर्मचारियों तथा अन्य केन्द्रीय कर्मचारियों ने २ मार्च को हड़ताल करने का निश्चय किया था ? यदि ऐसा है तो क्या माननीय मंत्री इस बात को ध्यान में रखते हुये वेतन आयोग से शीघ्रता करके जून, १९५९ से पहले प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कहेंगे ?

†**श्री मोरारजी देसाई:** इस बारे में धमकी देने का कोई असर नहीं होगा ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** मैं ने यह नहीं कहा कि यह धमकी है । मैं केवल यह जानना चाहता था कि सरकार इस बात का ध्यान रखे जिससे उत्तेजना न फैले ।

†**अध्यक्ष महोदय:** माननीय मंत्री ने यह नहीं कहा कि माननीय सदस्य धमकी दे रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वें० प० नायर** : उन्होंने इसे धमकी समझा है । श्री बनर्जी केवल यह जानना चाहते थे कि क्या सरकार योजना आयोग से जल्दी करने के लिये कहेगी। मंत्री महोदय इसे धमकी समझते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने यह नहीं कहा कि माननीय सदस्य ने धमकी दी है । उन्होंने केवल यह कहा कि जो कोई भी हड़ताल करके योजना आयोग द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करवाने में शीघ्रता कराना चाहते हैं, वे धमकी दे रहे हैं । माननीय सदस्य उसे अपने लिये क्यों समझ रहे हैं ।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : जब कभी हड़ताल का नोटिस दिया जाता है तो उसका तात्पर्य मंत्री को धमकी देना नहीं होता । उसका मतलब तो अपने अधिकारों की मांग करना होता है । माननीय मंत्री उसे अपने लिये धमकी क्यों समझते हैं ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : उसका प्रयोजन यही था, वह धमकी भले ही हो अथवा नहीं ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव**: पहले जो अन्तरिम सहायता दी गई थी वह उस समय के मजदूर वर्ग के उपभोक्ता मूल्य देशनांकों के आधार पर थी। तब से निर्वाह व्यय देशनांक में वृद्धि हो गई है । क्या सरकार का विचार सम्पूर्ण वेतन में कुछ वृद्धि करने अथवा कुछ अतिरिक्त वेतन देने का है ?

†**श्री मोरारजी देसाई**: सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है। हम वेतन आयोग की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभी माननीय सदस्य इस बात के इच्छुक हैं कि आयोग के प्रतिवेदन में शीघ्रता की जानी चाहिये । मुझे विश्वास है कि सरकार वेतन आयोग से यथासंभव शीघ्रता करने के लिये निवेदन करेगी ।

†**श्री मोरारजी देसाई**: मैं इस बात से सन्तुष्ट हूं कि वेतन आयोग जितने समय की उसे आवश्यकता है उससे अधिक समय नहीं ले रहा है। मैं शीघ्रता के लिये फिर कैसे कहूं ?

†**श्री वाजपेयी**: माननीय मंत्री सभा को इसके लिये सहमत कर लें।

†**अध्यक्ष महोदय**: सभा माननीय मंत्री से केवल कह सकती है । इसका निर्णय करना तो उन्हीं के हाथ में है ।

†**श्री रंगा** : यह अर्द्ध-न्यायिक निकाय है, इसमें जल्दबाजी करने से कोई लाभ नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भिलाई इस्पात संयत्र के लिये जहाज से आये सामान का उतारा जाना

+

†*३१२. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान इस्पात (प्राइवेट) लिमिटेड भिलाई इस्पात संयंत्र के लिये जहाज से आये माल को उतारने में विलम्ब करने के लिये इस समय कुछ विलम्ब शुल्क दे रहा है ;

(ख) यदि हां, तो १९५६ से अब तक कितना विलम्ब शुल्क दिया गया है ; और

(ग) क्या विलम्ब शुल्क से बचने के लिये माल जल्दी उतारने के बारे में कोई कार्यवाही की गई है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) पिछले लगभग ६ महीनों से विजगापट्टम में भिलाई के लिये आये माल को उतारने में सामान्यतः शीघ्रता की जा रही है। अतः कभी-कभी को छोड़कर वैसे विलम्ब शुल्क नहीं दिया जा रहा है। इसके विपरीत शीघ्र ही माल उतारन के लिये बहुधा हमें छूट भी मिल जाती है।

(ख) पिछले ५३ लाख रुपये के विलम्ब के दावों में से ३६.६६ लाख रुपयों का भुगतान किया जा चुका है।

(ग) विजागापट्टम में सामान उतारने की स्थिति में काफी सुधार हो गया है। पिछले वर्ष या उससे पहले बम्बई पत्तन में प्रति मास लगभग तीन जहाजों से और कभी-कभी कलकत्ता में भी जहाजों से माल उतारा जाता है, इस प्रकार विजागापट्टम में स्थिति काफी सुधर गई है। इससे और आगे कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या विलम्ब शुल्क के कुछ और दावों का भुगतान अभी बाकी है, यदि हां, तो उनकी कितनी राशि है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह बताना उनका काम है जो विलम्ब शुल्क मांगते हों। मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता।

†**श्री स० चं० सामन्त** : हाल ही में कलकत्ता पत्तन के पास फुलटा में सामान उतारने के लिये एक चबूतरा बनवाया गया है। क्या विशाखापटनम पत्तन में अधिक माल होने पर सामान उस पत्तन से होकर जाया करेगा।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : पहले भी कुछ जहाज कलकत्ता होकर जाया करते थे किन्तु भविष्य में ऐसा करना आवश्यक नहीं रहेगा। किन्तु यदि आवश्यकता पड़ी तो जहाजों को कलकत्ता या बम्बई होकर ले जाने में हम नहीं हिचकेंगे।

†**श्री प्र० चं० बोस** : क्या माल चढ़ाने और उतारने का काम ठेके पर किया जाता है, यदि हां, तो क्या विलम्ब शुल्क के लिये ठेकेदार उत्तरदायी होते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं नहीं बता सकता कि सामान ठेकेदारों द्वारा चढ़ाया उतारा जाता है। माल उतारने का अधिकांश काम मशीनों के द्वारा किया जाता है। जहां तक मैंने देखा है, विशाखापटनम पत्तन में इस व्यवस्था की कमी थी। जितना अधिक माल वहां आता है उसे उतारने के लिये पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था वहां नहीं है।

†**श्री विमल घोष** : क्या सरकार ने मशीनों के आने के लिये जो दोषरहित योजना बनाई गई थी उसके लिये कौन उत्तरदायी है, इसका पता लगाया है और क्या माल उतारने में विलम्ब के लिये उसके विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : हमने इसकी जांच की है। जो परिस्थिति उस समय थी उसमें इस चीज़ को दूर नहीं किया जा सकता था। पत्त न पर जितना सामान आया था उसे स्थान की कमी के कारण उतारा नहीं जा सकता था। क्रेनों की कमी थी। मैं नहीं समझता कि कोई कार्यवाही करने की मांग की गई थी।

†**श्री मुरारका** : क्या यह सच नहीं कि जिन जहाजों में यह माल लाया गया था उनमें माल चढ़ाने उतारने के लिये पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था नहीं थी और विलम्ब शुल्क देने का यही प्रमुख कारण था ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं यह नहीं कहता कि प्रमुख कारण यही था किन्तु एक कारण यह भी था।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या यह सच नहीं कि विशाखापटनम में पूर्णरूपेण भिलाई के लिये ही एक चबूतरा रक्षित नहीं है ? फिर यह विलम्ब शुल्क कैसे लगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : आरक्षण होते हुये भी जितना माल वहां आया था वह स्थान सारा माल उतारने के लिये पर्याप्त नहीं था ?

†**श्री तिरुमल राव** : क्या सरकार ने दोषरहित योजना को उत्तरदायी ठहराने का प्रयत्न नहीं किया ? जबकि विज़गापटनम की क्षमता टेक्निकल विशेषज्ञों को पता थी तथा कितने बड़े जहाज उसके अन्दर जा सकते हैं और कितने छिछले पानी में वे खड़े हो सकते हैं यह भी मालूम था तो फिर उसका मार्ग क्यों नहीं बदल दिया गया और इसी दोषरहित योजना के कारण अतिरिक्त विलम्ब शुल्क देना पड़ा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं नहीं समझता कि योजना में कोई दोष था । घटना घटित हो जाने के बाद बुद्धिमान बनना आसान है। वास्तव में बात यह है कि विज़गापटनम् पत्तन, भिलाई से सबसे निकट है, इसलिये वहां अधिक से अधिक माल उतारना था। उसकी क्षमता कम होने तथा अन्य कुछ कारणोवश ऐसा नहीं किया जा सका। इस कारण उपाय केवल यह रह गया कि माल को और पत्तनों से होकर लाया जाये और वहां माल इकट्ठा कर दिया जाये जिससे भिलाई तक माल पहुंचाने में और विलम्ब हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

जीवन बीमा निगम

+

†*३१४. **श्री केशव :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री वारियार :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री कोडियान :
श्री पुन्नूस :
श्री वें० प० नायर :
श्री महन्ती :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री साधन गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५७ की तुलना में १९५८ में नये बीमा व्यवसाय की राशि में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो १९५७ और १९५८ में कुल कितनी राशि के बीमे किये गये ; और

(ग) व्यापार में कमी को पूरा करने के लिये जीवन बीमा निगम क्या कार्यवाही करने का विचार करता है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी नहीं।

(ख) १९५७ और १९५८ में क्रमशः २८१.९० करोड़ और ३१३.८५ करोड़ रुपये का बीमा किया गया था। १९५८ के आंकड़े अभी अस्थायी हैं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री केशव** : क्या यह सच है कि बीमे के राष्ट्रीयकरण होने से पहले और बाद की दरों में अन्तर के कारण पालिसियां प्रदत्त कर दी गई थीं और यदि ऐसा है, तो १९५७ और १९५८ में कितनी राशि की पालिसियां प्रदत्त कर दी गईं और नई कितनी राशि की पालिसियां ली गईं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं आंकड़े तो नहीं दे सकती किन्तु आरम्भ में जबकि बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उचित प्रबन्ध न होने के कारण कुछ पालिसियां प्रदत्त कर दी गई थीं किन्तु अब बड़ा अच्छा काम चल रहा है और आय में वृद्धि हो रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वारियर** : क्या किसी खण्ड में हानि भी हुई है और यदि ऐसा है तो वे खण्ड कौन-कौन हैं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : जहां तक कुल राशि का संबंध है, इसमें वृद्धि हुई है । किसी खण्ड में कमी नहीं हुई है । किन्हीं किन्हीं मामलों में कभी ज्यादती कभी-कभी होती रहती है ।

†**श्री महन्ती** : १९५७ की तुलना में १९५८ में कुल कितने रुपयों की पालिसियां ली गईं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं उत्तर में आंकड़े बता चुकी हूं ।

†**श्री महन्ती** : ये आंकड़े जितनी राशि का बीमा कराने का करार किया गया था उसके थे । बीमा कराने के करार की राशि और वास्तव में पूरी की गई राशि के आंकड़े अलग-अलग होते हैं ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैंने "पूरे किये गये" शब्द का प्रयोग किया था "करार किये गये" नहीं ।

†**श्री वें० प० नायर** : माननीय मंत्री ने बताया कि किसी भी खण्ड में व्यवसाय में कमी नहीं हुई है । क्या यह सच है कि दक्षिण खण्ड में सापेक्षतया अधिक आय हुई है और यदि ऐसा है, तो १९५७ की तुलना में १९५८ में कुल कितनी आय हुई थी ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : जैसा कि मैं कह चुकी हूं, १९५७ से जबकि जीवन बीमा निगम ने अपना कार्य आरम्भ किया था, राशि बढ़ गई है । जैसा कि १९५८ के आंकड़ों से पता लगता है खंडों में अच्छी आय हो रही है ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या यह सच है कि इस व्यवसार में गिरावट का कारण यह है कि जीवन बीमा निगम का प्रचार करने वाले एजेंटों के साथ उसी प्रकार का बर्ताव नहीं किया जाता जैसा कि राष्ट्रीयकरण से पहले किया जाता था ? यदि ऐसा है तो सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है.....?

†**अध्यक्ष महोदय** : दो बातें हैं--एक तो यह कि माननीय सदस्य यह समझते हैं कि व्यवसाय में कमी हो रही है । माननीय मंत्री का कहना है कि ऐसा नहीं है । इस कारण इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता । अब प्रश्न यह है कि क्या एजेंटों के साथ सेवा की जो शर्तें राष्ट्रीयकरण से पहले थीं, उनमें कुछ अन्तर हो गया जिसके परिणामस्वरूप इस व्यवसाय में कमी हो गई है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं समझती हूं कि वे पहले से अधिक होशियार होते जा रहे हैं ।

†**श्री तिरुमल राव** : क्या सरकार को इस बात का पता है कि लक्ष्यों की प्राप्ति करने और अधिक लोगों का बीमा करने की दृष्टि से एजेंट विभिन्न प्रकार की चालाकियां करते हैं जिसके परिणामस्वरूप व्यवसाय को धक्का पहुंचता है और यहां तक कि एक वर्ष प्रीमियम लेकर दूसरे वर्ष बहुत सी पालिसियां रद्द हो जाती हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : सरकार माननीय सदस्य के विचार से सहमत नहीं है।

मध्य क्षत्रीय परिषद[1]

+

†*३१५. { **श्री वाजपेयी :**
श्री विद्या चरण शुक्ल :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिहांड बांध से उत्तर प्रदेश को जल संभरण करने के प्रश्न की जांच करने के लिए मध्य क्षेत्रीय परिषद् द्वारा नियुक्त की गई समिति के प्रतिवदन पर विचार किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य-मुख्य विशषताएं क्या हैं ; और

(ग) क्षेत्रीय परिषद् द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) आशा की जाती है कि इस मामले पर मध्य क्षेत्रीय परिषद् की अगली बैठक में विचार किया जायेगा। ५ दिसम्बर, १९५८ को पिछली बार सभा में जो स्थिति बताई गई थी तब से परिषद् की कोई बैठक नहीं हुई है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

†**श्री वाजपेयी** : इस मामले में वास्तव में विवाद की क्या बात है ?

†**श्री दातार** : प्रश्न के तीन पहलुओं पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी। पहला परियोजना से मध्य प्रदेश को विद्युत संभरण करने के बारे में था, दूसरा परियोजना से सिंचाई तथा अन्य कार्यों के लिये जल संभरण करने के बारे में और तीसरा मध्य प्रदेश सरकार को जलमग्न क्षेत्र से ऊंची सतह से फीडर नालियों के लिये बांध बनाने के लिये अनुमति देने की संभावना के बारे में था।

इण्डिया आफिस लाइब्रेरी

+

†*३१६. { **श्री राम कृष्ण :**
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री २ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ब्रिटेन सरकार के पास १९५६ में इण्डिया आफिस लायब्रेरी के बारे में भेजे गये टिप्पण का उत्तर प्राप्त हो गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Central Zonal Council.

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का उत्तर प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो इण्डिया आफिस लायब्रेरी को वापस लेने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) ब्रिटेन सरकार से उत्तर प्राप्त होने के पश्चात् उसके अनुरूप और आगे कार्यवाही करने के बारे में विचार किया जायेगा ।

†**श्री राम कृष्ण** : इस कार्य के लिये कितनी बार पत्र लिये गये ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : पिछले अवसर पर इस प्रश्न का उत्तर मैं सभा में दे चुका हूं ।

†**श्री बी० चं० शर्मा** : पिछली बार अर्ल आफ होम जब यहां आये थे तो क्या इस अपन पर चर्चा करने का कोई प्रयत्न किया गया था ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : मुझे इसका पता नहीं है ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस समस्या को सुलझाने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, क्या मंत्रालय ने वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से सम्पर्क स्थापित किया है और इस समस्या को हल करने के सम्बन्ध में उस मंत्रालय से सहायता मांगी है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से सदा सम्पर्क रखा गया है ।

†**श्री तंगामणि** : जब यह प्रश्न १३ फरवरी, १९५८ ; १३ अगस्त, १९५८ और २ दिसम्बर, १९५८ को पूछा गया था, तीनों बार यही उत्तर दिया गया था कि फरवरी, १९५६ के पत्र का अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । क्या सरकार ब्रिटेन सरकार को इस बात के लिये विवश करेगी कि वह इस सम्बन्ध में एक निश्चित उत्तर दें ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह कैसे ?

†**श्री तंगामणि** : एक पूर्ववर्ती प्रश्न के उत्तर में भी माननीय मंत्री ने यह कहा था कि क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिये हम इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं कर सके हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हम ब्रिटिश सरकार को कोई अनुस्मारक नहीं भेज सकते ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : मैंने पहले भी सभा से निवेदन किया था कि इस प्रकार के नाजुक मामलों में हम जितनी कम चर्चा करें उस समस्या का उतना ही अच्छा हल हो सकेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री उस का शीघ्रातिशीघ्र उत्तर प्राप्त करने के लिये हर प्रकार का प्रयत्न करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हो० ना० मुकर्जी** : जब से मौलाना आज़ाद ने इस मामले को उठाया था, तब से लेकर भारत सरकार ब्रिटिश सरकार को कितने पत्र भेज चुकी है और उनमें से कितने पत्रों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री राम कृष्ण द्वारा भी यही प्रश्न पूछा गया था, और उसके उत्तर में माननीय मंत्री ने उत्तर दे दिया था कि उनके पास इस समय यह जानकारी नहीं है।

ऋणों की गारन्टी

+

†*३१८. **श्री मुरारका :**
श्री उस्मान अली खां :
श्री नागी रेड्डी :
श्री वासुदेवन नायर :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय संघटन से ऋण प्राप्त करने वाले किन-किन गैर-सरकारी अभिकरणों के लिये गारन्टी दी है ; और

(ख) क्या सरकार का इन गैर-सरकारी अभिकरणों की उचित तथा दक्ष व्यवस्था के सम्बन्ध में उन पर कोई सामान्य नियन्त्रण है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गयी है ।

विवरण

१. कलकत्ता पत्तन के कमिश्नर ।

२. मद्रास पत्तन न्यास ।

३. इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड ।

४. टाटा हाइड्रो-एलेक्ट्रिक एजेंसीज लिमिटेड ।

५. इंडस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, बम्बई ।

६. टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, लिमिटेड ।

(ख) जी, हां ।

†**श्री मुरारका** : इस प्रकार के गैर-सरकारी अभिकरणों पर सरकार सामान्य रूप से किस प्रकार का नियन्त्रण रखती है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : इन कम्पनियों की ओर जब तक कोई ऋण बकाया रहता है, तब तक के समय के लिये सरकार उन कम्पनियों पर एक डायरेक्टर नियुक्त कर देती है जो कि सरकारी दावों की देखभाल करता है । जहां तक पत्तन न्यासों का सम्बन्ध है, पत्तन न्यास अधिनियम के अधीन उन पर सरकार का लगभग सम्पूर्ण नियन्त्रण है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुरारका** : क्या सरकार, जैसी कि महालेखा परीक्षक ने सिफारिश की है, इस प्रकार की गारंटियों के सम्बन्ध में संसद् में रिपोर्ट देने की परम्परा प्रारम्भ करने का विचार रखती है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर अभी लोक लेखा समिति द्वारा विचार किया जाना बाकी है । उसके बाद इस सम्बन्ध में सरकार अपना निर्णय देगी, इसके पश्चात् उसकी स्थिति जानी जा सकेगी ।

†**श्री मुरारका** : कुल कितने रुपयों की गारन्टी दी जा चुकी है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : जहां तक ऋणों का सम्बन्ध है, उनके सम्बन्ध में सरकारी और गैर-सरकारी कम्पनियों के लिये कुल १११.५५ करोड़ रुपयों की गारन्टी दी गयी है ।

†**श्री नरसिंहन्** : सभा-पटल पर रखे गये विवरण में आंकड़े नहीं दिये गये हैं । मैं विभिन्न कम्पनियों के सम्बन्ध में अलग-अलग आंकड़े जानना चाहता हूं ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : आंकड़े बताने में बहुत समय लग जायेगा ।

†**श्री तंगामणि** : केवल ६ मद ही तो हैं ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मद्रास पत्तन न्यास तथा कलकत्ता पत्तन के कमिश्नरों के सम्बन्ध में २०.४८ करोड़ रुपयों की गारन्टी दी गयी है । इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के लिये १४.३० करोड़ रुपयों की, टाटा हाइड्रो-एलेक्ट्रिक एजेंसीज लिमिटेड के लिये ६.६४ करोड़ रुपयों की, इंडस्ट्रीयल क्रडिट इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन आफ इण्डिया के लिये ४.७६ करोड़ रुपयों की और टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के लिये ९.५२ करोड़ रुपयों की गारन्टी दी गयी है । टाटा हाइड्रो-एलेक्ट्रिक एजेंसीज लिमिटेड के लिये ४.६७ करोड़ रुपयों के दूसरे ऋण के लिये भी गारन्टी दी गयी है और टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के लिये १५.४७ करोड़ रुपयों की गारन्टी दी गयी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : एक ही कम्पनी का तीन-तीन बार नाम क्यों लिया गया है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी एक कम्पनी है और टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी दूसरी कम्पनी है । दोनों को ऋण प्राप्त हुए हैं ।

†**श्री वासुदेवन नायर** : क्या इन कम्पनियों के अतिरिक्त अन्य कम्पनियों ने भी गारन्टी के लिये प्रार्थना की थी ; यदि हां तो, उनके क्या क्या नाम हैं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा**: इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने प्रार्थना की थी और उसके लिये हमने गारन्टी भी दे दी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या किसी और कम्पनी ने भी प्रार्थना की थी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम भी ऋण देता है, परन्तु उसके लिये किसी गारन्टी की आवश्यकता नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह था कि क्या उपरोक्त कम्पनियों के अतिरिक्त कोई ऐसी कम्पनियां भी हैं जिन्होंने ऋण के लिये गारन्टी देने के लिये आवेदन किया था, परन्तु उनके सम्बन्ध में अभी तक निर्णय नहीं किया गया है ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** नहीं, इस सम्बन्ध में कोई भी आवेदन पत्र अनिर्णीत नहीं हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री विमल घोष ।

†**श्री विमल घोष :** क्या सरकार ने उन कम्पनियों के सम्बन्ध में कोई डायरेक्टर नियुक्त किये हैं जिनके लिये उसने गारन्टी दी है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने उसका उत्तर 'हां' में दिया है।

†**श्री मोरारजी देसाई :** जी हां, जब तक ऋणों की राशि पूरी नहीं हो जाती, तब तक की अवधि के लिये डायरेक्टर नियुक्त किये जाते हैं।

दक्षिण भारत में विश्वविद्यालय

*३२१. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दक्षिण में हिन्दी के माध्यम से शिक्षा देने के लिये एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की प्रस्थापना है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : जी, नहीं।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं यह जान सकता हूं कि जिस समय मौलाना आजाद शिक्षा मंत्री थे उस समय केन्द्र के कुछ अधिकारियों का उस्मानिया विश्वविद्यालय को हिन्दी माध्यम का विश्वविद्यालय बनाने का विचार था ? यदि हां, तो फिर वह बाद में क्यों स्थगित हो गया ?

डा० का० ला० श्रीमाली: इस प्रश्न का तो मैं कई बार उत्तर दे चुका हूं। इस की कोशिश की गई थी लेकिन चूंकि आंध्र गवर्नमेंट राजी नहीं थी इसलिये इस काम को आगे नहीं बढ़ाया जा सका।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : दक्षिण भारत में इस समय जो विश्वविद्यालय चालू हैं और हिन्दी प्रचार की जो संस्थायें हैं उन को क्या इस समय हिन्दी के प्रचार के लिये कोई अनुदान दिया जाता है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह प्रश्न तो दूसरा है जिस का यहां सम्बन्ध नहीं है। यदि आप दूसरा प्रश्न पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा।

श्री भक्त दर्शन : यदि दक्षिण भारत में हिन्दी माध्यम का कोई विश्वविद्यालय बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है तो क्या गवर्नमेंट ने ऐसे कोई कदम उठाये हैं जिन से दक्षिण भारत में हिन्दी की अनिवार्य या ऐच्छिक शिक्षा की व्यवस्था की जा सके ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, सरकार सहायता देती है।

†**श्री दासप्पा :** कितने भारतीय विश्वविद्यालय हिन्दी में शिक्षा दे रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता। इसके लिये एक अलग प्रश्न की पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

†**श्री दासप्पा** : क्या कोई ऐसा विश्वविद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में प्रयत्न किया गया है जिसमें हिन्दी के माध्यम से शिक्षा दी जा सके ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को ज्ञात है कि जहां भी मातृ भाषा हिन्दी है, वहां एक विशेष कक्षा तक शिक्षा का माध्यम हिन्दी है। क्या माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि किस कक्षा तक शिक्षा हिन्दी के माध्यम से दी जाती है? यह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री नरसिंहन्** : प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या किसी विश्वविद्यालय में हिन्दी के माध्यम से सफलता पूर्वक उच्च शिक्षा दी जा रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता।

न्यायिक प्रशासन के सुधार के सम्बन्ध में विधि आयोग की रिपोर्ट

+

†*३२२. { **श्री सूपकार** :
श्री राम कृष्ण :
श्री बांगशी ठाकुर :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री डी० चं० शर्मा :

क्या **विधि** मंत्री १६ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६४ के उत्तर के सम्बन्ध में एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे, जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) न्यायिक प्रशासन के सुधार के सम्बन्ध में विधि आयोग की मुख्य मुख्य सिफ़ारिशें क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उन सिफ़ारिशों पर विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उनके सम्बन्ध में किस प्रकार की कार्यवाही की गयी है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : (क) से (ग). न्यायिक प्रशासन सुधार के सम्बन्ध में विधि आयोग द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट अभी विचाराधीन है।

†**श्री सूपकार** : उस सम्बन्ध में निर्णय करने में सरकार को कितना समय लगेगा और क्या सरकार ने उस सम्बन्ध में कोई प्रयत्न किया है कि न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े हुए मामलों को शीघ्रता से निपटाया जाये और उस बारे में क्या सरकार ने उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों को कोई हिदायतें भेजी हैं ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : प्रश्न का दूसरा भाग तो यहां उत्पन्न नहीं होता। जहां तक दूसरे भाग का सम्बन्ध है, विधि आयोग की सिफ़ारिशों के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से निर्णय कर देने के लिये कोई अवधि निर्धारित करना कठिन है। उस रिपोर्ट की आठ बड़ी बड़ी

---

†मूल अंग्रेजी में

जिल्दें हैं, और उन पर समय लगना स्वाभाविक है । मुझे आशा है कि माननीय सदस्य यह नहीं चाहेंगे कि इतनी बड़ी रिपोर्ट के बारे में निर्णय देने में सरकार जल्दबाजी से काम ले ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या न्यायिक सुधार सम्बन्धी रिपोर्ट इतनी बड़ी है ?

†**श्री अ० कु० सेन :** जी, हां ।

†**श्री सूपकार :** क्या माननीय मंत्री उस रिपोर्ट को पुस्तकालय में रखने की कृपा करेंगे ?

†**श्री अ० कु० सेन :** मैं समझता हूं कि हम इस प्रश्न का पहले ही उत्तर दे चुके हैं। हम ने बता दिया है कि उस रिपोर्ट पर विचार करने और इस सम्बन्ध में किसी निर्णय पर पहुंचने के बाद उस रिपोर्ट की प्रति सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

†**श्री राम कृष्ण :** क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों और उच्चायुक्तों के मत जान लिये गये हैं ?

†**श्री अ० कु० सेन :** मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में भी कई बार जवाब दिया जा चुका है । विधि आयोग ने एक प्रश्नावली न ही केवल राज्य सरकारों को भेजी थी, अपितु सभी प्रतिनिधि विधि संस्थाओं को भी भेंजी थीं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह यह पूछना चाहते हैं कि क्या उस रिपोर्ट को राज्य सरकारों को भी भेजा गया है ताकि इस सम्बन्ध में उनके मत भी जानें जा सकें ।

†**श्री अ० कु० सेन :** मैं नहीं समझता कि केन्द्रीय सरकार ने वह रिपोर्ट राज्य सरकारों को भेजी है । परन्तु, हमारी इच्छा है कि आगामी विधि मंत्रियों के सम्मेलन से पहले हम इसे राज्य सरकारों के पास भेज ेंगे ?

†**श्री तंगामणि :** मेरा एक औचित्य प्रश्न है । १९ नवम्बर, १९५८ को भी वही औचित्य प्रश्न उठाया गया था और हमें यह बताया गया था कि यह रिपोर्ट सभी राज्य सरकारों को भेज दी जायेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** तो इसमें औचित्य प्रश्न क्या है ? राज्यों के विधि मंत्रियों ने राज्य सरकारों के प्रतिनिधि के रूप में विधि आयोग में भाग लिया था । विधि मंत्री ही तो राज्य सरका ों का प्रतिनिधित्व करते हैं । इसमें कोई भी औचित्य प्रश्न नहीं है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** माननीय मंत्री ने यह कहा है कि वह रिपोर्ट आठ जिल ों में है । प्रत्येक जिल्द पर विचार करने में कितनी देर लग रही है ?

†**श्री अ० कु० सेन :** इस प्रकार का हिसाब लगाना सम्भव नहीं है ।

†**श्री बांगशी ठाकुर :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि त्रिपुरा के न्यायालय में कई मामले पांच छः वर्षों से अनिर्णीत पड़े हैं, क्या सरकार वहां पर संक्षिप्त मुकदमा प्रणाली लागू करने का विचार रखती है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह तो एक सुझाव है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० कु० सेन :** देश में प्रत्यक कार के मामले को निपटाने की निश्चित प्रणाली है। हम यह नहीं स्वीकार करते कि प्रक्रिया मूलत: गलत है । यहां पर तो उस प्रक्रिया को इस प्रकार से लागू करने का प्रश्न है ; जिससे मामले जल्दी से निपट सके और विधि आयोग ने भी वास्तव में इसी दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार किया है ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** रिपोर्ट की आठ जिल्दों में से सिफारिशें तो थोड़े से ही अंश में होंगी। क्या हमें संक्षेप में यह बताया जायेगा कि वे सिफारिशें किस किस प्रकार की हैं ?

†**श्री अ० कु० सेन :** माननीय सदस्य को कुछ धीरज और रखना चाहिये ।

१९६१ की जनगणना

\+

*३२३. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री सूपकार :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री हेमराज :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १८ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ की जनगणना की तैयारी के सम्बन्ध में इस बीच क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) १९६१ की जनगणना किन आवश्यक बातों में १९५१ की जनगणना से भिन्न होगी ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) उम्मीद है कि १४ राज्यों के जनगणना सुपरिटेंडेंट मार्च १९५९ में काम शुरु कर देंगे। जनगणना की प्रश्नावलि का ड्राफ्ट और सम्बन्धित शिड्यूल पूर्व जांच के लिये स्टेट स्टेटिस्टिकल केन्द्रों और दूसरी एक्सपर्ट संस्थाओं को भेज दिये गये हैं ।

(ख) पिछली जनगणनाओं में समानता और उनको एक सिलसिले में जारी रखने के लिये हर एक नई जनगणना में थोड़ी सी खास तबदीली की जाती है । आने वाली जनगणना में लोगों के देहात से शहर में आ कर बसने, उनके काम धन्धे और उद्योग तथा घरेलू व्यवसाय और खेती पर जीवन बिताने के बारे में और सूचना मांगी जायेगी ।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

श्री भक्त दर्शन : माननीया उप मंत्रिणी जी के उत्तर से यह अनुमान लगता है कि अभी तक सरकार यह तै नहीं कर पायी है कि सन् १९६१ की जनगणना किन नये आधारों पर की जायेगी ? मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय किया जा सकेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती आल्वा :** मैं ने मूल प्रश्न के उत्तर में पहले ही बता दिया है कि ग्राम्य तथा शहरी आर्थिक उपस्थिति को विस्तार पूर्वक दिखाया जायेगा ।

श्री भक्त दर्शन : राजभाषा आयोग, आफिशियल लेंग्वेज कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के तीसरे परिच्छेद के छठे पैरा में ये शब्द लिखे थे :

"It is suggested for the consideration of Census authorities that a question indicative of linguistic ability in the Hindi language on the part of speakers of non-Hindi mother tongues all over the country may be instituted at the next and subsequent censuses."

"जनगणना के प्राधिकारियों के विचार के लिये यह सुझाव दिया गया है कि इस सम्बन्ध में भी आंकड़े एकत्रित किये जायें कि भाषा सम्बन्धी ज्ञान के सम्बन्ध में यह भी देखा जाय कि अहिन्दी भाषा भाषी व्यक्तियों में से कितने लोग हिन्दी बोल सकते हैं ।"

मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में भी जो अगली बार निर्णय किया जायेगा क्या उस प्रश्नावलि में इसे भी सम्मिलित किया जायेगा ?

†**श्रीमती आल्वा :** राज्य पुनर्गठन के उपरान्त इस प्रकार का विचार किया गया था ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मेरे प्रश्न का ठीक उत्तर नहीं दिया गया । राजभाषा आयोग ने यह सिफारिश की थी । यह कहा जाता है कि देश के केवल ४० प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनकी हिन्दी मातृभाषा है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी मातृभाषा हिन्दी न होते हुए भी जो हिन्दी को समझ सकते हैं । क्या नई जनगणना में यह जानने का प्रयास किया जायेगा कि कितने और भाषाओं के जानने वाले लोग हिन्दी को समझ सकते हैं ?

†**श्रीमती आल्वा :** फिलहाल तो इस प्रकार का कोई सुझाव नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह तो एक अनिश्चित सा प्रश्न है कि कितने व्यक्ति हिन्दी जानते हैं । यदि कोई व्यक्ति अ आ जानता है तो वह भी कह सकता है कि वह हिन्दी जानता है ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या यह जानने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है कि जांच करने वालों को आंकड़े एकत्रित करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा ?

†**श्रीमती आल्वा :** जनगणना कमिश्नर सभी कठिनाइयों पर विचार कर रहा है ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन :** क्या इस सम्बन्ध में कोई आंकड़े एकत्रित किये जायेंगे कि बढ़ती हुई कीमतों का मुकाबला करने के लिये परिवारों को किस सीमा तक ऋणग्रस्त होना पड़ा है ?

†**श्रीमती आल्वा :** मेरा ख्याल है कि इस बात को भी ध्यान में रखा जायेगा ।

†**श्री दासप्पा :** संविधान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़े हुए वर्गों का उल्लेख है । क्या जनगणना में इनकी भी गणना की जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती आल्वा :** जी, हां । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की गणना की जायेगी ।

†**श्री दासप्पा :** और पिछड़े हुए वर्ग ?

†**श्रीमती आल्वा :** उनके सम्बन्ध में अभी निर्णय नहीं हुआ है । परन्तु ऐसा मुश्किल ही दीखता है ।

†**श्री दासप्पा :** तो फिर सरकार संविधान की शर्तों को जनगणना में पूरा कैसे करेगी ?

†**श्रीमती आल्वा :** पिछड़े हुए वर्गों की गिनती करनी कठिन है, क्योंकि 'पिछड़ापन' बड़ा व्यापक सा शब्द है । इसके सम्बन्ध में निर्णय करना बड़ा कठिन है ।

†**श्री सूपकार :** क्या १९६१ की जगणना में इस सम्बन्ध में आंकड़े इकट्ठे करने का प्रयत्न किया जायेगा कि प्रथम तथा द्वितीय पंच वर्षीय योजनाओं का जनता की आर्थिक और सामाजिक अवस्थाओं पर क्या असर पड़ा है ?

†**श्रीमती आल्वा :** आर्थिक आंकड़े एकत्रित करते समय यह तो देखा ही जायेगा कि प्रथम तथा द्वितीय पंच वर्षीय योजनाओं का आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है ।

†**श्री प्रकाश वीर शास्त्री :** मैं जानना चाहता हूं कि जनगणना में हिन्दुओं में जो मत भेद किया जाता है कि इतने सिख हैं और इतने जैन हैं, इससे सरकार का क्या अभिप्राय है ?

†**श्रीमती आल्वा :** ये बातें धर्म के खाने में लिखी जायेंगी ।

†**श्री जाधव :** क्या यह सच है कि १९५१ की जनगणना में गृहिणियों द्वारा किये जाने वाले कार्य को 'अनुत्पादी कार्य' लिखा गया था ? क्या इस बार इस शब्द को बदल दिया जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह यह कह रहे हैं कि गृहिणियों द्वारा किये जाने वाले कार्य को, 'अनुत्पादी' लिखा जाता है । उसे 'अनुत्पादी' कैसे कहा जा सकता है ?

†**श्री बाजपेयी :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारा देश एक धर्म निरपेक्ष राज्य में विश्वास रखता है, तो फिर अलग अलग धर्मों और मतों की गिनती क्यों की जा रही है ?

†**श्रीमती आल्वा :** उसमें सभी धर्मों और सभी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की गिनती की जायेगी ।

†**श्री सुब्बया अम्बलम् :** माननीय मंत्री ने अभी अभी यह कहा था कि पिछड़े हुए वर्गों की गिनती करना बड़ा कठिन है, परन्तु मैं उन्हें सूचित कर देना चाहता हूं कि प्रत्येक राज्य में पिछड़े हुए वर्गों की सूचियां विद्यमान हैं ।

†**श्रीमती आल्वा :** पिछड़े हुए वर्ग अनुसूचित सूचियों में सम्मिलित नहीं हैं । वास्तव में हम पिछड़े हुए वर्ग नामक एक और वर्ग की स्थापना नहीं करना चाहते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उमरेड़ तहसील की खनिज सम्पत्ति

*३२४. **श्री सरजू पांडे :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री २४ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण ने उमरेड़ तहसील की खनिज सम्पत्ति के प्रयोग के लिये विस्तृत सर्वेक्षण पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो मोटे तौर पर उसका ब्योरा क्या है ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) : (क) जी, नहीं। इस क्षेत्र में विस्तृत भूगर्भीय मानचित्रण का काम अभी भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

(ख) अनुसंधान के परिणाम इसके पूरा हो जाने के बाद ही उपलब्ध होंगे।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

श्री सरजू पांडे : क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस में इतनी देर का कारण क्या है ?

श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : चूंकि छान-बीन ज्यादा करनी पड़ती है, इसलिये देर तो होती ही है।

†**श्री स० म० बनर्जी :** यह काम कब प्रारम्भ किया गया था और वह कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** यह बताना कठिन है कि यह काम कब तक पूरा हो जायेगा।

†**श्री स० म० बनर्जी :** कुल कितने क्षेत्र की जांच की जायेगी ;

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

†**श्री तंगामणि :** इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इस बात का संकेत भी मिला था कि संभव है कि इस कोयला खान में से कोयला मिल जाये, क्या इस क्षेत्र के सवक्षण कार्य को गति दी जायेगी ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** इस में कोई सन्देह नहीं कि सर्वेक्षण के कार्य को गति से किया जा रहा है।

कलकत्ता में स्पोर्ट्स स्टेडियम

+

†*३२६. **श्री हो० ना० मुकर्जी :**
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री साधन गुप्त :

क्या शिक्षा मंत्री २४ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता में स्पोर्टस स्टेडियम बनाने के लिये कलकत्ता सुधार न्यास को अनुदान मंजूर करने के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : मामला अखिल भारतीय खेल कूद परिषद् के पास विचार करने के लिये भेज दिया जायेगा ।

†**श्री हो० ना० मुकर्जी** : क्या सरकार इस कमी को पूरा करने के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी कि कलकत्ता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में खेल कूद के लिये कोई भी स्डेडियम नहीं है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सरकार इस सम्बन्ध में सहानुभूति प्रकट करती है । स्टेडियम पर खर्च करने के सम्बन्ध में पश्चिमी बंगाल सरकार और शिक्षा मंत्रालय में कुछ मतभेद उत्पन्न हो गया था । जो प्राक्कलन हमें भेजा गया था वह बहुत ज्यादा था । इसलिये यही अच्छा समझा गया कि मामले को अखिल भारतीय खेल कूद परिषद् के सामने पेश किया जाये । उसका निर्णय प्राप्त होते ही कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : यह विवाद कब से चल रहा है और खेल कूद परिषद् इस पर विचार करने में कितना समय लगायेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मुझे आशा है कि नई परिषद् इस मास के अन्त में स्थापित हो जायेगी । इसके स्थापित होते ही यह योजना उसके सामने प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या सरकार को ज्ञात है कि कलकत्ता में होने वाले फुटबाल के मैचों में बहुत से लोगों को बाहिर से और वृक्षों के ऊपर चढ़ कर मैच देखने पड़ते हैं ; क्योंकि वहां इसके लिये कोई बड़ी ग्राउंड नहीं है; और यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई उपाय करेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह तो पश्चिमी बंगाल सरकार की जिम्मेदारी है । भारत सरकार उनकी कठिनाइयों के सम्बन्ध में उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करती है । अखिल भारतीय खेल कूद परिषद् द्वारा इस पर विचार कर लिये जाने के बाद जो कुछ भी हम से हो सका वह हम करेंगे ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि अभी तक मद्रास में नेशनल स्पोर्ट्स क्लब स्थापित नहीं की गई है, क्या सरकार इस सम्बन्ध में मद्रास सरकार की सहायता करेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : प्रश्न का सम्बन्ध तो कलकत्ता से है, मद्रास से नहीं । इसके लिये अलग प्रश्न की आवश्यकता है ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : विभिन्न स्टेडियमों के लिये वह एक व्यापक योजना थी और उसके लिये धन एकत्रित किया गया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : परन्तु प्रश्न तो केवल कलकत्ता के सम्बन्ध में ही पूछा गया है ।

†**श्री जयपाल सिंह** : क्या अदन गार्डन के नाम के सम्बन्ध में फैसला हो गया है ; और यदि हां, तो क्या फैसला किया गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इसके लिये पूर्वसूचना की आवश्यकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नेवेली लिग्नाइट परियोजना

+

†*३२७. { **श्री न० रा० मुनिस्वामी :**
श्री नागी रेड्डी :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समेकित नेवेली लिग्नाइट परियोजना में ब्रिक्वेटिंग और कार्बोनाइजिंग के कारखानों[१] की स्थापना प्राथमिकता क्रम के अनुसार न की जा कर कुछ स्थगित कर दी जायगी ;

(ख) यदि हां, तो क्यों ;

(ग) क्या मद्रास राज्य सरकार ने इस स्थगन के विरोध में अभ्यावेदन किया है ;

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ङ) ब्रिक्वेटिंग और कार्बोनाइजिंग के कारखानों की प्राक्कलित लागत कितनी होगी और क्या मूल योजना में ही इनका उपबन्ध नहीं कर लिया गया था ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी नहीं। सरकार ने निश्चय किया है कि दोनों भाग एक साथ लगाये जायें ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

(ङ) ब्रिक्वेटिंग और कार्बोनाइजिंग के कारखानों की मल प्राक्कलित लागत ११ करोड़ रुपये है। इस सम्पूर्ण समेकित परियोजना की लागत के प्राक्कलनों में ही शामिल कर लिया गया था ।

†**श्री० न० रा० मुनिस्वामी :** क्या यह सच है कि लगभग ६ मास पूर्व केन्द्रीय सरकार ने इस काम से इंकार कर दिया था ? अब क्यों कि वह इस योजना को क्रियान्वित कर रहे हैं, तो क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस बीच लिग्नाइट को अचानक भभक उठने से बचाने के लिये उन्होंने क्या एहतियाती कार्यवाही की है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** प्रश्न के पहले भाग में जिस बात का संकेत किया गया है मैं उसे नहीं मानता। सरकार ने ब्रिक्वेटिंग और कार्बोनाइजिंग के कारखानों से सम्बन्धित इस योजना को क्रियान्वित करने से कभी इंकार नहीं किया है। मैंने सभा में भी यह बात स्पष्ट कर दी थी कि अग्रिम कारखाने में परीक्षण किये जा रहे हैं और उनके परिणामों के आधार पर अंतिम निर्णय किया जायगा। इस बीच वहां बिल्कुल भी लिग्नाइट खुले में नही पड़ी है और न उसके आग पकड़ लेने का ही कोई खतरा है। पता नहीं माननीय सदस्य ने यह धारणा कैसे बना ली ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[१]Briquetting and Carbonising Plants.

†**श्री सुब्बया अम्बलम्** : क्या इस ब्रिक्वेटिंग के कारखाने के लिये कुछ टेंडर मांगे गये हैं; यदि हां, तो उसके लिये कितनी विदेशी मुद्राओं की व्यवस्था करनी पड़ेगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जी नहीं, अभी हमने टेंडर नहीं मांगे हैं ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या ११ करोड़ रुपयों वाले मूल प्राक्कलनों का पुनरीक्षण किया गया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं यह तो नहीं कहूंगा, क्योंकि जब हम टेंडर मांगने जा रहे हैं तो मैं एकतरफा ढंग से यह तो कह नहीं सकता कि यह कम होगा या ज्यादा ।

†**श्री तंगामणि** : क्या एकीकृत योजना के अंग के रूप में ब्रिक्वेटिंग और कार्बोनाइज़िंग के ये कारखाने भी तापीय और उर्वरक के कारखानों के साथ ही साथ पूरे हो जायेंगे ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह सब कुछ तो उस देश पर निर्भर करेगा जिससे हम खरीदेंगे, और निर्माण के वास्तविक कार्यक्रम पर भी निर्भर करेगा । अभी जब कि हम इस कारखाने को लेने की संभावनाओं का पता लगाने को आये हैं तभी इसके पूरे होने के बारे में कोई निश्चित तारीख बताना कठिन है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि योजना आयोग ने यह सुझाव दिया है कि विदेशी मुद्राओं सम्बन्धी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये ब्रिक्वेटिंग और कार्बोनाइजिंग के कारखाने को न बनाया जाय ; यदि हां, तो सरकार ने विदेशी मुद्राओं की इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है क्योंकि सरकार इस योजना को क्रियान्वित करना चाहती है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं ने पहले ही इसका उत्तर देने का प्रयास किया था । लेकिन अब मैं यह उत्तर दे सकता हूं कि इस प्रश्न का अब अधिकतर शैक्षिक महत्व ही है । मैं कह चुका हूं कि हमने इसे क्रियान्वित करने का निश्चिय कर लिया है और हम इसके लिये मशीनें प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगा रहे हैं ;

†**श्री हेम बरुआ** : क्या योजना आयोग ने यह सलाह दी थी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : योजना आयोग भी सरकार का ही एक अंग है ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या यह सच है कि आस्ट्रेलिया सरकार ने ब्रिक्वेटिंग और कार्बोनाइजिंग के कारखाने ३ करोड़ रुपयों की रियायती दर पर देने का प्रस्ताव किया था, और यदि हां; तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : माननीय सदस्य ने जिस रूप में कहा है ठीक उस प्रकार के प्रस्ताव का तो मुझे पता नहीं है ।

†**श्री प्र० चं० बोस** : क्या ब्रिक्वेट्स तैयार करने वाले अग्रिम कारखाने ने ठीक से काम किया है और क्या कोई भारतीय निर्माता भारत में अग्रिम कारखाने की तरह के कारखाने तैयार कर सकता है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : अग्रिम कारखाना फिर भी अग्रिम कारखाना है और परीक्षणात्मक ढंग का है । इसलिये यह कहना कठिन है कि उसने सफलतापूर्वक काम किया है या नहीं । इसमें

---

†मूल अंग्रेजी में

कठिनाइयां सामने आई हैं लेकिन यह कठिनाइयां असामान्य प्रकार की नहीं हैं । जहां तक कि निर्माण करने वाले मुख्य संयंत्र का प्रश्न है, उसके संभरण के लिये हमें किसी विदेशी संभरण कर्त्ता का ही आश्रय लेना पड़ेगा । मुझे इस बात में संदेह है कि हमें नेवेली के लिये जिस आकार के संयंत्र की आवश्यकता उसके निर्माण की क्षमता और जानकारी देश में होगी भी या नहीं ।

†**श्री सुब्बया अम्बलम्** : क्या मूल कार्यक्रम के अनुसार टेंडर मार्च, १९५९ से पहले आ जाने चाहियें थे और आर्डर अक्तूबर, १९५९ के पहले ही दे दिये जाने चाहिये थे ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : हमारा इरादा तो यही था लेकिन हम इसे क्रियान्वित नहीं कर पाये ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या यह सच नहीं है कि यदि ब्रिक्वेटिंग और कार्बोनाइजिंग के कारखाने न खोले गये तो यह परियोजना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं होगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं इस बात में नहीं पड़ंगा क्योंकि अब तो हम यह निर्णय कर चुके हैं कि इसे क्रियान्वित किया जायेगा :

विदेश यात्रा के लिये विदेशी मुद्रा

+

†*३२८. { **श्री वें० प० नायर** :
श्री पुन्नूस :
श्री कोडियान :

क्या **वित्त** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की जांच पूरी हो गई है कि प्रमुख उद्योगपति विदेश जाने पर विदेशी मुद्रा की स्वीकृति राशि से अधिक किस प्रकार व्यय करते हैं; और

(ख) यह जांच कितने मामलों में आरम्भ की गयी थी ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). नौ मामलों में जांच आरम्भ की गई है । इन में से एक मामले में न्याय निर्णयन हो चुका है और दण्ड लागू कर दिया गया है । दो मामले न्यायनिर्णयनाधीन हैं और शेष मामलों में जांच अभी जारी है ।

†**श्री वें० प० नायर** : जिन आठ व्यक्तियों के खिलाफ़ अभी न्याय निर्णयन नहीं हुआ है उनके नाम क्या हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं उनके नाम बताने को तैयार हूं लेकिन न्याय निर्णयन चल रहा है ।

†**श्री वें० प० नायर** : यह तो बड़ा सीधा-सा प्रश्न है । यह मसला बड़ा गम्भीर है । हमारा एक प्रश्न गृहीत हो चुका है जो एक विशिष्ट उद्योगपति के नाम से है जिसे विदेशी मुद्राओं सम्बन्धी विनियमों का उल्लंघन करने के कारण पकड़ा गया था । इसलिये यह हिचक क्यों है ? यदि सरकार नाम बता दे तो .....

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब० रा० भगत :** मैं नाम बता सकता हूं पर न्यायनिर्णयन पूरा होने तक उनके खिलाफ़ लगाये गये आरोपों को प्रगट कर देना उचित नहीं होगा ।

†**श्री वें० प० नायर :** हम वह नहीं जानना चाहते । हम सिर्फ नाम जानना चाहते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इस पर विचार करूंगा । यह मसला आय-कर जांच आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में भी उठाया गया था ।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** वह दूसरी बात है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि आय-कर न अदा करने वालों के नाम प्रकाशित कर दिये जायें तो यह अन्य लोगों को ऐसा करने से रोकने की दृष्टि से उपयोगी होता । लेकिन, सरकार ने यह कहा कि उन लोगों को पकड़ना और जनता में उनके नाम जाहिर करना उचित नहीं होगा । उस बात को ध्यान में रखते हुये मैं यह सोच रहा हूं कि इस प्रश्न को पूछने और सभा को ये नाम बताये जाने की अनुमति दूं या नहीं । मैं इस प्रश्न पर पूरी तरह से विचार करूंगा कि ये नाम सभा को बताये जाने चाहियें या नहीं ।

†**श्री मोरारजी देसाई :** आय-कर अधिनियम में एक धारा ऐसी है जो नाम प्रकाशित करने का निषेध करती है । इसलिये जब तक वह अधिनियम अपने वर्त्तमान स्वरूप में मौजूद है, उन नामों को प्रकाशित करने के निदेश नहीं दिये जा सकते ।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) :** वह धारा ५४ है ।

†**श्री मोरारजी देसाई :** लेकिन, जहां तक मुझे पता है, इस मसले में ऐसी कोई बात नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** तब नाम बता दिये जायें ।

†**श्री मोरारजी देसाई :** लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें जांच हो रही है । उनमें नाम के अलावा और कुछ नहीं बताया जा सकता है । जिन मामलों में न्याय निर्णयन हो रहा है उनमें हम यह बता सकते हैं कि क्या दण्ड लगाया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अच्छी बात है । ये दोनों बातें बतायी जा सकती हैं ।

†**श्री ब० रा० भगत :** पहले हैं कलकत्ते की ११ क्लाइव रो के श्री एस० पी० जैन ।

†**अध्यक्ष महोदय :** न्याय निर्णयन चल रहा है । या पूरा हो चुका है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** न्याय निर्णय न चल रहा है बयान लेने का काम पूरा हो गया है, और अब हम प्रतिवेदन की प्रतीक्षा में हैं ।

फिर, बम्बई के देवीदयाल (सेल्स) प्राइवेट लिमिटेड के डाइरेक्टर श्री अमीर चन्द टी० गुप्ता हैं । जांच १२ मार्च, १९५८ को आरम्भ की गयी थी । कुछ जानकारी मांगने के लिये उनके नाम विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा १९ (२) के अधीन एक निदेश जारी किया गया है । उन्होंने इस निदेश का आंशिक रूप से उत्तर दिया है । और आगे के ब्योरे की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इनके बाद कलकत्ते के रीजेन्ट्स पार्क के ५, मूर एवेन्यू के श्री पी० एन० तालुकदार हैं। एक निदेश जारी किया गया था, उसका उत्तर भी मिल गया है। न्याय निर्णयन की कार्यवाही आरम्भ की गयी है ।

तब, नयी दिल्ली के एस्कोर्ट्स (एजेन्ट्स) प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डाइरेक्टर श्री एच० पी० नन्दा हैं। जांच अब पूरी हो गई है और न्याय निर्णयन की कार्यवाही आरम्भ की जा रही है ।

पांचवां नाम बम्बई के मर्केन्टाइल एण्ड इण्डस्ट्रीज़ डेवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के मैनेजिंग डाइरेक्टर श्री पी० एम० शाह का है। इस मामले में, न्याय निर्णयन पूरा हो गया है और ३५,००० रुपये का जुर्माना किया गया है ।

फिर, बम्बई के कोलाबा लैण्ड एण्ड मिल कम्पनी लिमिटेड के मैनेजिंग डाइरेक्टर श्री वी० जे० पिल्लानी हैं। जांच जारी है और बम्बई शाखा से तलाशी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अभी और कितने नाम हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत :** तीन और हैं। मैं नाम बता सकता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** अच्छी बात है ।

†**श्री ब० रा० भगत :** अन्य तीनों हैं बम्बई के लोहा और इस्पात व्यापारी श्री किशन चन्द सोमराज वासवानी और श्री इब्राहीम हिपतुल्ला और बम्बई के श्री के० लाल। इन तीनों के मामले में न्यायनिर्णयन-कार्यवाही चल रही है ।

†**श्री वें० प० नायर :** विदेशी मुद्राओं की मंजूरी देने से पहले इस बात का पता लगाने के लिये सरकार क्या एहतियात बरतती है कि विदेशों में उनके या उनके नियंत्रण में चलने वाली कम्पनियों के नाम कितनी विदेशी मुद्रायें मौजूद हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत :** हमें यह जानकारी हो तो हम उनके खिलाफ कार्यवाही न करें !

†**श्री वें० प० नायर :** बात यह नहीं है. . . । जब वे भारत से जाते हैं उससे या उनको विदेशी मुद्रायें देने से पहले सरकार उनको कम से कम इसका विवरण देने को बाध्य तो कर सकती है। यदि बाद में यह विवरण गलत पाया जाय तो उनके खिलाफ वह कार्यवाही कर सकती है। मैं यह पूछ रहा हूं कि कम से कम यह एहतियात बरता जाता है या नहीं ।

†**श्री मोरारजी देसाई :** किसी एहतियात की जरूरत नहीं है। वह इस बात को प्रगट करने के लिये बाध्य हैं। यदि वे प्रगट न करें, तो उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है । जब भी इस बात का पता चलेगा, उनके ऊपर मुक़दमा चलाया जा सकता है। यदि हम विवरण पहले भी मांग लें तो इससे अधिक कुछ नहीं किया जा सकता ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या किसी विदेशी बैंक से सम्पर्क स्थापित किया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** कोई बैंक यह जानकारी नहीं देगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वें० प० नायर** : अब तक जो जांच और पूछताछ की गयी है उसके आधार पर क्या सरकार को इस बात का कुछ अन्दाज हुआ है कि इन उद्योगपतियों ने छलपूर्ण ढंग से सरकार से छिपा कर विदेशी मुद्रा बचा रखी हैं, और यदि हां, तो इस प्रकार कुल कितनी राशि छिपाई गयी है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : यदि मुझे पता होता तो मैंने वह राशि ले ली होती ।

†**श्री वें० प० नायर** : मैं यह बता सकता हूं ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : माननीय सदस्य तो ऐसी बहुत सी बातें बता सकते हैं जो निराधार हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न से सिवाय इसके और कोई प्रयोजन पूरा नहीं हुआ है कि माननीय सदस्य उद्योगपतियों के खिलाफ़ जो कुछ कहना चाहते थे उन्होंने कह लिया ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह सच है कि हाल ही में पता चला है कि श्री गोयन्का के लड़के ने इन नियमों का अतिक्रमण किया है । उनका नाम मुझे इस सूची में नहीं मिला है । क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही आरम्भ की गयी है ।

†**श्री ब० रा० भगत** : जो नाम दिये गये हैं वह एक विशिष्टि वर्ग के बारे में हैं, अर्थात् उन लोगों के हैं जिन्हें हमने विदेशी मुद्रायें दी थीं और जिन्होंने उस से अधिक विदेशी मुद्रा यें व्यय कर दी हैं जितने की हमने उन्हें अनुमति दी थी । यह मामला दूसरी श्रेणी में आता है । यदि माननीय सदस्य पृथक प्रश्न पूछें तो मैं उन्हें यह जानकारी दे दूंगा ।

†**श्री वें० प० नायर** : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । जब मैं ने प्रश्न पूछा तो आपने यह कहा कि मैं उद्योगपतियों के खिलाफ़ कुछ कहना चाहता था । निश्चय ही मेरी मंशा यह नहीं थी । मैं उन्हीं उद्योगपतियों के खिलाफ़ कहना चाहता था जिन्होंने उपबन्धों का उल्लंघन किया है या राज्य के विरुद्ध कार्य किया है । मेरी बात पूरे उद्योगपति वर्ग के लिये नहीं थी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि वह सामान्य बात थी तो ठीक है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

छात्राओं को छात्रवृत्तियां

†*३१३. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छात्राओं को छात्रवृत्तियां देने के लिये ऐसी कौन सी राशि अलग की गयी है जो राज्यों से उतना ही अंशदान मांगे बिना उन्हें दे दी जायगी ;

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार को इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि दी गयी है ;

(ग) इस योजना के अधीन छात्राओं को स्कूलों में किस कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा दी जायगी; और

(घ) इस योजना को क्रियान्वित करने में राज्यों को सहायता देने के लिये कितनी राशि अलग की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) केवल छात्रवृत्तियों के लिये ही कोई राशि विशेष रूप से अलग नहीं की जाती है ।

(ख) १९५८–५९ में पूरी योजना के लिये ७ लाख रुपये दिये गये थे ।

(ग) यदि राज्य इसे दी गयी राशि में से ही करना चाहे तो आरम्भिक स्तर तक ।

(घ) द्वितीय योजना की अवधि के लिये २४० प्रति लाख रुपये ।

भारत में चाय बागानों की बिक्री

†*३१७. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योरोपीय लोग भारत के चाय बागानों को बेचकर उनकी बिक्री से प्राप्त रुपया ब्रिटेन ले जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो १९५८ में कुल कितना रुपया ले जाया गया है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार रुपया ले जाने के किसी प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: (क) जी हां, पिछले कुछ वर्षों में योरोपीय स्वामित्व वाले कुछ चाय बागान भारत में बिक गये हैं और उनकी बिक्री से प्राप्त रुपया ब्रिटेन ले जाया गया है ।

(ख) ८ लाख रुपये ।

(ग) जी नहीं ।

अण्दमान को परिवहन की व्यवस्था

†*३१९. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की मुख्य–भूमि से अन्दमान को यात्रियों और माल के यातायात के संबंध में वर्त्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या वर्तमान व्यवस्था को संतोषप्रद माना गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो स्थिति का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: (क) मुख्य भूमि/द्वीप समूह की रूट पर दो यात्री-व-मालवाही पोत, जिनके नाम हैं मोटर-पोत 'निकोबार' और मोटर-पोत 'अन्दमान्स', चलते हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मल गैस[१]

†*३२०. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में मल गैस का उपयोग पकाने के ईंधन के रूप में करने की संभावना का पता लगाने के लिये कोई गवेषणा की गयी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[१]Sewage Gas.

(ख) क्या किसी भी राज्य में मल-गैस का उपयोग प्रकाश और पकाने के ईंधन के रूप में किया जाता या जाने वाला है ; और

(ग) गैस से पकाने-रोशनी करने पर कितना खर्च पड़ता है ।

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबीर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष[1]

†*३२५. { **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** :
श्री नागी रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक मसलों पर भारत सरकार और रिजर्व बैंक से वार्षिक परामर्श करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का तीन सदस्यों का एक शिष्ट मन्डल भारत आया था ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन विषयों पर चर्चा की गयी ; और

(ग) क्या-क्या निर्णय किये गये हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुच्छेदों के अनुच्छेद १४(४) के अधीन, जिसमें यह विहित है कि यदि सदस्य-राष्ट्र चालू अन्तर्राष्ट्रीय सौदों में भुगतान और हस्तांरणों पर प्रतिबंध रखते हों तो प्रतिबंधों को लागू रखने के प्रश्न पर हर वर्ष विचार-विनिमय हुआ करे, एक शिष्ट मण्डल विचार विमर्श के लिये आया था । इसलिये, चर्चा मुख्य रूप से हमारे विदेशी-मुद्रा संबंधी प्रतिबंधों से संबंधित थी । लेकिन, शिष्ट मण्डल ने भारत की अर्थ-व्यवस्था का सामान्य रूप से अध्ययन भी किया ।

(ग) शिष्ट मण्डल का प्रतिवेदन अभी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के कार्यपालक-मण्डल को पेश होना बाक़ी है । इसलिये किसी निर्णय का तो अभी प्रश्न ही नहीं उठता ।

उच्चतर प्रौद्योगिकीय संस्था, मद्रास

*३२६. { **श्री नागी रेड्डी** :
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री त० ब० विट्ठलराव :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४६१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में उच्चतर प्रौद्योगिकीय संस्था के लिये ब्यौरेवार योजनायें पूरी हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो भवनों का निर्माण कब आरम्भ होगा ; और

(ग) १९५९ में छात्रों के प्रथम बैच की भर्ती के लिये क्या व्यवस्था की गयी है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) जी नहीं ।

(ख) कुछ भवनों का निर्माण आगामी वित्तीय वर्ष के अन्त तक आरम्भ होने की आशा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1]International Monetary Fund.

(ग) निम्नलिखित पाठ्यक्रमों, अर्थात् सिविल इंजीनियरिंग, मैकैनिकल इंजीनियरिंग, इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कैमिकल इंजीनियरिंग और मैटलर्जी, के लिये प्रत्येक में २०-२० छात्र भर्ती करने का विचार है ।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम

*३३०. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त निगम ने अपने कार्य में अब तक क्या प्रगति की है ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी, हां ।

(ख) शुरू में निगम ने सन् १९६४ से प्रतिवर्ष जापान को दो मिलियन टन कच्चा लोहा निर्यात करने के उदेश्य के लिये चुने हुये बिहार और उड़ीसा में किरीबुरू स्थान में कच्चे लो के शोषण का काम किया । एक खनन की योजना बनाने के लिये भूभंडारों की तादाद और लक्षण का निश्चय करने को भारतीय खनि विभाग के द्वारा इस क्षेत्र में विस्तृत पूर्वेक्षर्ण[1] का काम किया जा रहा है । सलाहकार चुन लिये गये हैं और विशेषज्ञों की एक टीम प्रोजैक्ट से सम्बन्धित प्रारम्भिक कार्य शुरु करने के लिये कार्य स्थान पर पहले ही चली गई है ।

राउरकेला के लिये आस्थगित भुगतान

†*३३१. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राउरकेला के इस्पात कारखाने के संबंध में आस्थगित भुगतान के लिये कितना ब्याज दिया जाना है ; और

(ख) इस ब्याज का हिसाब किस दर पर लगाया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) आस्थगित भुगतान व्यवस्था के अधीन नक़द के बदले में दिये गये पुरनोटों की बकाया रक़म पर छमाही ब्याज दिया जाता है । ७५ करोड़ रुपये के कुल कर्ज पर लगभग १३·५ लाक करोड़ रुपया ब्याज लगने की आशा है ।

(ख) ब्याज की दर ६ प्रतिशत प्रतिवर्ष है ।

वाणिज्यिक शिक्षा

†*३३२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १९ नवम्बर १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्त-विश्वविद्यालय बोर्ड, प्रविधिक शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक संयुक्त समिति द्वारा वाणिज्यक शिक्षा के पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार में और कितनी प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : समिति ने वाणिज्य की शिक्षा, वाणिज्य के स्नातकों और डिप्लोमाधारियों के रोजगार पाने संबंधी वर्तमान अवस्था

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1]Prospecting

और अन्य पहलुओं के बारे में व्यापक सर्वेक्षण आरम्भ किया है । इस प्रयोजन के लिये आवश्यक ब्यौरे वार जानकारी विश्वविद्यालयों, औद्योगिक और वाणिज्यिक फर्मों, सरकारी विभागों और विभिन्न अन्य संगठनों के नाम जारी की गयी प्रश्नावलियों के उत्तरों के रूप में संकलित की जा रही हैं।

इस्पात का आयात

†*३३३. **श्री पाणिग्रही :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने १९५९ में जापान और अमरीका से इस्पात का आयात करने का निश्चय किया है ;

(ख) क्या इस बात का निश्चय कर लिया गया है कि जापान और अमरीका से कितने-कितने इस्पात का आयात किया जायगा ; और

(ग) यदि हां, तो कितना-कितना ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) विशेष रूप से जापान और अमरीका से ही इस्पात का आयात करने का अभी कोई निश्चय नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

कोयला खानों की कर्म समितियां[१]

†*३३४. **श्री तंगामणि :** क्या **इस्पात खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के प्रबंध के अधीन वाली सभी कोलियरियों में, औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा ३ में विहित, कर्म समितियों का गठन कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो उन कोलियरियों का नाम क्या है जिनमें कर्म समितियों की स्थापना हो गयी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी नहीं, सभी कोलियरियों में नहीं ।

(ख) पुरानी ग्यारह में से तीन कोलियरियों में और सभी नयी कोलियरियों में, जो अभी विकसित ही हो रही हैं, कर्म समितियों की स्थापना नहीं हुई है । जहां तक तीनों पुरानी वाली कोयला खानों का प्रश्न है, उनमें से एक की कर्म समिति को क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के आदेश से भंग कर देना पड़ा था और नयी समिति गठित करने के लिये कार्यवाही चालू है । शेष दो में समितियों के लिये श्रमिकों के प्रतिनिधियों का चुनाव एक यूनियन द्वारा उठायी गयी आपत्ति की वजह से स्थगित कर देना पड़ा था और यह मामला क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के सुपुर्द कर दिया गया था, जिन्होंने अब अपना निर्णय दे दिया है । अब ये समितियां शीघ्र ही गठित कर दी जायेंगी ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[१]Works Committees.

अपराध निवारण सम्बन्धी केन्द्रीय ब्यूरो

†*३३५. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपराध रोकने तथा अपराधियों के उपचार के संबंधित मामलों में विभिन्न राज्यों के प्रयत्नों का समन्वय करने के लिए एक केन्द्रीय ब्यूरो स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी स्थापना कब की जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) जीं, हां ।

(ख) ब्यूरो की स्थापना के लिये कार्यवाही की जा रही है ?

मैग्नेसाइट

†*३३६. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या इस्पात खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अलमोड़ो जिले में हाल में मैग्नेसाइट के बड़े निक्षेप पाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो निक्षेपों की अनुमानित मात्रा क्या है ; और

(ग) क्या उस क्षेत्र में किसी अन्य खनिज के निक्षेप भी देखे गये हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० डे० मालवीय) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) इस क्षेत्र में प्रमाणित निक्षेपों की मात्रा लगभग २१ लाख टन है परन्तु संभावित मात्रा १०० लाख टन है ।

(ग) क्रिस्टेलाइन मैग्नेसाइट के अतिरिक्त वहां क्रिस्टेलाइन डोलोमाइट जो मैग्नेसाइट से बहुत मिलता है, चूने का पत्थर और कैल्साइट के स्फटिक, जो प्राय : मैग्नेसाइट के खण्डों में पाये जाते हैं, के निक्षेप भी यत्रतत्र फैले हुए हैं । इस प्रकार के खनिजों में तांबा भी मिलता है । चुने के पत्थर और डोलोमाइट के साथ मिले हुए शेल्स, क्वारटाइट्स तथा क्लोराइट शिस्ट्स भी मिलते हैं । इस जिले के अन्य भागों में सीसा और जस्त का होना भी बताया जाता है ।

श्री शान्ति प्रसाद जैन के लिये विदेशी मुद्रा

†*३३७. **श्री इ० मधुसूदन राव :**
श्री वें० प० नायर :
श्री पुन्नूस :
श्री कोडियान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री शान्ति प्रसाद जैन ने गत पांच वर्षों में कितनी विदेशी मुद्रा के लिए प्रार्थनापत्र दिये तथा उन्हें कितने की मंजूरी दी गई ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९७]**

---

†मूल अंग्रेजी में

फ्रैंच इंस्टीट्यूट आफ पैट्रोलियम द्वारा छात्रवृत्तियां

†*३३८. **श्री अजीत सिंह सरहदी :** क्या इस्पात खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पैरिस की फ्रैंच इंस्टीट्यूट आफ़ पेट्रोलियम ने भारतीय राष्ट्रजनों को सुविधायें तथा छात्रवृत्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसे स्वीकार कर लिया गया है और उसका ब्यौरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) और (ख) हां, श्रीमान् । फ्रांसीसी सरकार ने ८ भारतीय राष्ट्रजनों को तेल गवेषणा में और ५ प्रशिक्षणार्थियों को तेल-शोधन में प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियों का प्रस्ताव रखा था । छात्रवृत्तियों में एक ओर का मार्ग-व्यय और १२,००० रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी के आधार पर प्रत्येक अध्ययन कर्ता के लगभग एक वर्ष के निवास का खर्च सम्मिलित था । १९५७ में १३ प्रशिक्षणार्थी प्रस्तावित सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए प्रतिनियुक्त किये गये थे ।

बीच कैण्डी बम्बई

†*३३९. **श्री महन्ती :**
श्री नागी रेड्डी :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री पेरुलकर :
श्री झूलन सिंह :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री कोडियान :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशियों का बम्बई स्थित प्राइवेट क्लब बीच कैण्डी रंग भेद के कारण भारतीयों और अफ्रीकियों के साथ भेदभाव करता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने भारतीय भूमि पर ही भारतीयों के विरुद्ध चल रहे ऐसे रंगभेद प्रतिबंध को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) ज्ञात हुआ है कि बम्बई का ब्रीच कैण्डी नामक तैरने का तालाब एक न्यास द्वारा यूरोपीयों के लाभ के लिए बनाया गया था । उसकी सदस्यता यूरोपीयों तक ही सीमित है और उसका प्रबन्ध बम्बई नगर की विभिन्न यूरोपीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ९ सदस्यों की एक समिति द्वारा किया जाता है ।

(ख) मामला बम्बई सरकार के विचाराधीन है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर क्षेत्रीय परिषद्

†*३४०. श्री वाजपेयी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामकृष्ण :

क्या गृह-कार्य मंत्री उत्तर क्षेत्रीय परिषद् की चौथी बैठक, जो कि जयपुर में हुई थी, के निणयों को बताने वाला विवरण सभा-पटल पर रखेंगे ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : परिषद् की कार्यवाही तथा उस के द्वारा किये गये निर्णयों की प्रति तैयार होने पर संसद पुस्तकालय में रख दी जायेगी ।

भारतीय विमान बल

†*३४१. श्री उ० च० पटनायक : क्या प्रतिरक्षा मंत्री "संसार के विमान बल" (लेखक विलियम ग्रीन और जॉन फ्रिकर) नामक पुस्तक का उल्लेख करते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमान बल के सैनिक विमानों सम्बन्धी विस्तृत बातें जिनका उल्लेख उस पुस्तक में दिया गया है, ठीक है;

(ख) क्या हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि० के कार्यों, भारतीय समुद्री अड्डे तथा सहायक विमान बल की प्रगति के बारे में जो उल्लेख उस पुस्तक में किया गया है वह ठीक है;

(ग) भारतीय विमान बल के विकास के लिये आजकल क्या योजनायें हैं; और

(घ) किन साधनों से प्रकाशकों को इतनी विस्तृत जानकारी मिली ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया) : (क) से (घ). भारतीय विमान बल द्वारा आजकल जितने प्रकार के वायुयानों का उपयोग हो रहा है, हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट (प्राइवेट) लि० द्वारा बनाये गये अथवा बनाये जाने वाले वायुयानों के बारे में, और सहायक विमान बल के कार्यकलापों सम्बन्धी जानकारी जो कि उल्लिखित पुस्तक में दी गई है स्थूल रूप से सही है । भारतीय विमान बल के लिये जितने प्रकार के वायुयानों का अभी क्रय किया गया है उनकी जानकारी का प्रतिरक्षा मंत्रालय के वर्ष १९५६–५७ और १९५७–५८ में कार्य कलाप सम्बन्धी संक्षिप्त विवरण में, उल्लेख किया गया है । क्रय किये गये वायुयानों की संख्या, भारतीय विमान बल की विकास योजनाओं और भारतीय नौसेना के जलयान विभाग के बारे में विस्तृत जानकारी देना लोकहित की दृष्टि से ठीक नहीं है । सरकार को उन साधनों के बारे में कोई जानकारी नहीं है जिन से कि प्रकाशकों को यह सब विस्तृत सूचना मिली ।

अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्

*३४३. श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् को एक निदेशालय में परिवर्तित करने का विचार है जो कि मंत्रालय के साथ कार्य करेगा ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) एक पुनरीक्षण समिति ने, जिसमें राज्य सरकारों और शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि थे, और जिसकी स्थापना सरकार ने इस परिषद् के कार्यों की जांच करने के लिये इस परिषद् के तीन वर्ष समाप्त हो जाने के पश्चात् की थी, इस परिषद् के पुनर्गठन की सिफारिश की है । इस समिति ने सिफारिश की है कि एक निदेशालय की स्थापना की जाये जो शिक्षा मंत्रालय के साथ रहे और एक परामर्शदात्री परिषद बनाई जाये जिसमें सभी राज्य सरकारों के प्रतिनिधि हों । इस सिफारिश से राज्य सरकारें सहमत थीं, और इसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया था । पुनरीक्षण समिति का विचार था कि इस पुनर्गठित ढांचे से राज्य सरकारों का निकटतम सहयोग मिलने लगेगा ।

त्रिपुरा के राजनैतिक पीड़ित

†३४४. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के राजनैतिक पीड़ितों से सहायता के हेतु अब तक कितने प्रार्थना पत्र मिल चुके हैं;

(ख) कितने मामलों में सहायता दी गई; और

(ग) निलम्बित मामलों को निपटाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) १३ ।

(ख) ४ ।

(ग) केवल एक प्रार्थनापत्र जो गत मास ही प्राप्त हुआ था निलम्बित है । कुछ बातों के के बारे में जानकारी मिलना अभी शेष है ।

दिल्ली में लकड़ी के कोयले का मूल्य

*३४५. **श्री आसर :**
श्री खुशवक्त राय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी १९५९ के प्रथम सप्ताह में दिल्ली में लकड़ी के कोयले के मूल्य में आशा से अधिक वृद्धि हो गई थी; और

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण थे?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां ।

(ख) ट्रक मालिकों तथा ट्रक चालकों के बीच हुए कुछ झगड़ों के परिणामस्वरूप १५ जनवरी, १९५९ को नई दिल्ली में रेलवे साइडिंग पर मामूली सी हड़ताल हो गई थी जिसके फलस्वरूप माल-डिब्बों के आवागमन में रुकावट आ गई और वहां कुछ माल का जमाव हो गया । यह जमाव वहां १९ जनवरी तक रहा अतः रेलवे अधिकारियों को इस बात के लिये मजबूर किया गया कि वे अनावश्यक सामान के आवागमन पर प्रतिबन्ध लगा दें इस में लकड़ी का कोयला भी सम्मिलित था । यह प्रतिबन्ध

†मूल अंग्रेजी में

१८ जनवरी से लेकर २ फरवरी तक रहा जिसके फलस्वरूप लकड़ी के कोयले की सामान्य आमद कम हो गई और दिल्ली की मांग की पूर्ति न हो सकी ।

लोहा और इस्पात समानीकरण निधि

†*३४६. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० च० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोहा और इस्पात समानीकरण निधि में मुख्यतः कहां-कहां से धन आता है ;

(ख) इस निधि का किस प्रकार उपयोग किया जाता है; और

(ग) इस समय इसके पास कितनी निधि है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) लोहा और इस्पात की परिनियत बिक्री तथा प्रतिधारण मूल्य के अन्तर पर अतिभार से ।

(ख) आयातित लोहा और इस्पात के मूल्य की कमी पूरा करने, प्रविधिक सहयोग प्रशासन कार्यक्रम के अधीन प्रासंगीक प्रभार, इस्पात को फिर से दबाकर ठीक करने और असली मूल्य की कमी की पूर्ति करने, तथा लेखा विभाग संगठन पर यह धन व्यय किया जाता है ।

(ग) समानीकरण निधि संचित निधि का ही अंग है ।

सालरजंग संग्रहालय

†*३४७. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० च० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :
श्री राम कृष्ण :
श्री नागी रेड्डी :
श्रीमती पार्वती कृष्णा :
श्री अगाड़ी :
श्री सिद्धनंजप्पा :

क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद के सालरजंग संग्रहालय को लेने और उसे राष्ट्रीय संग्रहालय तथा पुस्तकालय में परिवर्तित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर सरकार ने अपना विचार समाप्त कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय हुआ;

(ग) क्या सरकार ने संग्रहालय तथा पुस्तकालय को अपने अधिकार में कर लिया है ; और

(घ) इस प्रस्ताव पर कितना धन व्यय होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) से (ग). जी हां। भारत सरकार ने २ दिसम्बर १९५८ से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निलम्बित आदेशों के होते हुए इस संग्रहालय तथा पुस्तकालय को ले लिया है।

(घ) संग्रहालय का नया भवन बनाने पर भारत सरकार का लगभग १० लाख रुपया व्यय होगा। संग्रहालय के प्रशासन पर प्रति वर्ष लगभग ३ लाख रुपये का आवर्ती व्यय होगा।

केरल में इस्पात पुनर्बेलन मिलें[1]

†*३४८. **श्री राम कृष्ण** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २ दिसम्बर, १९५८ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ४६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में इस्पात पुनर्बेलन मिलें स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय हुआ ?

†**इस्पात खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) यह निश्चित हो गया है कि केरल में एक इस्पात पुनर्बेलन मिल स्थापित की जाये। राज्य सरकार के परामर्श के आधार पर योजना की विस्तृत बातें अभी विचाराधीन हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

निर्वाचन आयोग का प्रतिवेदन

†*३४९. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री उस्मानअली खां :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला; और

(ग) यदि कोई है तो, निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये सुझावों को प्रभावी बनाने के लिये कोई विधि बनाने के हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : (क) से (ग). निर्वाचन आयोग ने भारत में १९५७ में हुए द्वितीय साधारण चुनाव के सम्बन्ध में बहुत से सुझाव दिये हैं जो सरकार के विचाराधीन हैं और सरकार द्वारा कोई निर्णय करने में अभी समय लगेगा।

केन्द्रीय मद्य निषेध समिति

†*३५०. **श्री सरजू पाण्डे :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पांगरकर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २४ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय मद्य निषेध समिति [illegible] न करने के बारे में निर्णय कर लिया गया है ,

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1]Steel Re-rolling Mills

(ख) यदि हां, तो इसका मुख्य कार्य क्या होगा;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) यह कब तक स्थापित होगी ?

गृह कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) से (घ) तक. इस मामले पर नेशनल डेवेलपमेंट कौंसिल की अगली बैठक में राज्यों के नुमाइन्दों के साथ बातचीत करने का विचार है।

एशिया के पुरातत्व वेत्ताओं का सम्मेलन

†*३५१. **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि पुरातत्व विभाग के केन्द्रीय मंत्रणा मंडल ने अपनी पिछली बैठक में सिफारिश की थी कि भारत में एशिया के पुरातत्ववेत्ताओं का एक सम्मेलन बुलाया जाय, इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : यह सम्मेलन १९६१–६२ में बुलाने का निश्चय किया गया है जिस से कि उस वर्ष में होने वाली पुरातत्व विभाग के शताब्दी समारोहों के अवसर पर यह हो और उस समारोह का अंग बन सके। पुरातत्व विभाग की केन्द्रीय मंत्रणा परिषद् की स्थायी समिति में इसकी विस्तृत बातों पर विचार किया जायगा।

केरल में लिगनाइट

†*३५२. **श्री वें० प० नायर :**
श्री पुन्नूस :
श्री कोडियान :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५८ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या १५०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को केरल राज्य में वरकल्लाई से कुत्तानद के विकास क्षेत्र में पृथ्वी नीचे मिलने वाले लिगनाइट के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस की विस्तृत बातें क्या हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) भारत के भूतत्व सर्वेक्षण द्वारा १९५३–५४ में जब कि उपयुक्त समय था वरकल्लाई के खेतों का सुव्यवस्थि मान चित्र बताया गया था तथा खदान की दृष्टि से उनकी जांच की थी। खुदाई कहने से पता चला है कि इस क्षेत्र में लिगनाइट नियमत रूप से नहीं पाया जाता।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता। कुत्तानद ऐसी जगह पर स्थित है जहां कि लिगनाइट नहीं मिलता।

---

†मूल अंग्रेजी में।

"कामचलाऊ" गोली

†*३५३. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने एक नयी "कामचलाऊ" गोली का विकास किया है जिससे कि वह हिंसक व उपद्रवी भीड़ का सामना कर सके;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका कहीं परीक्षण किया गया है; और

(ग) पहली गोलियों की तुलना में यह कैसी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी नहीं।

(ख) से (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

बौद्धगया में खुदाई

†*३५४. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बौद्धगया में कोई जापानी दल किसी स्थान की खुदाई कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उस स्थान की विस्तृत बातें क्या हैं; और

(ग) खुदाई के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) बौद्धगया में उस दल ने एक स्थान की खुदाई ११ जनवरी से ६ फरवरी १९५९ तक की।

(ख) बौद्धगया ग्राम के प्लाट संख्या २१०५ के ३० फुट लम्बे और ३० फुट चौड़े क्षेत्र की उन्होंने खुदाई की।

(ग) किसी किसी जगह उस दल ने उस स्थान की १४ फुट गहरी भी खुदाई की।

विलियर्स कोयला खान क्षेत्र

†*३५५. **श्री पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने उड़ीसा में तालचेर में विलियर्स कोयला खान क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह निवेदन किया है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम इस खान को अपने अधिकार में ले ले और खोदने का कार्य शुरू कर दे;

(ग) क्या राज्य सरकार की इस प्रार्थना पर उचित विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). जी हां।

(घ) राज्य सरकार को सूचना दे दी गई थी कि निगम के लिये यह संभव नहीं है कि वह उस पर अधिकार करे।

---

†मूल अंग्रेजी में

ज्वालामुखी में तेल

†*३५६. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री भक्त दर्शन :
श्री रामेश्वर टांटिया
श्री नवल प्रभाकर :
श्री पद्म देव :
श्री हेम राज :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री १९ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) ज्वालामुखी में तेल प्राप्त करने के लिये की गई खुदाई में और क्या प्रगति हुई है;

(ख) अब तक कितनी गहराई तक खुदाई हुई है;

(ग) क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या इस क्षेत्र में पाई जाने वाली प्राकृतिक गैस का कोई अनुमान लगाया गया है;

(ङ) प्राकृतिक गैस तथा तेल का अनुमान लगाने के लिये इस क्षेत्र में और कुंए खोदने के लिये क्या कार्यक्रम बनाया गया है;

(च) प्राकृतिक गैस को व्यापारिक धंधों में काम में लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(छ) इस परियोजना पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) तथा (ख). १० फरवरी, १९५९ को ज्वालामुखी के इन कुओं की गहराई अनुमानतः निम्नलिखित थी :

परीक्षण कुआं संख्या १	२८२६ मीटर
निर्माणाधीन कुआं संख्या २	७२५ मीटर
,, ,, ३	६६० मीटर
,, ,, ४	८५४ मीटर

(ग) गैस दो किनारों पर प्राप्त हुई जिसका परीक्षण ज्वालामुखी के परीक्षण कुएं में किया गया ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) इस गैस क्षेत्र की उपलब्धि का परीक्षण करने के लिये ज्वालामुखी के अन्य दूसरे सुराखों का परीक्षण करने का विचार है ।

(च) यहां प्राप्त होने वाली गैस का जब पूरा पूरा अनुमान लग जायगा तभी इस का उपयोग व्यापारिक उद्योग धंधों में करने के बारे में कुछ कहा जा सकता है ।

(छ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में रत्नागिरी में खुदाई कार्य

*†३५७. **श्री बै० च० मलिक :**
श्री प्र० के० देव :
श्री बि० चं० प्रधान :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के कटक जिले में रत्नागिरी में खुदाई का कार्य फिर से प्रारम्भ हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो ३१ जनवरी, १९५९ तक वहां किस प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुईं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां ।

(ख) जो कुछ प्राप्त हो चुका है उस में और भी अधिक वृद्धि हुई है किन्तु उनका निर्वचन एवं ऐतिहासिक तथ्यता बताना उसी समय संभव हो सकेगा जबकि खुदाई कार्य पूरा हो जाता है और उसका अंतिम प्रतिवेदन तैयार हो जाता है ।

त्रिपुरा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को कानूनी सहायता

†*३५८. **श्री दशरथ देव** : क्या **विधि** मंत्री ६ मई, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २०३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धन मुकद्दमा लड़ने वालों को कानूनी सहायता देने के सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: (क) जी हां । त्रिपुरा सरकार ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के व्यक्तियों को विधिक सहायता देने की व्यवस्था के लिये वर्ष १९५८–५९ में ३००० रुपये की राशि स्वीकृत की है । पिछड़े वर्गों की कल्याण योजना के अधीन इन लोगों को विधिक सहायता देने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विश्वविद्यालय शिक्षा

†*३६०. **श्री राम कृष्ण :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री महन्ती :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० च० सामन्त :
श्री सुबिमन घोष :

क्या **शिक्षा** मंत्री १८ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विद्यार्थियों को जो विश्वविद्यालय की परीक्षा प्राप्त करने के लिये उपयुक्त नहीं हैं और जिन में अध्यवसाय की भावना नहीं है उन को विश्वविद्यालय में भर्ती न करने के प्रस्ताव के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उन विद्यार्थियों को जिन्हें विश्वविद्यालय में दाखिला लेने से रोका जायेगा उनके लिये कोई वैकल्पिक पाठ्यक्रम का सुझाव दिया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) तथा (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभी तक विश्वविद्यालयों से आंकड़े एकत्रित करने में लगा हुआ है। आयोग इस के बारे में तभी विचार करेगा जबकि इस सम्बन्ध में सभी विश्वविद्यालयों से उत्तर प्राप्त हो जाते हैं तथा योजना आयोग जनशक्ति समिति की सिफारिशें प्राप्त हो जाती हैं।

दिल्ली के स्कूलों में अध्यापकों का वेतन

†*३६१. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री राम कृष्ण :
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री वाजपेयी :
श्री आसर :
श्री वासुदेवन् नायर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली राज्य अध्यापक संघ ने दिल्ली के सहायता प्राप्त स्कलों के बहुत से अध्यापकों को कई महीने से वेतन न मिलने के सम्बन्ध में सरकार को अभ्यावेदन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इन वेतनों के भुगतान में देरी करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां।

(ख) मुख्यत: इन स्कूलों के गैर-सरकारी प्रबन्धकों की आर्थिक स्थिति ठीक न होने तथा आवर्तक व्यय की पूर्ति न हो सकने के कारण ही उनका वेतन नहीं दिया गया।

(ग) गैर-सरकारी स्कूल के प्रबन्धकों को सहायता देने की दृष्टि से यह निश्चित किया गया है कि इन को प्रत्येक तिमाही का सहायता अनुदान उस तिमाही का वेतन बांटने से पूर्व ही दे दिया जाये। आशा है कि यह व्यवस्था स्कूल प्रबन्धकों को अपने यहां अध्यापकों का वेतन नियमित रूप से भुगतान करने में सहायता देगी।

यूथ होस्टल

†*३६२. **श्री पाणिग्रही** : क्या **शिक्षा** मंत्री १८ दिसम्बर, १९५८ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या २१०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को अपने यहां यूथ होस्टल बनवाने के लिये कोई और अनुदान दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को कितना धन दिया गया है ?

†**शिक्षा मत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मल अंग्रेजी में

कुतब मीनार के निकट सिक्कों का पाया जाना

†*३६३. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कुतब मीनार की लान में एक नये भवन का निर्माण करने के हेतु उसकी नींव खोदने के समय अभी हाल में वहां बहुत से सिक्के पाये गये हैं ; और

(ख) क्या उन का अध्ययन किया गया है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) तथा (ख). जी, हां ।

औषधियों के नमूनों पर सीमा शुल्क

†*३६४. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० च० सामन्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से भारत के प्रयोग के लिये भेजे जाने वाले औषधियों के नमूनों पर सीमा शुल्क लिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो जब उस का कोई मूल्य ही नहीं लिया जाता तो शुल्क कैसे निर्धारित किया जाता है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: (क) जी हां। प्रयोगात्मक रूप से भेजे जाने वाले औषधियों के नमूनों पर सीमा शुल्क लिया जाता है । जब उनका मूल्य नगन्य होता है और वे 'आर्डर' प्राप्त करने के लिये भेजे जाते हैं तो वाणिज्यिक नमूनों और विज्ञापन सामग्री के आयात को प्रोत्साहन देने के लिये १९५२ के अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के अनुकूल सीमा शुल्क से छूट दे दी जाती है ।

(ख) समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम की धारा ३० के अन्तर्गत उनके असल मूल्य का पता लगा कर मूल्यानुसार दर पर सीमा शुल्क लिया जाता है । इस धारा के अन्तर्गत किसी वस्तु का निरधार्य असल मूल्य उस के लिये चुकाये गये मूल्य के आधार पर निश्चित नहीं किया जाता है ।

संघ लोक सेवा आयोग

†३७०. **श्री राम कृष्ण** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में संघ लोक सेवा आयोग के पास विभिन्न नौकरियों के लिये कुल कितने व्यक्तियों ने आवेदन पत्र भेजे ;

(ख) उन से कुल कितना प्रवेश शुल्क प्राप्त हुआ;

(ग) १९५८ में इन नौकरियों के लिये कुल कितने लोगों ने इन्टरव्यू किया ;

(घ) अब तक इन नौकरियों के लिये कुल कितने व्यक्ति चुने गये हैं; और

(ङ) चुने गये व्यक्तियों में से अब तक कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ङ). अपेक्षित जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है, मिलने पर इसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दुर्गापुर का इस्पात कारखाना

†३७१. **श्री राम कृष्ण :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर के इस्पात कारखाने के प्रारम्भिक परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये कितनी राशि दी गई थी; और

(ख) इस में विदेशी मुद्रा का कितना अंश था ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख) दुर्गापुर इस्पात कारखाने के लिये कोई प्रारम्भिक परियोजना प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया था। कारखाने का मूल प्राक्कलन जनवरी, १९५६ में इंडियन स्टील वर्कर्स कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किये गये मूल्यों के सारांश आदि पर आधारित था। इस के लिये कम्पनी को कोई फीस नहीं दी गई थी।

पंजाब को कोयले का आवंटन

†३७२. **श्री राम कृष्ण :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में पंजाब राज्य को विभिन्न वर्गों का कुल कितना-कितना कोयला आवंटित किया गया था; और

(ख) उसी अवधि में वास्तव में प्रत्येक वर्ग का कितना-कितना कोयला सप्लाई किया गया ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिस में बताया गया है कि पंजाब राज्य में राज्य सरकार के नियंत्रण अधीन विभिन्न उद्योगों के लिये प्रत्येक मास कितना कोयला आवंटित किया गया तथा भेजा गया। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९८]** इस में वे उद्योग शामिल नहीं जिनका नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के अधीन है और जिनके लिये कोयला केन्द्रीय प्राधिकारियों की सिफारिश पर आवंटित किया जाता है।

भारतीय प्रशासन सेवा स्कूल

†३७३. **श्री राम कृष्ण :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय प्रशासन सेवा स्कूल के कर्मचारियों और प्रत्येक सैशन में भारतीय प्रशासन सेवा प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों की संख्या बढ़ा दी है; और

(ख) यदि हां, तो यह वृद्धि किस प्रकार की है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) जी हां।

(ख)

	अध्यापकों की संख्या	अन्य कर्मचारियों की संख्या	प्रशिक्षणार्थियों की औसत संख्या
१९४७—५४	४	१२	३०—४०
१९५५—५८	१०	१९	७०—८०

†मूल अंग्रेजी में

उत्पादन शुल्क

†*३७४. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८ में (राज्यवार) संघ उत्पादन शुल्क की कुल कितनी वसूली की गई ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९९**]

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ऋण

†*३७५. **श्री राम कृष्ण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८ में वाशिंगटन के अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारतीय उपक्रमों को कुल कितनी राशि ऋण के रूप में दी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : कुछ नहीं ।

म्यूटिनी मेमोरियल रोड (नई दिल्ली)

†३७६. **श्री केशव** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या म्यूटिनी मेमोरियल रोड, नई दिल्ली पर कोई स्मारक बना हुआ है;

(ख) यदि हां, तो वह स्मारक किस प्रकार का है; और

(ग) यह कहां स्थित है ।

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी हां । परन्तु इस सड़क का नाम म्यूटिनी मेमोरियल रोड की बजाय झांसी की रानी रोड रख दिया गया है और वह नई दिल्ली में नहीं बल्कि दिल्ली में है ।

(ख) यह स्मारक दिल्ली फील्ड फोर्स के उन भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों की याद में लाल पत्थरों के एक मीनार के रूप में बनाया गया है जो लड़ते हुए अथवा घायल हो कर ३० मई और २० सितम्बर, १८५७ के बीच मरे थे ।

(ग) यह स्मारक झांसी की रानी रोड पर, जिसे जीतगढ़ कहते हैं, स्थित है ।

युद्ध सामग्री कारखानों के श्रमिक

†*३७७. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५९ को विभिन्न प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में कितने प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी और औद्योगिक श्रमिक (असैनिक) काम कर रहे थे; और

(ख) उनका अलग-अलग वार्षिक वेतन बिल कितना होता था ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

युद्ध सामग्री कारखानों में किया गया काम

†३७८. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ और १९५७–५८ में युद्ध सामग्री कारखानों में सैनिकों और असैनिकों के लिये जो काम किया गया उसका कुल मूल्य क्या है ; और

(ख) १९५९–६० में कितना काम होने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) यदि यह मान लिया जाय कि १९५६–५७ में काम की मात्रा १०० थी तो १९५७–५८ में १२८ थी और १९५८–५९ में १४३ ।

(ख) १९५९–६० में जो काम होने की सम्भावना है वह लगभग १७५ होगा । असल आंकड़े बताना जन हित में नहीं है ।

राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान, लखनऊ

†३८०. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान, लखनऊ में पौधों पर किये गये प्रयोगों में कितनी सफलता मिली है; और

(ख) प्रयोगों के फलस्वरूप क्या आविष्कार किय गये ?

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायन् कबिर) : (क) और (ख) सभा की मेज पर एक विवरण रखा जा रहा है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १००**]

बिना पार-पत्र के लोगों की गिरफतारी

†३८१. { **श्री पांगरकर** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि १९५७–५८ में आसाम और पश्चिमी बंगाल में कितने एसे व्यक्ति गिरफ्तार किये गये जो बिना पार-पत्र के पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पार करके पाकिस्तान जाकर पुनः भारत आये थे ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

बम्बई में शिक्षा विकास कार्यक्रम

†३८२. **श्री पांगरकर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में बम्बई राज्य को शिक्षा विकास कार्यक्रम के लिये अब तक कुल कितनी राशि आवंटित की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: बम्बई राज्य के शिक्षा विकास कार्यक्रम (जिस में टक्नीकल शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियां भी शामिल हैं) के लिये योजना में जो २२.९७ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी उस में से वर्षानुसार निम्नलिखित आवंटन किया गया :—

१९५६–५७	२.९२ करोड़ रुपये
१९५७–५८	३.७१ करोड़ रुपये
१९५८–५९	४.३६ करोड़ रुपये

१९५९–६० के लिये योजना आयोग ने ६.२० करोड़ रुपये की उच्चतम सीमा निश्चित की है ।

१९५६–५७ और १९५७–५८ में क्रमवार, २.०६ करोड़ और ३.१२ करोड़ रुपये खर्च किये गये । पुनरीक्षित प्राक्कलनों से पता चलता है कि १९५८–५९ म ४.२५ करोड़ रुपये खर्च होने की सम्भावना है ।

मिनिकाय द्वीप समूह में पीने के पानी का संभरण

†३८३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिनिकाय द्वीपसमूह में पीने के पानी का संभरण करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है और वह किस प्रकार की है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) मिनिकाय द्वीप समूह के लिये ऐसी कोई योजना नहीं है क्यों कि वहां पीने के पानी की कमी नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारतीय जहाजों से विदेशी मुद्रा की आय

†३८४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७ और १९५८ में (अलग-अलग) भारतीय जहाजों से विदेशी मुद्रा की कितनी आय हुई ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : विदेशों में चल रही प्रमुख भारतीय जहाज़ी कम्पनियों की १९५७ की सकल आय २३,९२ लाख रुपये थी । इन जहाज़ी कम्पनियों का सारा खर्च निकाल कर शुद्ध आय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । १९५८ के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

शिक्षा मंत्रालय के अधीन समितियां तथा आयोग

†३८५. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री पांगरकर :

क्या शिक्षा मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह जानकारी हो कि :

(क) १ अगस्त, १९५८ से ३१ जनवरी, १९५९ तक शिक्षा मंत्रालय के अधीन किन-किन आयोगों और समितियों ने काम किया; और

(ख) प्रत्येक समिति ने क्या काम किया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०१]

काश्मीर का भू तत्वीय सर्वेक्षण

†३८६. श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५७–५८ में काश्मीर में किये गये भूतत्वीय सर्वेक्षणों के प्रतिवेदनों का परीक्षण किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) १९५७–५८ में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा किये गये अनुसंधान सम्बन्धी खोज के छः प्रतिवदन तैयार हो चुके हैं। इन में से तीन का परीक्षण किया जा चुका है और शेष तीन की छानबीन भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग में की जा रही है।

(ख) इन अनुसन्धानों के फलस्वरूप १९५८–५९ के 'फील्ड सीजन' में निम्नलिखित सम्बन्धी गहन कार्य करने का विचार है:

(१) रियासी क्षेत्र में चूने का पत्थर।

(२) जंगलगली और कालाकोट क्षत्रों में कोयला।

(३) जिला डोडा में रामबन और आसद क्षेत्रों में जिप्सम के निक्षेप।

(४) रियासी और रामसू क्षत्रों में विभिन्न कच्ची अलौह धातुएं अर्थात् तांबा, सीसा, जस्त आदि।

प्रतिलिपि विभाग, दिल्ली

†३८७. श्री सरजू पांडे : क्या गृह-कार्य मंत्री २४ तिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रतिलिपि विभाग, दिल्ली के कर्मचारियों की संख्या निश्चित की है; और

(ख) बकाया काम को पूरा करने के लिये कितने अतिरिक्त अस्थायी कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त): (क) अभी नहीं। फौजी और दीवानी अदालतों के लिये प्रतिलिपि विभाग को दो शाखाओं में बांट देने के बाद काम की मात्रा को देखते हुए इसका फैसला किया जायगा।

(ख) बकाया काम को पूरा करने के लिये अस्थायी रूप सें कोई अतिरिक्त कर्मचारी नहीं रखे गय हैं परन्तु गत वर्ष सितम्बर में बकाया काम को पूरा करने के लिये एक विशेष आन्दोलन चलाया गया था जिस में चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के कार्यालयों के २५० क्लर्कों की सेवायें प्राप्त की गई थीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

दुर्गापुर के इस्पात कारखाने के लिये भर्ती

†३८८. **श्री राजेन्द्र सिंह :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने के प्रबन्धक केवल दुर्गापुर के काम दिलाऊ दफतर से ही मुलाजिम रखते हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** दुर्गापुर इस्पात कारखाने के लिये उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध होने पर स्थानीय काम दिलाऊ दफतर से भर्ती की जाती है। समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर भी भर्ती की जाती है। २०० रुपये मासिक अथवा अधिक वेतन की केन्द्रीय सरकार की सभी नौकरियों की सूचना काम दिलाऊ दफतरों को पुनर्नियोजन तथा रोजगार महा निदेशक के केन्द्रीय समन्वय सैक्शन के द्वारा भारत के सभी काम दिलाऊ दफ्तरों को सूचना भेजते हैं ताकि रजिस्टर शुदा सभी उपयुक्त उम्मीदवारों के बारे में विचार किया जा सके।

इंजीनियरों, स्नातक शिशिक्षुओं और उच्च पदाधिकारियों की भर्ती सरकारी क्षेत्र के तीनों इस्पात कारखानों के लिये हिन्दुस्तान स्टील एक साथ करता है।

बंगलौर में भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् का मुख्यालय

†३८९. **श्री केशव :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् का द्वितीय मुख्यालय दक्षिण में बंगलौर में रखने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस सिलसिले में क्या प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पवन सुरंग परियोजना

†३९०. **श्री राम कृष्ण :**
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में भारतीय विज्ञान संस्था में पवन सुरंग परियोजना को पूरा करने की योजना के बारे में अन्तिम निर्णय हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) :** (क) और (ख). वैज्ञानिक तथा औद्योगिक परिषद ने बंगलौर में लगभग एक करोड़ रुपया खर्च करके ट्रांजोनिक / सुपरसौनिक पवन सुरंग बनाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। यह सुरंग बंगलौर में भारतीय विज्ञान संस्था में नहीं बल्कि हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के निकट किसी उपयुक्त स्थान पर बनाई जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

पवन सुरंग परियोजना का काम निम्नलिखित तीन प्रावस्थाओं में किया जायेगा :—

प्रथम प्रावस्था—एक 'स्केल पाइलट' सुरंग का निर्माण ।

द्वितीय प्रावस्था—पूरी सुरंग के अंगों का एक विस्तृत नमूना और ६ भागों में पवन सुरंग ।

तृतीय प्रावस्था—पूरी सुरंग का असल निर्माण ।

प्रथम और द्वितीय प्रावस्था का काम भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर के वैज्ञानिक इंजीनियरिंग विभाग द्वारा आरम्भ किया जायेगा और इस काम के लिये ३.५० लाख रुपये के अनुदान की स्वीकृति दी जा चुकी है ।

तृतीय प्रावस्था का काम एक इंजीनियरिंग दल द्वारा किया जायेगा जो प्रथम प्रावस्था का कार्य शुरू हो जाने के छः मास बाद संगठित किया जायेगा । तब ही तृतीय प्रावस्था के प्रावस्थाभाजित कार्यक्रम के बारे में निर्णय किया जायेगा और पूरी सुरंग का निर्माण आरम्भ होगा ।

अमरीका के साथ भुगतान शेष की स्थिति

†३९१. **श्री राम कृष्ण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका के साथ भारत के भुगतान शेष की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) यदि यह प्रतिकूल है, तो उसे ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल—सितम्बर, १९५८ में अमरीका के साथ भारत के भुगतान शेष में २१.७ करोड़ रुपये का घाटा था । निम्नलिखित तालिका से १९५७ की तत्स्थानी अवधि की अपेक्षा वर्तमान स्थिति का पता चलता है :—

(करोड़ रुपये)
अप्रैल—सितम्बर

	१९५८	१९५७
आयात भाड़े सहित मूल्य	७८.६	१३२.४
(क) गैर-सरकारी	२३.२	४१.८
(ख) सरकारी	५५.४	९०.६
निर्यात, नौतल पर्यन्त निःशुल्क	३४.१	४१.७*

*७४.४ करोड़ रुपये की चांदी के निर्यात को छोड़ कर जो ऋण-पट्टा दायित्वों की आंशिक पूर्ति करते हुए निर्यात की गई थी ।

†मूल अंग्रेजी में

व्यापार शेष	–४४.५	–९०.७
सरकारी अंशदान	१५.५	४.९
अन्य अप्रत्यक्ष (शुद्ध)	७.३	६.५
चालू लेखा (शुद्ध)	–२१.७	–७९.३

(ख) देश के सामूहिक भुगतान शेष में कमी को पूरा करने के लिये यह कार्यवाही की जा रही है (क) आयात नीति कड़ी करना (ख) निर्यात बढ़ाना और (ग) अधिक विदेशी सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न करना। जब तक कमी को पूरा करने के लिये साधन न जुटाये जायें तब तक किसी देश अथवा देशों के किसी गुट्ट के साथ भुगतान सन्तुलन में घाटा होने का कोई महत्व नहीं है।

राष्ट्रमंडल छात्रवृत्तियां तथा अधिछात्रवृत्तियां

†३९२. **श्री राम कृष्ण : क्या शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमंडल छात्रवृत्तियों तथा अधिछात्रवृत्तियों सम्बन्धी नई योजना के बारे में निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बर्दवान में विश्वविद्यालय

†३९३. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बर्दव न में एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहती है ;

(ख) क्या इस बारे में बंगाल सरकार से परामर्श किया गया है; और

(ग) इमारतों की लागत और आवर्त्तक व्यय का अनुमान क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री(डा० का० ला० श्रीमाली)** :(क) भारत सरकार के समक्ष ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है। विश्वविद्यालय की स्थापना पश्चिमी बंगाल सरकार को करनी होगी।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

पश्चिमी बंगाल के कालेजों के अध्यापक

†३९४. **श्री रामेश्वर टांटिया : क्या शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल के कालेजों के अध्यापकों का एक शिष्टमंडल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभापति को वेतन वृद्धि के लिये मिला था ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कालेजों और स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-क्रम बढ़ाने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राज्य सरकार के सहयोग से कार्यवाही की है।

भारतीय आदिम जाति सेवक संघ

†३९५. **पंडित द्वा० ना० तिवारी**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय आदिम जाति सेवक संघ ने आजीवन सदस्य की एक अखिल भारतीय पदालि आरम्भ की है जिसके सदस्य कुछ समय तक आदिम जातियों की सेवा करने की प्रतिज्ञा करते हैं;

(ख) क्या यह प्रणाली राज्य स्तर पर लागू की जायेगी; और

(ग) क्या सरकार ने इस योजना के लिए आवश्यक खर्च करना स्वीकार कर लिया है?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) भारत सरकार ने भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के आजीवन सदस्यों की अखिल भारतीय पदालि के लिये १९५८–५९ के लिये ३२,००० रुपये सहायक अनुदान देना स्वीकार किया है।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की कार्यपालिका परिषद्

†३९६. **श्री वें० प० नायर**: क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की कार्यपालिका परिषदों के सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता है उनका मानदेय, स्थायी, यात्रा अथवा अन्य भत्ते कितने-कितने होते हैं ;

(ख) पहले पहल नामों की सिफारिश कौन करता है; और

(ग) क्या उपरोक्त कार्यपालिका परिषदों के सदस्यों की नवीनतम सूची सभा-पटल पर रखी जायगी?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् के नियमों के अन्तर्गत वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा के डायरेक्टर जनरल, राष्ट्रीय प्रयोगशाला के डायरेक्टर और वित्तीय मंत्रणाकार राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के कार्यपालिका परिषदों के पदेन सदस्य हैं। अन्य सदस्य इस आधार पर चुने जाते हैं कि वे कितने विख्यात और उपयुक्त हैं। सदस्यों को कोई मानदेय अथवा स्थायी भत्ता नहीं दिया जाता है। इसी प्रकार की अन्य सरकारी समितियों के लिये बनाये गये नियमों के अनुसार उन्हें केवल यात्रा भत्ता और किसी स्थान पर ठहरने के लिये दैनिक भत्ता दिया जाता है।

(ख) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् के प्रेजीडेंट तथा वाइस–प्रेजीडेंट द्वारा विचार किरने के लिये डायरेक्टर जनरल प्रस्थापनायें तैयार करता है। उसके पश्चात्

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रस्थापनायें परिषद् के शासी निकाय को भेज दी जाती हैं। इस अवस्था में शासी निकाय का कोई भी सदस्य अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर सकता है।

(ग) जी हां। एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०२]

जीवन बीमा निगम

†३९७. **श्रीमती इला पालचौधरी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जीवन बीमा निगम ने १९५८ में बीमाधारियों की मृत्यु होने पर कुल कितनी राशि चुकायी, इसी सम्बन्ध में यह राशि १९५७ में कितनी थी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** :

१९५८	६५४.७० लाख रुपये*
१९५७	७८९.१० लाख रुपये**

* ये आंकड़े अन्तर्कालीन हैं।

** ये आंकड़े उन मृत्युओं से सम्बन्ध रखते हैं जो १ सितम्बर १९५६ से ३१ दिसम्बर १९५७ तक हुईं। १९५७ के पत्री वर्ष के पृथक् आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

बाल गृहों को वित्तीय सहायता

†३९८. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है यक कुछ सामाजिक संस्थायें, जो अवैध बालकों का पालन पोषण और संरक्षण करती हैं उन्होंने केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). जी नहीं। निस्संदेह केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से उक्त प्रकार की संस्थाओं ने सहायता की प्रार्थना की है। बोर्ड ने उन्हें प्रारम्भ से लेकर जनवरी १९५९ तक ११,७४,७७० रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है।

हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड में डायरेक्टर की नियुक्ति

†३९९. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात श्रमिकों के किसी प्रतिनिधि को हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड का डायरेक्टर नाम निर्देशित कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिनिधि का नाम क्या है; और

(ग) यह नामनिर्देशन किस आधार पर किया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क), (ख) और (ग). इस्पात, श्रमिकों के किसी प्रतिनिधि को हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड का डायरेक्टर नहीं नियुक्त किया गया है। जमशेदपुर के एक श्रमिक नेता श्री माईकल जॉन, जो संसद् सदस्य भी हैं, को कम्पनी का डायरेक्टर नाम निर्देशित किया गया है। उन्हें इस्पात श्रमिकों के प्रतिनिधि के रूप में डायरेक्टरों के बोर्ड में नियुक्त नहीं किया गया है अपितु इस कारण नियुक्त किया गया है कि उन्हें इस्पात, उद्योग और श्रमिकों के सम्बन्ध में अच्छी जानकारी है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

४००. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को कुल कितना अनुदान दिया गया;

(ख) क्या इस विश्वविद्यालय में अनुदानों के उपयोग के बारे में कुछ अनियमितता हुई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) पिछले पांच वर्षों (१९५३–५४ से १९५७–५८) में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को दिये गये अनुदानों की कुल राशि १,७२,२८,१५८.९७ रुपये है।

(ख) और (ग). इन अनुदानों के उपयोग करने में अभी तक किसी अनियमितता की ओर ध्यान नहीं दिलाया गया है, फिर भी लेखा-परीक्षकों ने कुछ भारी अनियमितताओं की ओर संकेत किया है, जिन पर विश्वविद्यालय के अधिकारियों और लेखा-परीक्षकों में विमर्श हो रहा है और उन्हें यथाशीघ्र ठीक करने की कोशिश की जा रही है।

भारत के संविधान का द्विभाषी संस्करण

४०१. **श्री भक्त दर्शन** : क्या विधि मंत्री २८ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के संविधान का द्विभाषी संस्करण अब जनता के लिए उपलब्ध कर दिया गया है;

(ख) अंग्रेजी के संस्करण और हिन्दी के पहले संस्करण की तुलना में द्विभाषी संस्करण का मूल्य क्या है; और

(ग) इसे अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या-कार्यवाही की गई है?

विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस) : (क) प्रतियां अब तैयार हो गई हैं और जनता में बेचने के लिए कुछ ही दिनों में भेज दी जायेंगी।

(ख) द्विभाषी संस्करण का मूल्य ४ रुपये २५ नये पैसे, अंग्रेजी संस्करण का मूल्य ६ रुपये २५ नये पैसे और पिछले हिन्दी संस्करण का मूल्य १ रुपये ६२ नये पैसे है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) साधारण जनता को इस प्रकाशन की सूचना देने के लिए इसका विज्ञापन अंग्रेजी और हिन्दी के समाचारपत्रों के जरिये विस्तृत रूप से किया जायेगा ।

लोक सहायक सेना

†४०२. **श्री मोहम्मद इलियास** : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १२ दिसम्बर, १९५८ को पश्चिम बंगाल, हावड़ा के दुनजार जुबली मैदान में लोक सहायक सेना के दो दलों में मुठभेड़ हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) और (ख). रस्सा खींचते समय, ११ दिसम्बर १९५८ को, दो प्रशिक्षणार्थी दलों में मामूली झड़प हो गई। जिसका निपटारा जूनियर कमीशन्ड अफीसरों ने कर दिया था। इस सम्बन्ध में तत्पश्चात् कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

तस्कर व्यापार

†४०३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सोने के स्थान पर पश्चिम पाकिस्तान से 'तिला' और 'पारे' का तस्कर व्यापार चल रहा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : सरकार के पास उपलब्ध जानकारी से यह बात प्रमाणित नहीं होती कि पश्चिम पाकिस्तान से सोने के स्थान पर 'तिला' और 'पारे' का तस्कर व्यापार किया जा रहा है ।

नौसेना विद्रोह

†४०४. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री वारियर :

क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने १९४६ में विद्रोह करने वाले रायल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को जो आजकल बेकार हैं कौन से लाभ प्रदान किये हैं ; और

(ख) क्या सरकार को किसी बेकार व्यक्ति से कोई याचिका इत्यादि प्राप्त हुई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) नाविक सेवा विभाग से कोई लाभ प्रदान नहीं किया गया है ।

(ख) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कृषकों की बेदखली

†४०५. { श्री अ० क० गोपालन :
श्री वारियर :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री नवम्बर १९५८ में फैजाबाद छावनी मंझा जमीन से बेदखल हुए किसानों के सम्बन्ध में पूर्ण प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन): सभा–पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

फैजाबाद छावनी की मंझा जमीन का कुल क्षेत्रफल ३१६७.६२ एकड़ हैं यह भूमि प्रतिरक्षा मंत्रालय की है और वह मुख्यतः सेना के प्रयोजन के लिये है।

२. क्योंकि यह भूमि सैनिक आवश्यकताओं से अधिक थी इसलिये जनवरी १९५६ को इसमें से ५९० एकड़ अस्थायी रूप से पट्टेदारी पर किसान सहकारी समिति को खेती करने के लिये दे दी गई। यह पट्टेदारी प्रति वर्ष बदलती थी और अंतिम पट्टे की मियाद ३१–५–१९५८ को समाप्त हुई। अवशेष ६५७.१४ एकड़ भूमि पर भी सहकारी समिति तथा अन्य लोगों ने अनाधिकृत हस्तक्षेप कर दिया।

३. १९५८ के प्रारम्भ में सैनिक प्राधिकारियों को इस समस्त भूमि की सैनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हुई। इसी बीच किसान सहकारी समिति ने जिसकी पट्टेदारी ३१–५–१९५८ में समाप्त हो रही थी पट्टे की मियाद बढ़ाने की मांग की और यह कहा गया कि खरीद की फस्ल की बुवाई की सारी तैयरियां हो चुकी हैं। सरकार ने इन अभ्यावेदनों पर विचार कर पट्टे की अवधि ३१ अक्तूबर १९५८ तक इस शर्त पर बढ़ा दी कि अवधि समाप्त होने पर समिति इस भूमि का कब्जा शांतिपूर्वक सौंप देगी। यह सूचना राज्य सरकार को भेज दी गई और उनसे किसानों के लिये अन्यत्र भूमि की व्यवस्था करने को कहा गया। छावनी के कार्यपालिका अधिकारी से भी सभी अनधिकृत रूप से अधिकार जमाने वाले लोगों को नोटिस दे देने को कहा गया तथापि उससे यह कहा गया कि खरीद की फस्ल की कटाई के पूर्व वह उनके खिलाफ कोई कार्यवाही न करे।

१४ नवम्बर १९५८ को प्रतिरक्षा उपमंत्री राज्य के राजस्व मंत्री, स्थानीय विधान सभा के सदस्यों तथा संसद् सदस्यों तथा किसान नेताओं से मिले और उन्हें आवश्यक सैनिक प्रयोजन के निमित्त भूमि वापस देने की आवश्यकता समझाई तथा सफलतापूर्वक उन्हें इस बात पर राजी कर लिया कि वह अनधिकृत कब्जाधारियों से शान्तिपूर्वक जमीन वापस करने को कहें। किसान सहकारी समिति ने भी ५९० एकड़ भूमि सैनिक प्राधिकारियों को सौंप दी। अब वह भूमि सैनिक उपयोग के अन्तर्गत है।

खनिज सर्वेक्षण के लिए बर्मे

†४०७. **श्री नरसिंहन्** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खान विभाग के पास खनिज पदार्थों के सर्वेक्षण के लिये कुल कितने बर्मे हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रत्येक क्षेत्र में उनकी संख्या कितनी है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) ८६ बर्मे।

(ख)

क्षेत्र	बर्मों की संख्या
बिहार	२६
मध्य प्रदेश	२९
राजस्थान	५
उत्तर प्रदेश	१
उड़ीसा	६
सिकिम	३
	७०

५० बर्मे राष्ट्रीय कोयला विकास निगम (प्राइवेट) लिमिटेड की ओर से कोयले के काम में लगे हैं। (क) में उल्लिखित ८६ बर्मों में से अवशेष बर्मे सावधिक जांच इत्यादि के प्रयोजन के लिये सुरक्षित रखे हुए हैं।

मुरादपुर (काश्मीर) के निकट तेल सर्वेक्षण

†४०८. **श्री दो० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ६ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि काश्मीर राज्य में मुरादपुर के निकट पैट्रोल निक्षेप के सर्वेक्षण के कार्य के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : चालू क्षेत्र मौसम के अन्तिम भाग में इस क्षेत्र में अग्रेतर सर्वेक्षण करने के लिये एक भभौतिकी दल भेजने का विचार किया गया है।

उड़ीसा में खनिजों का उत्पादन

†४०९. **श्री अन्सार हरवानी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा मेंगनीज के निर्यात पर एकाधिकार किये जाने के कारण उड़ीसा के खान मालिकों ने अपना उत्पादन कम कर दिया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : जी नहीं। राज्य व्यापार निगम का मेंगनीज के उत्पादन पर एकाधिकार नहीं है। उत्पादन की कमी का कारण यह है कि उपभोक्ता उद्योगों में वर्तमान मन्दी के कारण उत्पादन कम होने से मेंगनीज की मांग में कमी हो गई।

†मूल अंग्रेजी में

टिटानियम

†४१०. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में प्रतिवर्ष टिटानियम का कितना उत्पादन होता है और १९५७ और १९५८ में इसकी कुल कितनी राशि बाहर भेजी गई ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : टिटानियम (धातु) का उत्पादन भारत में नहीं होता है । टिटानियम अयस्क अर्थात इलमेनाईट और रयूटाइल भारत में निकाली जाती है।

१९५७ में इल्मेनाइट और रयूटाइल के उत्पादन और निर्यात के आंकड़े इस प्रकार हैं; १९५८ के आंकड़े अभी संकलित नहीं किये गये हैं।

वर्ष १९५७	उत्पादन		निर्यात	
	राशि टनों में	मूल्य लाख रुपयों में	राशि टनों में	मूल्य लाख रुपयों में
इलमेनाइट	२९६०००	१६८	३४७०००	२४९
रयूटाइल	४७३	४.७३	रयूटाइल भारत से बाहर नहीं भेजा जाता है।	

डी० एम० कालेज, इम्फाल

†४११. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगले शिक्षा वर्ष से डी० एम० कालेज, इम्फाल में बी० टी० कक्षायें भी चलायी जायेंगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिये अन्तिम व्यवस्था की जा चुकी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). जी हां।

संस्कृत के उत्कृष्ट ग्रन्थों का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद

†४१२. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संस्कृत के उत्कृष्ट और सर्वोत्तम ग्रन्थों का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद करने के लिये किस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: निम्नलिखित कार्य किये जा रहे हैं या उन्हें करने का विचार किया जा रहा है :

(१) साहित्य अकादमी ने संस्कृत के चुने हुए सर्वोत्तम ग्रन्थों का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद करने की एक योजना बनाई है।

†मूल अंग्रेजी में

(२) भारत सरकार की "आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास (हिन्दी को छोड़कर)" योजना के अन्तर्गत संस्कृत के उत्कृष्ट ग्रन्थों के भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने की योजना को भी वित्तीय सहायता के अन्तर्गत रखा गया है।

भारतीय उत्कृष्ट ग्रन्थ

†४१३. **श्री राम कृष्ण**: क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय उत्कृष्ट ग्रन्थों का अन्य प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद करने के लिये क्या कार्य किया जा रहा है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : निम्नलिखित कार्य किये गये हैं या किये जायेंगे :

(१) साहित्य अकादमी के पास दस--प्राचीन और आधुनिक--ग्रन्थों का देश की अन्य प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद करने की योजना है।

(२) भारत सरकार की "आधुनिक भारतीय साहित्य का विकास (हिन्दी को छोड़ कर)" योजना के अन्तर्गत उत्कृष्ट ग्रन्थों का हिन्दी को छोड़ कर अन्य प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद करने की योजना को भी वित्तीय सहायता के अन्तर्गत रखा गया है।

'आर्मड फोर्सेज हेडक्वार्टर्स' में असिस्टेंट

†४१४. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग ने मई १९५८ में असिस्टेंट पदाली में स्थायीकरण के निमित्त 'आर्मड् फोर्सेज हेडक्वार्टर्स' में एक विभागीय प्रतियोगी परीक्षा ली थी;

(ख) कुल कितने रिक्त स्थान थे;

(ग) कुल कितने व्यक्ति परीक्षा में सम्मिलित हुए;

(घ) कितने व्यक्तियों ने अर्हता प्राप्त की; और

(ङ) उनमें अब तक कितने व्यक्तियों को स्थायी घोषित कर दिया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) जी हां।

(ख) परीक्षाओं के फलस्वरूप ६० रिक्त स्थानों की पूर्त्ति की जानी थी।

(ग) ९६६।

(घ) ७७।

(ङ) अभी एक भी नहीं। योग्यताप्राप्त व्यक्तियों को शीघ्र ही स्थायी कर दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास के सरकारी कर्मचारियों की अपील

†४१५. **श्री थानुलिंगम नादर**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सेवाओं के एकीकरण से उत्पन्न मद्रास के सरकारी कर्मचारियों की कितनी अपीलों का अभी तक निर्णय हुआ है;

(ख) कितनी अपीलें अभी निलम्बित हैं; और

(ग) राज्य पुनर्गठन के परिणामस्वरूप मद्रास राज्य की सेवाओं के एकीकरण करने में कितना समय लगेगा?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) दो राजपत्रित और १७ अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में निर्णय की घोषणा राज्य सरकार को की जा चुकी है।

(ख) दो राजपत्रित व ९ अराजपत्रित सरकारी अधिकारियों की अपीलें निलंबित हैं।

(ग) आशा है एकीकरण मई १९५९ तक समाप्त हो जायेगा।

पंजाब को इस्पात का आवंटन

†४१६. **श्री अजित सिंह सरहदी**: क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री १९ नवम्बर १९५८ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब राज्य को १९५९–६० के लिये कितना इस्पात दिया जा रहा है और इसी अवधि के लिये पंजाब सरकार ने कितने इस्पात की मांग की थी?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: आवंटन तिमाही आधार पर किया जाता है जो इस तिमाही मांग व उपलब्धि के आधार पर होता है। १९५९–६० के प्रथम तिमाही की मांग २८–२–१९५९ को की जायेगी इसलिये अभी राज्य की मांग व आवंटन के संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता है। आशा है कि यह आवंटन १९५८–५९ की अपेक्षा अधिक होगा।

बीमे के दावों का निपटारा

†४१७. **श्री अनिरुद्ध सिंह**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ नवम्बर, १९५६ से ३१ अगस्त, १९५८ तक पूरी हुई पालिसियों के अधीन जीवन बीमा निगम को ऐसे कितने मृत्यु दावों[1] की सूचनाएं प्राप्त हुई जिनका अभी तक निबटारा नहीं किया गया है?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: १५२१।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Death Claims.

सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए विदेशी मुद्रा

†४१८. श्री परूलकर :
श्री नागी रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिये अनुमानतः कितनी राशि व्यय की जायेगी; और

(ख) अब तक कितनी राशि व्यय की गई है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जैसा कि योजना आयोग द्वारा मई १९५८ में प्रकाशित पुस्तिका "द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन और सम्भावनायें" में बताया गया है यह राशि अनुमानतः ४५० करोड़ रुपये होगी।

(ख) सितम्बर, १९५८ तक लगभग १७२ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा व्यय हो चुकी है।

गैर-सरकारी व्यक्तियों को प्रतिरक्षा सम्बन्धी सामान का संभरण

†४१९. श्री महन्ती : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या प्रतिरक्षा सेवाओं ने १९५६–५७ और १९५७–५८ में कुछ सामान गैर-सरकारी व्यक्तियों को दिया था; और

(ख) यदि हां तो उसमें से कुल कितनी राशि अभी प्राप्त करनी बाकी है और किन लोगों से ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). जी हां। मुख्यतः दान या समाज कल्याण के निमित्त आधिक्य या रद्दी सामान से गैर-सरकारी व्यक्तियों को सामान दिया गया। फर्मों से आर्डर मिलने पर युद्धास्त्र कारखाने की गैर-सरकारी व्यक्तियों को माल संभरित करते हैं। लेकिन ऐसे मामले में कीमत वसूल होने पर ही सामान संभरित किया जाता है इसलिये कीमत वसूल करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। जिन गैर-सरकारी व्यक्तियों को सामान संभरित किया जाता है उनके सम्बन्ध में पृथक् आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

हिमाचल प्रदेश में शिक्षा सम्बन्धी सर्वेक्षण

४२०. श्री पद्म देव :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में १९५७ में शिक्षा सम्बन्धी जो सर्वेक्षण शुरू किया गया था क्या वह इस बीच पूरा हो चुका है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) जी, हां।

(ख) समस्त भारत की रिपोर्ट, जिसमें सर्वेक्षण के परिणाम शामिल हैं, सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आर्ट्स तथा व्यावसायिक कालेज

४२१. **श्री पद्म देव :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में १९४७-४८ में कितने कला (आर्ट्स) और व्यावसायिक कालेज थे और १९५८-५९ में उनकी संख्या क्या है ;

(ख) १९४७-४८ और १९५८-५९ में इन कालेजों में कितने विद्यार्थी थे; और

(ग) देश में शिक्षित लोगों में कितनी बेरोजगारी है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०३]

(ग) देश के रोजगार दफ्तरों के बेरोजगारी के रजिस्टर (लाइव रजिस्टर) में दर्ज शिक्षित प्रार्थियों (जिन्होंने मैट्रिक या उच्च परीक्षाएं पास की हैं) की कुल संख्या सितम्बर १९५८ के अन्त में ३,७४,७८२ थी।

पब्लिक स्कूलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थी

†४२२. **श्री सोनावने** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पब्लिक स्कूलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये कुछ स्थान सुरक्षित हैं; और

(ख) देश के विभिन्न स्कूलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों की संख्या क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जी नहीं।

(ख) पब्लिक स्कूल स्वायत्तशासी संस्थायें हैं और सरकार का उन पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है अतः सरकार को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

बम्बई में ग्रामीण संस्था (रूरल इंस्टीट्यूट)

†४२३. **श्री पांगरकर :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी टेक्नीकल सहकारिता मिशन के सहयोग से बम्बई में एक ग्रामीण संस्था (रूरल इंस्टीट्यूट) की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और कहाँ ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भिलाई इस्पात परियोजना

†४२४. **श्री अ० सिं० सहगल :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात परियोजना में कितने दक्ष और कितने अदक्ष कर्मचारी काम करते हैं ;

(ख) क्या उत्पादन प्रारम्भ होने पर कुछ दक्ष और अदक्ष कर्मचारियों की छंटनी करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो उनकी अनुमानित संख्या क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क)

दक्ष कर्मचारी	३७४०
अदक्ष कर्मचारी	४३४९

इसके अलावा वहाँ २८,००० विभागीय श्रमिक और ४५,००० ठेकदारों के अन्तर्गत काम करने वाले श्रमिक काम करते हैं।

(ख) भिलाई में अभी हाल छंटनी की कोई संभावना नहीं है क्योंकि अभी दूसर प्रक्रम का काम होना बाकी है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

व्यावसायिक पथप्रदर्शन सम्बन्धी सेवा

†४२५. **श्री हेम राज :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की व्यावसायिक पथ प्रदर्शन सम्बन्धी सेवा के बारे में राज्य सरकारों के मत प्राप्त हुए हैं; और

(ख) किस राज्य ने उसे क्रियान्वित करने की इच्छा व्यक्त की है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) जी हाँ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) केवल जम्मू और काश्मीर, पंजाब, मद्रास और मैसूर राज्यों को छोड़ कर सभी राज्यों ने भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना की योजना संख्या १२ के अधीन राज्य शिक्षा तथा व्यावसायिक पथप्रदर्शन विभाग स्थापित कर लिये हैं। द्वितीय योजना में यह बात राज्य सरकारों की इच्छा पर छोड़ दी गई है कि वे अपनी योजनायें बनायें और उन्हें अपनी शिक्षा विकास योजनाओं में शामिल करें।

प्रादेशिक भाषाओं में विज्ञान सम्बन्धी पुस्तकें

†४२६. {श्री अरविन्द घोषाल :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित विज्ञान सम्बन्धी पुस्तकों की गणना करवाई है ? और

(ख) यदि हां, तो १९५५ के बाद में किस प्रादेशिक भाषा में सबसे अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुईं ?

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पंजाब में राजनीतिक पीड़ित

†४२८. श्री दलजीत सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री २६ अगस्त १९५८ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ९४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब के राजनीतिक पीड़ितों के निलम्बित पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त): अतारांकित प्रश्न संख्या ९४५ के उत्तर में सूचित १३ आवेदन पत्रों में से ६ को अस्वीकार कर दिया गया, ५ राज्य सरकारों को अपनी सहायता योजनाओं के अधीन उन पर विचार करने और यह प्रतिवेदित करने को भेजा गया कि क्या वे लोग गृह-मंत्रालय की स्वविवेक अनुदान से सहायता पाने के उपयुक्त हैं। अवशेष दो मामलों में राज्य सरकारों के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

ईसाई मिशन

†४३०. श्री हेम राज : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय किस किस नाम के कितने ईसाई मिशन काम कर रहे हैं और उनके मूलस्थान कहां-कहां : हैं ;

(ख) वें अपने मूलस्थान के देशों से प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय सहायता पाते हैं; और

(ग) वे कौन-कौन से काम करते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) इस सम्बन्ध में जो कुछ भी जानकारी उपलब्ध है वह नेशनल क्रिश्चन कौंसिल आफ इंडिया, चर्च हाउस, मऊ, से प्रकाशित 'ए क्रिश्चन हैंड बुक आफ-इंडिया १९५४--५५' में और दिल्ली व शिमला के आर्कविशप द्वारा प्रकाशित 'दि कैथोलिक डायरेक्टरी आफ इंडिया १९५४' में उपलब्ध है। इसकी प्रतियां बाजार से उपलब्ध हो सकती हैं।

(ख) इस सम्बन्ध में १५ दिसम्बर १९५८ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न के उत्तर की ओर आपका ध्यान दिलाया जाता है।

(ग) शिक्षा, चिकित्सा, धर्म प्रचार, लोक सेवा तथा ग्रामीण व सामाजिक उत्थान सम्बन्धी कार्य।

स्थगन प्रस्ताव

आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर गोली चलाये जाने की घटनायें

†**श्री हेम बरूआ** (गौहाटी): हमने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

†**अध्यक्ष महोदय**: मैंने उस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है क्योंकि वह एक लगातार होने वाली घटना यानी पाकिस्तानी सनाओं द्वारा गोली चलाये जाने के बार में है। मुझे एक अल्प सूचना प्रश्न की भी सूचना मिली है। क्या प्रधान मंत्री इस संबंध में कुछ कहना चाहते हैं?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: मेरे पास जो कुछ जानकारी है, मैं उसे दे सकता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय**: श्री गोरे और श्री हेम बरूआ ने अपने स्थगन प्रस्ताव में कहा है कि १६ फरवरी, १९५९ को पाकिस्तानी सेनाओं ने मशीन गन से धुंआधार गोलियां चलाईं--इससे पूर्व इतना भयंकर गोलीकांड कभी नहीं हुआ--जिसके परिणामस्वरूप भारत-पाकिस्तान सीमा के निकट करीमगंज के आसपास १ औषधालय, १ पोस्ट आफिस, कुछ स्कूल भवन और कुछ मकान बिल्कुल नष्ट हो गये।

इस गोली वर्षा के परिणामस्वरूप करीमगंज और सिलहट के बीच की मोटर सेवा भी--जो कि इन दोनों क्षेत्रों के बीच एक मात्र संचार का साधन थी--रुक गई है।

†**श्री हेम बरुआ**: प्रधान के वक्तव्य के पूर्व मैं एक बात कहना चाहता हूँ। यह कोई निरन्तर होने वाली घटना नहीं है क्योंकि १३ फरवरी को एक भारतीय घायल हो गया था। यह एक अलग घटना है। बाद में १६ फरवरी को उन्होंने गोली चलाने का नया तरीका अपनाया है और अब उन्होंने औषधालय और स्कूल की इमारतों को भी नष्ट करना शुरू कर दिया। यह नई बातें हैं।

७ फरवरी को पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के एक प्रवक्ता ने एक वक्तव्य द्वारा भारत सरकार पर यह आरोप लगाया था कि उसने नेहरू-नून समझौते को कार्यान्वित नहीं

†मूल अंग्रेजी में

किया। बगदाद संधि सम्मेलन में विध्वन्सकार्य–विरोधी समिति में भारत पर कई आरोप लगाये गये और यह भी कहा गया कि भारत पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान विरोधी प्रचार कर रहा है। बेरुबारी संघ के संबंध में पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा पारित संकल्प के बाद इस प्रकार के अनेक आरोप भारत पर लगाये गये हैं।

अतः ये सब नई बातें हैं और पाकिस्तान में घृणा व कटुता द्वारा भारत के विरुद्ध प्रचार किया जा रहा है और उसी के परिणामस्वरूप आसाम सीमा पर पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा गोली चलाई गयी।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य ने जिन बातों का उल्लेख किया उनमें से एक या दो बातों का, जैसे स्कूल की इमारतों का नष्ट किया जाना, हमें पता नहीं है। हो सकता है ऐसा हो। समाचारपत्रों में एक भारतीय ग्राम–निवासी के घायल होने का समाचार है। पर मुझे इस बात की कोई पुष्टि नहीं मिली है। पाकिस्तानी समाचारपत्रों का कहना है कि इस गोलीकांड में एक पाकिस्तानी सिपाही मारा गया। अतः ऐसा मालूम होता है कि बहुत थोड़ी हानि हुई है पर यह बात सच है कि गोली वर्षा बहुत काफी हुई है। मैं नहीं कहता कि इस का कारण क्या था। पर मैं अनुमान लगा सकता हूँ। यह एक बड़ी अजीब सी बात है कि हम बार बार युद्ध विराम की घोषणा करते है, लेकिन उसके बाद फिर गोलियां चलती हैं, और स्वाभाविक है कि जब पाकिस्तान की ओर से गोली चलाई जाती है तो उसका जवाब गोलियों से दिया जाता है। यद्यपि सामान्यतया इसका परिणाम....

श्री हेम बरुआ : उनकी ओर से धुंआधार गोलियां चलाई जाती हैं और उसके जवाब में हमारी ओर से साधारण गोली चलाई जाती है। वे मशीनगन का इस्तेमाल करते हैं और हम उसका हल्का सा जवाब देते हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं जानता, लेकिन हो सकता है माननीय सदस्य के पास कुछ व्यक्तिगत जानकारी हो। मेरे पास तो नहीं है। मैं नहीं समझता कि जरूरत पड़ने पर गोलीबाजी करने में हमारी सेना कुछ कमजोर है।

†**श्री हेम बरुआ** : लेकिन इसमें वे लोग चुप तो नहीं होते।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : चुप होने का तो कोई प्रश्न इस लिए नहीं होता कि कोई बाकायदा सैनिक कार्यवाही तो होती नहीं या कोई आक्रमण की बात तो है नहीं। वे तो अंधाधुंध चाहे जब गोली मारते है चाहे लगे या न लगे। कई बार ऐसा होता है कि पाकिस्तानी सेना हमारे राज्य क्षेत्र का कुछ भाग––छोटा सा भाग चाहे १०० गज ही क्यों न हो––कब्जे में करने के लिए गोली चलाती है। यदि वह कब्जा पा जाती है तो कब्जा कर लेती है और यदि नहीं तो वापस चली जाती है और किसी अन्य स्थान पर कोशिश करती है। पर बार–बार ऐसी घटनाओं का होना एक बड़ी दुखद बात है। या तो पाकिस्तान की केन्द्रीय सरकार इन बातों पर नियंत्रण नहीं रख सकती या इन बातों को प्रोत्साहन देती है या फिर ये सब बातें सहन करती चलती है। हो सकता है कि ढाका की सरकार पर भी उसका पूर्ण नियंत्रण न हो, पर सीमावर्ती लोग मनमाना काम करते हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : सीमावर्ती लोग नहीं, पाकिस्तानी सेनायें ये काम करती हैं।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरा अभिप्राय सीमावर्ती जनता से नहीं बल्कि सीमा स्थित सेनाओं से था। कभी–कभी ऐसा होता है कि जब पाकिस्तानी सेनायें हम पर गोली चलाती हैं तो पूर्वी पाकिस्तान सरकार एक बिल्कुल उल्टा ही रवैया अख्तियार करती है जैसा कि इस समय उसने किया है। पूर्वी पाकिस्तान सरकार ने कहा है, "यह सब क्या गड़बड़ी है, हमेशा गोलियां चलाई जाती हैं, आपके लोग इस पर गोलियां चलाते हैं। हमें सीमा पर पूर्ण युद्ध–विराम की घोषणा कर देनी चाहिए।" उत्तर में हमने कहा "ठीक है, सीमा पर पूर्ण युद्ध-विराम के लिए हम सदैव तैयार हैं।" मेरा विचार है कि आसाम सरकार और पूर्वी पाकिस्तान सरकार के बीच इस संबंध में कोई बातचीत होने वाली है। मेरे पास सिर्फ इतनी ही जानकारी है।

अगले ४ या ५ दिनों में आसाम सरकार व पूर्वी पाकिस्तान सरकार के बीच एक बैठक होने वाली है। इस बैठक का फैसला हमारे और उनके राष्ट्रमंडल सचिवों के बीच दो या तीन सप्ताह पहले हुआ था। यद्यपि यह बैठक इस मामले के संबंध में नहीं है पर जब बैठक होगी तो इस मामले पर भी चर्चा होगी। मेरा विचार है कि यह बैठक लाहौर में होगी।

†**श्री हेम बरुआ** : नेहरू-नून करार को कार्यान्वित करने के लिए यह सब धमकी और दबाव की कार्यवाहियां की जा रही हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं समझता हूं कि ऐसी बात तो नहीं है। पर इतना अवश्य है कि जिन क्षेत्रों के संबंध में विवाद चल रहा है उनमें से कुछ पर कब्जा करने के लिए ये कार्यवाहियां की जा रही हैं। पथरिया वन क्षेत्र का उदाहरण लीजिए। जहां भी कहीं विवाद चल रहा है वे इस प्रकार की हरकतें करके विवाद ग्रस्त क्षेत्र में से कुछ भाग पर कब्जा करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि नेहरू–नून करार से इन गतिविधियों का कोई संबंध नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ** : उन्होंने तुकेरग्राम पर कब्जा कर लिया है और अब भी कब्जा किये हुये हैं। हम उन्हें वहां से हटाते क्यों नहीं? हम जानते हैं कि तुकेरग्राम हमारा है और उन्होंने उस पर अवैध कब्जा कर लिया है। अतः हम उन्हें क्यों नहीं हटाते?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हटाने की जहां तक बात है मैं यह बता दूं कि किसी को कहीं से हटाना इतना आसान नहीं है, जब तक कि बाकायदा लड़ाई न हो। गोलियां चला कर आप किसी को हटा नहीं सकते। यह तो एक शरारत है। इससे प्रायः निर्दोष व्यक्तियों को चोटें आ जाती हैं।

जहां तक तुकेरग्राम का प्रश्न है, मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कहना चाहता। यह स्थान नदी के उस पार है अतः सैनिक कार्यवाही के अतिरिक्त केवल गोलियां चलाकर उन्हें वहां से हटाना कोई सरल काम नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ** : प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा है उसको देखते हुये मैं समझता हूँ कि इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए और हम लोगों को इस मामले पर चर्चा करनी चाहिए क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा) : मैं प्रधान मंत्री का ध्यान टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित एक समाचार की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इसमें कराची से श्री नारायण

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जोकीम अल्वा]

स्वामी लिखते हैं कि कराची के पदाधिकारियों में अब, भारत के प्रति जो उनका रवैया था, उसमें कुछ परिवर्तन हो गया है और अब जब कोई गोलीकांड होता है, तो वहां का विदेशी कार्यालय इस बात की जांच करता है कि गोलीकांड किस ओर से आरंभ हुआ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस प्रकार का कोई परिवर्तित दृष्टिकोण दिखाई पड़ा है ?

पंडित ब्रज नारायण ब्रजेश (शिवपुरी): मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि बार-बार पाकिस्तान की तरफ से हमारी सीमा पर आक्रमण होता है। हमने कभी भी पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण नहीं किया। हमारी जो पालिसी है, हम उस पर दृढ़ हैं। हमने पक्का निश्चय किया है कि हम हमला नहीं करेंगे। लेकिन वह लोग हमला करते हैं और एक दिन नहीं, निरन्तर यह खबरें हमको मिल रही हैं। तो क्या इसका कोई प्रबन्ध नहीं होगा कि वे लोग हम पर इस तरह हमला न करें ?

†**अध्यक्ष महोदय**: माननीय प्रधान मंत्री ने जो कुछ बताया है और श्री हेम बरुआ बार-बार जो पूछते रहे हैं, उसको देखते हुये मैं समझता हूं कि यदि इस विषय पर चर्चा होगी तो उससे कोई विशेष लाभ नहीं होगा। वैसे सरकार को इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।

उस क्षेत्र के माननीय सदस्य तथा देश के सभी लोग चाहते हैं कि जो भूमि हमारी है उस पर अन्य कोई भी कब्जा न करे। पर इस बात पर और अधिक चर्चा करने से हमें क्या लाभ होगा ? वैदेशिक कार्यों पर वादविवाद और आय-व्ययक की चर्चा में इस मामले पर कहने का हमें बहुत अवसर मिलेगा। माननीय सदस्य उस समय तक और भी जानकारी इकट्ठी कर लें। मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री विस्तृत चर्चा के लिए अपनी सहमति दे देंगे। पर इस समय....

†**श्री गोरे** (पूना): इस स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य यह है कि उस क्षेत्र के रहने वालों को कम से कम इस बात का आश्वासन हो जाये कि यह सभा इस मामले पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है। अन्यथा वहां की जनता महसूस करती है कि हमारी सरकार केवल विरोध-पत्र भेज देती है और पाकिस्तान बार-बार गोलियां चलाता रहता है। चूंकि हमारे स्थगन प्रस्ताव का यही उद्देश्य है अतः मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप इसकी अनुमति दे दें।

†**अध्यक्ष महोदय**: जब तक इन गतिविधियों को रोकने के लिए किसी उपाय का सुझाव न दिया जाये, मैं नहीं समझता कि कैसे इन्हें रोका जा सकता है। जहां तक वहां की जनता को आश्वासन देने का प्रश्न है मैं समझता हूँ कि अभी तक सभा में जो कार्यवाही हुई है उससे उन्हें आश्वासन मिल जायेगा कि हम इस मामले के प्रति सावधान हैं और हम इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि समस्या को कैसे हल किया जाये। सभा के नियमित कार्य को स्थगित करके, इस समय इस मामले पर विचार करने से कोई लाभ नहीं होगा। अतः मैं स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकृत करता हूँ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: जहां तक आश्वासन का प्रश्न है, आश्वासन तो उनकी आंखों के सामने है क्योंकि भारतीय सशस्त्र पुलिस ऐसी बातों का क्या जवाब देती है, वे स्वय देख सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

औचित्य प्रश्न के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा पटल पर रखे गये पत्र—श्री मोरारजी देसाई ।

राजा महेन्द्र प्रताप (मथुरा) : मेरा एक **औयित्य प्रश्न** है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव संबंधी अपने संशोधन पर बोलते समय कल मैंने राजधानी के होटलों की शर्मनाक स्थिति का उल्लेख किया था। मेरे पास इस समय १४ फरवरी, १९५९ के 'स्टेट्समैन' में छपे तीन इश्तहार हैं। जब हमारी राजधानी के होटलों में आधी रात तक या उसके बाद तक भी ऐसे व्यर्थ के कार्यक्रम होते है, तो हमारा समाज कैसे शुद्ध हो सकता है, हम समाजवादी ढांचा कैसे निर्माण कर सकते हैं और हमारी पंचवर्षीय योजनायें कैसे सफल हो सकती हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा में वादविवाद में भाग लेने के लिये मैं माननीय सदस्य को हमेशा अवसर देता हूं। पर औचित्य प्रश्न के बहाने इस प्रकार सभा की कार्यवाही में अन्तर्बाधा उपस्थित करना कहां तक उचित है, मैं नहीं जानता। माननीय सदस्य एक वयस्क सज्जन हैं मैं बार बार उन से कुछ कहना नहीं चाहता। अतः भविष्य में वह इस प्रकार का औचित्य प्रश्न न उठायें ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

स्टर्लिग पेन्शन व्यवस्था

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं दिनांक ७ फरवरी, १९५८ की व्यवस्था द्वारा संशोधित १९५५ की स्टर्लिग पेन्शन व्यवस्था में कुछ और रूपभेद करने के लिये किये गये करारों के बारे में वित्त मंत्री और ब्रिटेन के उच्चायुक्त के बीच हुये पत्र-व्यवहार की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० १२०८/५९]

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम (प्राइवेट) लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम (प्राइवेट) लिमिटेड का वर्ष १९५७–५८ का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे तथा उस पर भारत के नियंत्रक तथा महा-लेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(२) सरकार द्वारा उक्त प्रतिवेदन की समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० १२०९/५९]

---

†मूल अंग्रेजी में

खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उपधारा (१) के अन्तर्गत दिनांक ७ फरवरी, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५२ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० १२१०/५९]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) भारतीय असैनिक सेवा भविष्य निधि नियम, १९४२ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक ७ फरवरी, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या १४० ।

(२) भारतीय असैनिक सेवा (गैर-यूरोपीय सदस्य) भविष्य-निधि नियम, १९४३ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक ७ फरवरी, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या १४१ ।

(३) भारत सचिव की सेवायें (सामान्य भविष्य निधि) नियम, १९४३ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक ७ फरवरी, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या १४२ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० १२११/५९]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा १८ के अन्तर्गत, अप्रैल, १९५७ से मार्च, १९५८ तक की अवधि के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या १२१२/५९]

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्याधिकार आदेश में संशोधन

†**वैज्ञानिक गवेषणा तथा सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : मैं प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, १९५७ की धारा ४३ के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्याधिकार आदेश, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) दिनांक २० जनवरी, १९५९ का एस० ओ० संख्या १६६ ।

(२) दिनांक २२ जनवरी, १९५९ का एस० ओ० संख्या २२२ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० १२१३/५९]

---

†मूल अंग्रेजी में

औद्योगिक वित्त निगम के विनियमों में संशोधन

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : मैं औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ४३ की उपधारा (३) के अन्तर्गत भारत के औद्योगिक वित्त निगम के सामान्य विनियमों में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३१ जनवरी, १९५९ की अधिसूचना संख्या २/५९ की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० १२१४/५९]

अनुदानों की अनुपूरक मांगें--१९५८-५९

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं आयव्ययक (सामान्य) १९५८-५९ के बारे में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण उपस्थापित करता हूं ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे)--१९५८-५९

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं आयव्ययक (रेलवे) १९५८-५९ के बारे में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण उपस्थापित करता हूं ।

प्राक्कलन समिति

सैंतीसवां प्रतिवेदन

†**श्री ब० गो० मेहता** (गोहिलवाड़) : मैं स्वास्थ्य मंत्रालय--सार्वजनिक स्वास्थ्य (भाग १) के बारे में प्राक्कलन समिति का सैंतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री कासलीवाल द्वारा १३ फरवरी को प्रस्तुत किये गये निम्न प्रस्ताव और तत्सम्बन्धी संशोधनों पर अग्रेतर चर्चा करेगी :

> "कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिये, जो कि उन्होंने ९ फरवरी १९५९ को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं ।"

श्री ब्रजराज सिंह अपना भाषण जारी रखें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोज़ाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं कल यह निवदन कर रहा था कि जब हम गांवों के लिये, ग्रामीण जनता के लिये एक तरह की सीलिंग मुकर्रर करने जा रहे हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि शहरी जनता और शहरी उद्योगपतियों के लिये हम किसी तरह की सीलिंग मुकर्रर न करें। मैं इसका समर्थक हूं कि सीलिंग जीवन के हर क्षेत्र में मुकर्रर होनी चाहिये। आज हमारे देश की जनता की आमदनियों में बहुत बड़ा अन्तर है। इससे उस जनता को जिसको भरपेट खाना नहीं मिलता, कपड़ा पहिनने के लिये नहीं मिलता, जिसकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाती, उसको अपने प्रयत्नों को सफल बनाने के लिये और देश के निर्माण के लिये कोई उत्साह नहीं मिलता। इसलिये इस तरह की बात करना कि हम सिर्फ गांव की जनता के लिये कोई सीलिंग मुकर्रर करेंगे, शहर की जनता के लिये और जो लोग छोटे उद्योगों में लगे हुये हैं उनके लिये कोई सीलिंग मुकर्रर नहीं की जायेगी, बहुत हानिकर है और इससे देश के नवनिर्माण में बहुत ही बाधा आ सकती है। इसके साथ ही मैं यह कह देना चाहता हूं कि जहां तक खेती का प्रश्न है, उसमें आज एक आवाज उठ रही है सीलिंग के विरोध में तथा उसकी अधिकतम सीमा बांधन के विरोध में, लेकिन वह एक ऐसी आवाज है जो प्रतिक्रियावादियों की तरफ से उठायी जा रही है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो चाहता है कि देश की खाद्य समस्या हल हो और देश में इस तरह का समाज बने जिसमें करीब-करीब सब लोग बराबर के हो सकें, वह कभी भी इस तरह की चीज का विरोध नहीं कर सकता। लेकिन मेरा निवेदन है कि सरकार की तरफ से कोई इस तरह का सक्रिय कदम नहीं उठाया जा रहा है जिससे यह बराबरी आ सके। एक तरफ तो यह एलान किया जाता है कि हम सीलिंग कायम करेंगे और दूसरी तरफ से सैकड़ों हजारों लोग को जेल भेजा जाता है सिर्फ इसलिये कि उन्होंने, जिनके पास एक इंच भी जमीन नहीं है, सरकार की परती जमीनों पर कब्जा किया और शान्तिपूर्ण तरीके से किया और अपने लोगों में बराबर से बांट ली। मध्य प्रदेश में रायपुर जिले की धमतरी तहसील में एक गांव सेहावा है, उसमें १५,००० आदिवासियों ने जिनके पास एक इंच जमीन नहीं थी सरकार की २०,००० एकड़ परती जमीन पर पिछले दिनों कब्जा कर लिया शान्तिपूर्ण तरीके से। जो सरकार आज एलान करती है कि भूमि का सीलिंग होना चाहिये और इस तरह से जो अतिरिक्त भूमि मिलती है उसका उचित वितरण होना चाहिये, वही आज हमको इन कामों से हटा रही है। इस सरकार के द्वारा उन लोगों को जिन्होंने परती जमीनों को अपने कब्ज में लिया उन जमीनों से बेदखल किया जाता है। ऐसी हालत में किस तरह से आपके ऊपर विश्वास किया जा सकता है कि आप कुछ लोगों के विरोध के होते हुये जमीन पर सीलिंग करके जो अतिरिक्त भूमि मिलती है उसका उचित बटवारा करने की कोशिश करेंगे और जिन लोगों के पास भूमि नहीं है उनको दिलवाने की कोशिश करेंगे? जैसा मैंने कल निवेदन किया था हमें निश्चित रूप से यह कह देना चाहिये कि हम ऐसा अवश्य करेंगे और जल्दी करेंगे, क्योंकि इसमें देर करने से ऐसा हो सकता है कि लोगों को कुछ भी जमीन न मिले और उसको उन लोगों में बराबर से बांटेंगे जिनसे कि मुल्क का उत्पादन बढ़ने की आशा हो। आपकी सरकार इन्तजार करती रही है और इसका नतीजा यह होगा कि लोग बनावटी ढंग से उस जमीन को दूसरे लोगों को दे देंगे चाहे बैनामा करके या दूसरे तरीके से। और इस तरह से उस जमीन का बटवारा कम से कम बिना जमीन के लोगों में नहीं होगा। जब हम आर्डिनेन्स बना कर के कानून बना दे सकते हैं जब कि लोक-सभा नहीं बैठी होती है, तो आज जो लोक-सभा का अधिवेशन चल रहा है फौरन ही इसमें कानून लाया जाये और कानून ला करके सीलिंग मुकर्रर की जाये अतिरिक्त भूमि की। सीलिंग का विस्तार भी उतना ही होना चाहिये जितना एक व्यक्ति अपने श्रम से एक बैल की जोड़ी से जोत सकता है। उसकी अधिक से अधिक सीलिंग तिनगुने से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। अच्छा होता कि इस तरह की सीलिंग मुकर्रर करने के लिये इसी सेशन में कोई विधेयक लाया जाता और इस तरह के कानून से जो प्रतिक्रियावादी लोग जमीन की समस्या को हल न होने देने के लिये हर तरह से कार्य कर सकते हैं उनको जवाब दिया जाता। इसी तरह से यह समस्या हल

हो सकती है। लेकिन इसके साथ-साथ यह बहुत ही आवश्यक है कि हम लोगों में इसका गलत प्रचार न होन दें। इसके लिये यह आवश्यक है कि शहर के लोगों की जो आमदनी है उस पर भी एक तरह की सीलिंग कायम हो और उसमें कहा तो यह जा सकता है कि एक और तीन का अनुपात रखा जाये, लेकिन अगर यह न हो तो कम से कम एक और दस का अनुपात तो हो ही। यानी हमको गारेन्टी देनी चाहिये कि किसी भी व्यक्ति की आमदनी १०० रु० माहवार से कम न होगी और १००० रु० माहवार से अधिक न होगी। आज हमारे यहां क्या स्थिति है? आज देश में एक और हजार का फर्क है। इस मुल्क में आज लोग भूखों मर रहे हैं, हम उनका इन्तजाम नहीं कर पाये हैं। हम आज उनसे कैसे कह सकते हैं कि अपनी योजना को सफल बनाने के लिये वह और सैक्रिफाइस करें और अधिक टैक्स दें? मुझे ताज्जुब होता है कि एक तरफ तो हम खाद्य की समस्या को हल करने के लिये यह बात कहते हैं लेकिन दूसरी तरफ आप जोतों को अनार्थिक जोतें बनाते जा रहे हैं। साथ ही आज प्लैनिंग कमिशन के एक माननीय सदस्य की तरफ से इस प्रकार की चर्चा चलने लगी है कि भूमि पर जो टैक्स है उसे दूना किया जाना चाहिये। आप उस जमीन का टैक्स दूना करना चाहते हैं जो कि अनार्थिक जोत है, जो उसकी जोत है जिसको खाने के लिये कुछ नहीं मिलता। इस तरह से आखिर खाद्य की समस्या कैसे हल की जा सकती है? खाद्य समस्या को हल करने के लिये मुल्क में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ना चाहिये। इसके लिय यह जरूरी है कि जो अपने यहां अनार्थिक जोत है उसकी लगान को माफ किया जाये और उसमें खाद्यान्न का उत्पादन करने के लिये और सुविधायें दी जायें, छोटी सिंचाई के साधन उपलब्ध किये जायें।

[**श्री मोहम्मद इमाम** पीठासीन हुए]

लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सरकार का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। सरकार गम्भीरतापूवक इस पर विचार नहीं करना चाहती, वह तो सिर्फ बार-बार इस तरह की बात कहती रहती है कि हम इस समस्या को हल करना चाहते हैं। लेकिन चूंकि वह हल नहीं होती इसलिये हमको कहना पड़ता है। सन् १९४८ में प्रधान मंत्री की तरफ से कहा जाता है कि हम अब इस समस्या को हल करने वाले हैं। उसमें हल नहीं हुई तो उसके बाद कहा जाता है कि हम उसको द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्त तक हल कर लेंगे। और अब कहा जाने लगा है कि हम खाद्य समस्या को तृतीय पंच वर्षीय योजना के अन्त तक पूरी तरह हल कर चुकेंगे। तब तक हम खाद्यान्न का उत्पादन दूना कर चुकेंगे। लेकिन जिस गति से चला जा रहा है, यदि उसी गति से हम चलते रहे तो किसी भी प्रकार देश की खाद्य समस्या हल नहीं हो सकती, कोई तरीका नहीं है इसके लिये। जब तक देश के किसान के दिल और दिमाग में इस बात को नहीं पैदा करते हैं कि जो कुछ वह पैदा कर रहा है उसको उसका पूरा बदला मिलेगा, पूरा एवज मिलेगा तब तक देश का किसान कैसे ज्यादा खाद्यान्न पैदा करने का प्रयत्न करे? एक ओर तो आप गल्ले के राजकीय व्यापार की योजनायें बनाते हैं और दूसरी तरफ क्या होता है कि जो जूट पैदा करने वाले हैं उन किसानों को उनकी पैदावार का पूरा मुआवजा नहीं मिलता है। उनके जूट का खरीदार कोई नहीं है। आज चावल जो देश के खाद्यान्नों का बहुत बड़ा हिस्सा है छत्तीसगढ़ इलाके में पड़ा हुआ है। सरकार ने ९ रु० मन उसकी खरीद करने का एलान किया हुआ है लेकिन वहां पर कोई भी उसे ७ रु० मन खरीदने को तैयार नहीं है। जब गेहूं यहां पर ३०, ३२ रु० मन मिलता रहा तो उसका आप इन्तजाम नहीं कर सकते लेकिन चावल को कोई ९ रु० की जगह पर ७ रु० मन भी खरीदने के लिय तैयार नहीं। यह आपकी नीति की असफलता नहीं तो और क्या है? अगर यही हाल बना रहता है तो अगली फसल पर भी गेहूं जो आज २९ रु० मन बिक रहा है उसका भाव २० या २२ रु० मन होगा और उसको लोग १८ रु० और १६ रु० खरीदेंगे। ऐसी हालत में क्या हो? मौलिक चीज यह है कि जब तक आप खाद्यान्न पैदा करने वालों के लिय यह सुविधा नहीं प्रदान करते हैं कि उसको उसकी पैदावार का जो मुआवजा मिलेगा,

[श्री ब्रजराज सिंह]

जो कीमत मिलेगी, उसमें जब से खाद्यान्न पैदा होता है और जब तक वह बिकता है इस बीच में ४ नये पैसे प्रति सेर से ज्यादा का परिवर्तन नहीं होगा, तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती, तब तक हमेशा भावों में इस तरह के उतार और चढ़ाव आते रहेंगे। खाद्य समस्या को हल करने के लिये यह बहुत ही आवश्यक है कि हम यह घोषणा करें कि किसान को उसकी पैदावार का उचित मुआवजा मिलेगा और किसी भी व्यक्ति को उसमें कोई मुनाफा उठाने की इजाजत नहीं दी जायेगी।

यहां राजकीय व्यापार की बात कही गई है। मैं जानता हूं कि राजकीय व्यापार यहां सफलता-पूर्वक चल सकेगा तो वह एक अच्छी बात होगी, लेकिन मुझे खतरा है कि जिस तरह से हमारी मशीनरी है उसके रहते हुये राजकीय व्यापार हिन्दुस्तान में सफल नहीं हो सकता। इसके लिये आवश्यक है कि जो अपनी मशीनरी है, सरकारी नौकरशाही है, उसमें हम अच्छी तरह से परिवर्तन करें। उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आये, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार चलता है वह कम हो सके। तभी हम खाद्यान्न के राजकीय व्यापार में सफल हो सकते हैं, इसके बिना उसका सफल होना सम्भव नहीं है।

दूसरी बात उद्योगों के सम्बन्ध में आती है। सरकार की तरफ से कहा जाता है, अभिभाषण में भी इसकी चर्चा की गई कि हम छोटे उद्योगों को पनपाना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहन देना चाहते हैं। लेकिन प्रोत्साहन किस तरह से दिया जाता है ? उसका तरीका यह है कि हमारे यहां एक छोटा उद्योग चलता है कांच का। उसकी एक नई यूनिट को, जिसकी कैपैसिटी १२० टन की है उसको आप केवल २० टन बोरेक्स का लाइसेंस देते हैं। अब आप देखें कि लाइसेंस से जो माल मिलता है और जो चोरबाजार में मिलता है उसमें एक हजार रुपये प्रति टन का फर्क है। अब दूसरे कारखाने को जिसकी कैपैसिटी १५० टन की है उसको आप लाइसेंस देते हैं केवल २ टन बोरेक्स का। तो आप देखें कि इस दूसरे कारखाने को कितना नुकसान होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या छोटे उद्योगों को पनपाने का यह तरीका है। उद्योग धंधों के मंत्रालय का जो विंग यह काम करता है वह डेस्ट्रक्टिव तरीके से काम करता है। उसका काम यह हो गया है कि किसी तरह से बाजार में कच्चे माल की कमी दिखायें और उसकी कीमत को बढ़ाते चले जायें और जो उद्योगपति हैं उनसे पैसा वसूल किया जाय, इस तरह से वे उद्योग धंधों को बढ़ावा दे रहे हैं।

मैं मानता हूं कि छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना एक अच्छी बात है। जब तक आप इन छोटे उद्योगों को बढ़ावा नहीं देंगे, तब तक हिन्दुस्तान में जो बेकारी की समस्या है वह हल नहीं हो सकेगी। लेकिन यह काम तब तक नहीं हो सकता जब तक कि कच्चे माल का वितरण ठीक तौर से नहीं होगा।

अभी सिलेक्ट कमेटी में हमारे सामने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेश था। वहां पर यह सवाल उठाया गया कि छोटे उद्योगों को सस्ते भाव पर बिजली उपलब्ध की जाये। लेकिन यह अमेंडमेंट वहां पर नहीं माना गया। मैं नहीं कह सकता कि वह अमेंडमेंट यहां भी स्वीकार किया जायेगा या नहीं। लेकिन अगर सरकार छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाना चाहती है तो उनको बिजली और कच्चा माल सस्ते दामों पर मिलना चाहिये। कच्चे माल के उचित वितरण का यह परिणाम होता है कि एक उद्योगपति तो मुनाफा उठा रहा है और दूसरे को चोर बाजार से माल खरीदना पड़ता है और इस तरह उसे नुकसान होता है।

बेकारी की समस्या का सवाल आता है। अब तक दूसरे पंचवर्षीय आयोजन के तीन साल खत्म हो चुके हैं लेकिन बेकारी बढ़ती ही चली जा रही है। तृतीय पंचवर्षीय आयोजन की रूपरेखा के कुछ संकेत हमको मिलने लगे हैं। उससे भी यह पता नहीं चलता कि बेकारी की समस्या को

हल करने के लिये कोई कारगर कदम उठाये जायेंगे । अभिभाषण में भी यह बात नहीं है कि सरकार हिन्दुस्तान के हर नागरिक को जिसको काम नहीं मिलता है और जो काम करने लायक है सरकार काम दिलाने में समर्थ होगी । मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से यह स्पष्ट घोषणा हो कि कोई भी व्यक्ति जो काम करने लायक है उसे काम जरूर दिया जायेगा । जब तक हम यह नहीं कर सकते तब तक हमारी योजना तो सफल हो ही नहीं सकती । जब तक हम हिन्दुस्तान की जो जन शक्ति है उसका पूरा उपयोग नहीं क गे तब तक हमारी योजनायें सफल नहीं होंगी । मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से यह स्पष्ट घोषणा हो जाये कि जो व्यक्ति काम करने लायक है उसे काम देने की जरूर कोशिश की जायेगी ।

और भी बहुत से मसले हैं । काश्मीर का सवाल है, पूर्व में नेफा का सवाल है । ये दोनों क्षेत्र ऐसे हैं जहां बहुत खतरे हैं ।

काश्मीर के बारे में यहां बार बार चर्चा की गई है कि काश्मीर हिन्दुस्तान का अभिन्न अंग बन चुका है, और काश्मीर के प्रधान मंत्री भी बार बार यह ऐलान कर चुके हैं कि काश्मीर सदा हिन्दुस्तान का अभिन्न अंग रहेगा । लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट को काश्मीर में वह अधिकार हासिल नहीं हैं जो कि दूसरे राज्यों में हैं । मैं चाहता हूं कि सरकार स्पष्ट रूप से यह घोषणा करे कि काश्मीर हिन्दुस्तान का अभिन्न अंग है, और इसलिये काश्मीर की भी वही हैसियत होनी चाहिये जो दूसरे राज्यों की है । उसके साथ कोई विशेष व्यवहार नहीं होना चाहिये । वहां पर इलेक्शन कमिशन और सुप्रीम कोर्ट का वही अधिकार क्षेत्र होना चाहिये जैसा कि और राज्यों के लिये है । इसका यह तात्पर्य नहीं है कि मैं काश्मीर की सरकार की आलोचना करना चाहता हूं । लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि हमें काश्मीर की तरफ से सतर्क रहना चाहिये ।

नेफा में डा० राम मनोहर लोहिया को गवर्नर ने यह कह कर नहीं आने दिया कि आप पहले हमें बतायें कि आप यहां आकर क्या करना चाहते हैं । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि ऐसी कौनसी वजह है कि जिसके कारण लोगों को नेफा एरिया में जाने से मना किया जाता है । यह प्रतिबन्ध क्यों है । क्या पृष्ठ भूमि है उनकी कि उनको नहीं जाने दिया गया । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उधर से भी हमको सतर्क रहना चाहिये ।

सरविसेज़ से हमारा क्या सम्बन्ध है यह भी ठीक तौर से निश्चित हो जाना चाहिये । अभी मथाई कांड चल रहा है । सिर्फ इतना ही नहीं है कि गृह मंत्रालय की तरफ से उनके मामले में सतर्कता नहीं बरती गई बल्कि प्रधान मंत्री की तरफ से भी सतर्कता नहीं बरती गई । श्री मथाई अमरीकन रेडक्रास में ४९८ रुपये मासिक पर काम कर रहे थे । उसके बाद वह प्रधान मंत्री के साथ अटैच हो गये और उनको ८०० रुपये मासिक दिये जाने लगे । आज जरूरत इस बात की है कि न सिर्फ इस बात का पता लगाया जाये कि उन्होंने इतना रुपया किस तरह इकट्ठा किया बल्कि इस बात की भी जांच की जाये कि हिन्दुस्तान के मंत्रिमंडल में कितने लोगों को आने से सिर्फ मथाई साहब की वजह से रोक दिया गया । मथाई साहब का रुआब इतना हो गया था कि मिनिस्टर लोगों को प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलना मुश्किल हो गया था । उन्हें डर होता था कि कहीं हमें अलग न कर दिया जाये । हम किसी भी व्यक्ति को इतना महत्वपूर्ण नहीं बनने दे सकते कि जनतंत्र को ही उसकी वजह से खतरा पैदा हो जाये । जब कोई व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण बन जाये कि उससे जनतंत्र को खतरा हो जाये तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, और वह कार्रवाई केवल एक व्यक्ति के ही बारे में नहीं होनी चाहिये, बल्कि हमें सारी सरविसेज़ के बारे में देखना चाहिये कि कहीं और तो ऐसा खतरा नहीं पैदा हो रहा है ।

इसलिये मेरा निवेदन है कि हमें इन सब बातों की तरफ अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिये ताकि हम एक अच्छे हिन्दुस्तान का नव निर्माण कर सकें ।

पंचवर्षीय योजनाओं को सफल करने के लिये जरूरी है कि जनता का पूरा सहयोग प्राप्त किया जाये लेकिन वह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि गोलीकांड होते हैं और व्यक्तियों को जेलों में भेजा जाता है। इस कार्य में सफलता तभी मिल सकती है जब कि सरकार सब का सही रूप में सहयोग ले । हमारे प्रधान मंत्री भी कहते हैं और अभिभाषण में भी कहा गया है कि सरकार इस काम में सबका सहयोग चाहती है। प्रधान मंत्री की तरफ से कहा गया कि वह परियोजना के सम्बन्ध में एक सर्वदलीय कमेटी बनावेंगे । कमेटी बनायी गयी लेकिन जिस तरह वह बनी उस पर मुझे आश्चर्य हुआ। हम जानते हैं कि जिस तरह से हमारे देश के प्रधान मंत्री प्लानिंग करना चाहते हैं उससे हमारा मतभेद है, लेकिन वे हमारी राय भी नहीं लेना चाहते । उस कमेटी में सोशलिस्ट पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं लिया जाता । ऐसी हालत में मैं यह कहना चाहता हूं कि बार बार यह कहना छोड़ देना चाहिये कि हम सबका सहयोग चाहते हैं। सहयोग के मानी यह नहीं हैं कि सबकी आपसे सहमति ही होगी । अगर आप हमारा सहयोग नहीं चाहते तो स्पष्ट रूप से ऐसा कहिये । आपको यह कहना बन्द करना चाहिये कि हम सबका सहयोग चाहते हैं । अगर आप ऐसे लोगों का ही सहयोग लेना चाहते हैं जो आपकी नीति का समर्थन करें तो हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन यह झूठ बात तो न कहें कि हम सबका सहयोग चाहते हैं और साथ ही कुछ को अलग रखें । इसके मानी क्या हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि हिन्दुस्तान की सरकार अपनी नीति में मौलिक परिवर्तन करे और हिन्दुस्तान के लिये जो खतरे हो सकते हैं उनकी तरफ मैं उसे आगाह करना चाहता हूं ।

† **श्री नरसिंहन्** (कृष्णागिरी): सभापति महोदय, मैं आचार्य कृपालानी के कल के भाषण के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । उन्होंने राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की जो बात कही उसका मैं विरोध करता हूं। राष्ट्रीय सरकार की स्थापना से हमारी समस्यायें हल नहीं हो सकतीं । राष्ट्रीय सरकार कोई रामबाण नहीं है जिस से समस्त रोग दूर हो जायें । इस के अतिरिक्त बिना जनमत जाने ऐसा किया भी नहीं जा सकता ।

कुछ ऐसा आभास होता है कि जब कभी शासक दल की ओर से प्रतिपक्ष से सहयोग का अनुरोध किया जाता है तो प्रतिपक्ष उसे सरकार में सम्मिलित होने का निमंत्रण समझ बैठता है। यह गलत है । आचार्य कृपालानी का यह तात्पर्य भले ही न रहा हो परन्तु इस तरह की चर्चा प्रायः होती रहती है, इसलिए मैं ने इस बात का उल्लेख करना आवश्यक समझा ।

मैं चाहता हूं कि हमारे नेतागण यह समझें कि राष्ट्रीय सरकार कोई बहुत अच्छा हल नहीं है । प्रजातंत्र में बहुमत को शासन करना चाहिये और प्रतिपक्ष को विरोध करना चाहिये । प्रतिपक्ष को अपना कार्य भली प्रकार करना चाहिए जिस के लिए उन्हें चुन कर भेजा गया है । मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि प्रतिपक्ष अपना कार्य ठीक तरह नहीं कर रहा है। मेरा आशय यह है कि शासक दल और प्रतिपक्ष का एकीकरण उचित नहीं है। मैं चाहता हूं हमारे संविधान में जैसी व्यवस्था है वह जैसी की तैसी बनी रहे । जब तक की कोई बहुत बड़ा राष्ट्रीय संकट न उपस्थित हो जाये तब तक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना अवांछनीय है। मैं चाहता हूं कि दोनों पक्षों के नेता अपना कर्तव्य निभायें अथवा यह समझा जायेगा कि दोनों अपना कार्य करने में असफल रहे।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रपति ने अणुशक्ति संबंधी प्रगति का जो उल्लेख किया है वह सही है । प्रधान मंत्री की विशेष रुचि के कारण आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में हमारी प्रगति असन्तोषजनक नहीं है । जहां तक नाभिकीय शक्ति के उत्पादन का संबंध है मैं यह चाहता हूं कि इन शक्ति संयन्त्रों की स्थापना करते समय मद्रास का भी ध्यान रखा जाये । मद्रास की समस्त जल विद्युत् शक्ति काम में लाई जा चुकी है अस्तु नाभिकीय शक्ति संयंत्रों की स्थापना करते समय मद्रास को याद रखना चाहिए ।

नाभिकीय शक्ति के उत्पादन के संबंध में अणुशक्ति आयोग को अभी से भारतीय विज्ञान संस्था जैसे वैज्ञानिक निकायों की सेवाओं का उपयोग करना चाहिये और नाभिकीय गवेषणा में प्रगति करनी चाहिये । भारतीय विज्ञान संस्था की शासन समिति का सदस्य होने के नाते मैं ने यह अनुभव किया है कि वहां के लोग इसके लिए बहुत उत्सुक हैं ।

भारतीय विज्ञान संस्था में आन्तरिक दहन इंजनों के संबंध में अच्छा अनुसन्धान कार्य हो रहा था । अब उस कार्य को कानपुर के किसी केन्द्र में स्थानान्तरित कर दिया गया है । मैं चाहता हूं सरकार इस संबंध में पुनर्विचार करे । मैं नहीं समझता कि इस प्रकार के आकस्मिक परिवर्तन क्यों किए जाते हैं । कुछ समय पूर्व कुन्नूर की आहारपुष्टि गवेषणा संस्था के हटाये जाने का प्रश्न भी उठा था । ऐसा ज्ञात होता है कि शासन में इधर से उधर भेजने का खब्त सा आ गया है ।

इसी प्रकार भारतीय खानि ब्यूरो और पशु-चिकित्सा संस्था के स्थानान्तरण के प्रश्न भी उठे थे । केवल सिंचाई और बांधों की बड़ी योजनाओं को छोड़ कर और सब चीजों का स्थान परिवर्तन हो रहा है । ऐसा मालूम होता है कि विशेष व्यक्तियों की इच्छापूर्ति के लिए ऐसा किया जाता है ।

जहां तक इस्पात परियोजनाओं का संबंध है मेरा विचार है कि बड़ी योजनाओं पर अधिक बल दिया जा रहा है और छोटी परियोजनाओं की उपेक्षा की जा रही है । चीन में छोटी छोटी योजनाओं से इस्पात के उत्पादन में बहुत सफलता मिली है । अस्तु मैं चाहता हूं कि सरकार छोटे उद्योगों पर ध्यान दे । स्वयं प्रधान मंत्री ने इसका उल्लेख किया है । और मैं आशा करता हूं कि अन्य मंत्रालय भी छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना के संबंध में सहानभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनायेंगे ।

जहां तक दक्षिण की प्रौद्योगिकी संस्था की स्थापना का संबंध है यह बहुत अच्छा कार्य है । परन्तु इस संबंध में, जैसा कि श्री चिन्तामणि देशमुख ने कहा है , प्रवेश के तरीके पर ध्यान देना आवश्यक है । यदि सर्वोत्तम व्यक्तियों को नहीं लिया गया तो कोई विशेष लाभ नहीं हो सकता ।

इस संबंध में मैं यह बता देना चाहता हूं कि यद्यपि आज कल अधिक संख्या में इंजीनियर तैयार किए जा रहे हैं परन्तु अपने देशवासियों को विदेशियों की तुलना में नीचा स्थान दिया जाता है जो अनुचित है । ऐसा करने से योग्य व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं आना चाहते । इसका परिणाम यह होता है कि जितने योग्य व्यक्ति देश में होते हैं उनकी सेवाओं का उपयोग नहीं हो पाता । मैं आशा करता हूं कि इस भेद-भाव को दूर करने का प्रयत्न किया जाएगा ।

मुझे हर्ष है कि सलेम जिले की बॉक्साइट परियोजना के संबंध में अंतिम रूप से निर्णय कर लिया गया है और उसका कार्य शीघ्र आरम्भ हो जाएगा । अल्यूमिनियम का उत्पादन बढ़ाना भी आवश्यक है । मुझे आज यह जान कर प्रसन्नता हुई कि सरकार ने निवेली लिग्नाइट परियोजना में ब्रिक्वेटिंग प्लान्ट को सम्मिलित करना स्वीकार कर लिया है ।

†**श्री नथवानी** (सोरठ) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण के संबंध में अनेक प्रकार की आलोचनायें की गई हैं परन्तु मैं मुख्यत: एक ही बात के संबंध में कहना चाहता हूं और वह है बम्बई के द्विभाषी राज्य के संबंध में कोई उल्लेख न होना ।

परन्तु बम्बई राज्य के प्रश्न की चर्चा करने के पूर्व मैं कुछ शब्द भूमि सुधारों के विवाद के संबंध में कहना चाहता हूं । यह कहना ठीक नहीं है कि उनका निर्देश अस्पष्ट है । यदि हम उसे नागपुर संकल्प को ध्यान में रखते हुए पढ़ें तो कोई भी अस्पष्टता नहीं रह जाती ।

इन सुधारों के संबंध में अनेक प्रकार की शंकायें व्यक्त की गई हैं । श्री मसानी ने कहा कि सरकार चीनी पद्धति की सामूहिक खेती लाना चाहती है । उन्होंने संकल्प का कुछ अंश भी उद्धृत किया । मैं समझता हूं कि संकल्प के कुछ और अंश भी उद्धृत किए जाने चाहिएं जिस से यह स्पष्ट हो जाय कि संकल्प में किसी प्रकार के बल प्रयोग की कल्पना नहीं की गई है । संकल्प के दूसरे पैरा के अंतिम भाग में यह कहा गया है कि "जहां कहीं संभव हो और किसान सामान्यत: सहमत हों", संयुक्त कृषि प्रारंभ की जाय । अस्तु यह स्पष्ट है कि बल प्रयोग वाली शंका निराधार है ।

फिर भूमि की अधिकतम सीमा का प्रश्न है । मैं चाहता हूं कि यह सीमा ऐसी होनी चाहिए जिस से किसानों के परिवार के सदस्य इस ओर आकर्षित हों अन्यथा वे खेती करना छोड़ देंगे ।

इस आलोचना में अवश्य कुछ सार है कि इस आन्दोलन के परिणाम बहुत आशाजनक न होंगे । हमारी अनेक कठिनाइयां हैं । सर्व प्रथम, सहकारी कृषि के अनुकूल वातावरण का निर्माण अभी नहीं हुआ है । फिर प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों का भी अभाव है । रोजगार मिलने के संबंध में भी बहुत अधिक आशा नहीं करनी चाहिये । वास्तव में सही हल ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करना होगा ।

मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि हमें अपनी प्रगति की तुलना सर्वाधिकारवादी देशों से करने की प्रवृति से बचना चाहिये । उन देशों की परिस्थितियां भिन्न हैं । हमें अपनी प्रगति अवश्य करनी चाहिये पर उसकी तुलना सर्वाधिकारवादी देशों से नहीं करनी चाहिये ।

अब मैं बम्बई राज्य के प्रश्न पर आता हूं । श्री याज्ञिक ने उसके विभाजन की वकालत की उन्होंने गुजरात की जनता की ओर से ऐसा कहा । परन्तु वास्तविकता कुछ और ही है । सामान्य निर्वाचन द्विभाषी राज्य के प्रश्न को लेकर लड़े गये थे । विधान-सभा में १३२ में से ९० सीटें कांग्रेस ने जीतीं और केवल ३० सीटें जनता परिषद् ने । लोक-सभा में भी २२ सीटों में से १७ कांग्रेस को मिलीं । स्थानीय चुनावों में भी ५७० सीटों में से ५०७ सीटें कांग्रेस ने जीती । इस तरह जहां तक जनमत का संबंध है स्थिति यह है ।

महाराष्ट्र में भी सामान्य निर्वाचन में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ । पूर्व महाराष्ट्र में अवश्य उनको बहुमत प्राप्त हुआ । परन्तु हमें समस्त संयुक्त महाराष्ट्र के निर्वाचन परिणाम देखने चाहिएं ।

श्री याज्ञिक ने कहा कि गुजरातियों का स्थान अन्य लोगों की अपेक्षा नीचा है । यह बात गलत है । द्विभाषी राज्य में दोनों को समान स्थान प्राप्त है । कोई छोटा बड़ा नहीं है ।

अब मैं श्री गोरे द्वारा कही गई बातों पर आता हूं । उन्होंने लोक-सभा के १९५६ के राज्य पुनर्गठन संबंधी निर्णय के संबंध में यह कहा है कि और भाषा वालों के तो अलग राज्य बन गये पर

†मूल अंग्रेजी में

महाराष्ट्र और गुजरात को वंचित रखा गया। परन्तु ऐसा कहना गलत है। पंजाब भी एक द्विभाषी राज्य है। यह दोनों द्विभाषी राज्य पहले से मौजूद थे। उन्हें एक भाषी राज्यों में विभाजित करने का कोई कारण नहीं था।

श्री गोरे ने बम्बई नगर के जटिल प्रश्न की भी उपेक्षा की। उसी के कारण अन्ततः यह राज्य द्विभाषी बनाया गया। अनेक उच्चाधिकार समितियों ने यह मत व्यक्त किया था कि बम्बई किसी एक भाषा वाले राज्य का अंग नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह निर्णय किया गया था। फिर वहां का शासन भी ठीक चल रहा है इसलिए विभाजन क्यों किया जाय ? गत तीन वर्षों में वहां अनेक आन्दोलन किए गये फिर भी वहां का शासन आचार्य कृप लानी के अनुसार सर्वोत्तम है। यदि ये आन्दोलन नहोते तो शासन और भी अधिक सुचारू हो सकता था।

फिर हमें यह भी सोचना चाहिए कि यदि इस द्विभाषी राज्य का विभाजन कर दिया जाये तो क्या परिणाम होंगे। महाराष्ट्रियों और गुजरातियों के बीच की खाई और भी गहरी हो जायगी। इस के अतिरिक्त हाल के उप चुनावों में श्री अणे की जीत भी समिति के एक भाषी राज्य की पराजय की द्योतक है।

राष्ट्रीय हित की दृष्टि से भी बम्बई राज्य का विभाजन अहितकर होगा। यदि बम्बई राज्य का विभाजन कर दिया जायेगा तो पंजाब राज्य में भी ऐसी मांग खड़ी हो जायेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न पर पुनर्विचार करने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : सभापति महोदय, इस सदन में जब कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है, उस समय इस सदन के बाहर देश की जनता जिन दो प्रमुख विषयों पर चर्चा कर रही है वे हैं अनाज की बढ़ती हुई कीमतें और उनको रोकने में सरकार की असफलता . . .

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : कीमतें गिरनी शुरू हो गई हैं।

श्री बाजपेयी : और दूसरा है मथाई का मामला। मैं दूसरी बात को पहले लूंगा।

इस तरह के समाचार प्रकाशित हुए थे कि आफिशल लेवेल (शासकीय स्तर) पर मथाई के मामले की जांच की जा रही है। मेरा निवेदन है कि यद्यपि श्री मथाई इतने बड़े व्यक्ति नहीं हैं जिन के सम्बन्ध में यह सदन अपना अनमोल समय लगाये लेकिन इस प्रश्न में कुछ सिद्धान्त निहित हैं जिन का स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये। श्री मथाई एक पब्लिक सर्वेंट थे और ऐसी जगह पर थे जहां से वह सरकार की नीति और उस नीति से संबंधित व्यक्तियों को बड़ी मात्रा में प्रभावित कर सकते थे। उन्हें प्राइवेट ट्रस्ट बनाने की अनुमति दी गई। ऐसा क्यों किया गया ? इस के साथ ही उस प्राइवेट ट्रस्ट में एक मिनिस्टर महोदया भी शामिल थीं। गृह मंत्री श्री पन्त ने कल राज्य-सभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह बताया कि बहुत से मंत्री बहुत से ट्रस्टों में शामिल हैं और उन्होंने गांधी स्मारक निधि और इस जैसे अन्य ट्रस्टों के नामों का उल्लेख किया है। मेरा निवेदन है कि चेचम्मा ट्रस्ट को गान्धी स्मारक ट्रस्ट की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। यह एक प्राइवेट ट्रस्ट है। इस में केन्द्रीय सरकार की एक मिनिस्टर शामिल हुई, क्या उन्हें इसकी अनुमति दी गई और अगर दी गई तो किस आधार पर दी गई है और क्या सिद्धान्त की दृष्टि से यह ठीक है कि मिनिस्टर और पब्लिक सर्वेंट प्राइवेट ट्रस्टों में शामिल हों ? इस प्राइवेट ट्रस्ट ने कौन सा चैरिटी का या चैरिटेबल काम किया है ? अभी तक बताया गया है कि २५,००० रुपये किसी चैरिटी में खर्च किये गये हैं जब कि ट्रस्ट की सम्पति दस लाख रुपये के ऊपर कूती गई है। इस बात की भी जांच होनी चाहिये कि ट्रस्ट को

[श्री वाजपेयी]

नम्बर ९, ३० जनवरी मार्ग पर बिड़ला महोदय ने जो ७,२५४ वर्ग गज़ ज़मीन उपहार में दी है, उसका वास्तविक मूल्य क्या है। बताया यह गया है कि ७५,००० रुपये में वह ज़मीन दे दी गई है। आज दिल्ली में जो ज़मीन के भाव हैं और जिस भाव पर केन्द्रीय सरकार भी ज़मीन को बेच रही है, उसके अनुसार उस ज़मीन की कीमत सात या आठ लाख रुपये होती है। ज़मीन के अलावा जो उस में भवन बना हुआ है वह अलग है। आखिर ऐसा कौन सा चैरिटी का काम था जिस से प्रेरित हो कर बिड़ला महोदय ने इतनी बड़ी धन राशि की ज़मीन और सम्पति चचम्मा ट्रस्ट को दे दी? इस बात की अदालती जांच की जानी चाहिये क्योंकि इस में व्यक्ति का प्रश्न नहीं, एक सिद्धान्त का प्रश्न है और भविष्य की दृष्टि से पब्लिक सर्वेंट और मिनिस्टर इस तरह के प्राइवेट ट्रस्टों में भाग लें, इस के सम्बन्ध में सरकार को अपनी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिये। मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि यद्यपि गान्धी स्मारक निधि अथवा कस्तूरबा ट्रस्ट जैसे ट्रस्टों के काम अलग हैं लेकिन उस में जो मंत्री सत्तारूढ़ हैं, वे अगर उन से अपने को अलग रखें तो कोई बहुत बड़ा नुक्सान होने वाला नहीं है। उन में रहने से एक ग़लत परम्परा का श्री गणेश होता है, अपने पद के दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति बल पकड़ती है और फिर दूसरे लोगों को उस में लाभ उठाने का लोभ पैदा होता है। मथाई के मामले से अगर हम इस प्रकार का एक निर्णय ले सकें तो मैं समझता हूं कि वह सही दिशा में निर्णय होगा।

सभापति महोदय, दूसरी बात जो मैं ने कही कि मैं कहना चाहता हूं वह अनाज के दामों के बारे में है। अनाज के दाम बढ़ रहे हैं। अभी रेलवे उपमंत्री महोदय ने कहा है कि अनाज के दाम घट रहे हैं। मैं उन से पूछना चाहता हूं कि किस अनुपात में गिर रहे हैं।

श्री शाहनवाज़ खां : पैडी १० रुपये मन मध्य प्रदेश में बिक रही है।

श्री वाजपेयी : मध्य प्रदेश की बात मत करिये। आप दिल्ली में बैठे हैं जो कि केन्द्रीय सरकार की नाक के नीचे है, वहां पर अनाज के क्या भाव हैं? गेहूं डेढ़ सेर रुपये का मिल रहा है। अरहर की दाल का भाव रुपये में एक सेर का है।

श्री राधे लाल व्यास (उज्जैन) : फेयर प्राइस शाप पर सस्ता बिक रहा है।

श्री वाजपेयी : फेयर प्राइस शाप पर दाल नहीं मिलती है।

श्री राधेलाल व्यास : गेहूं तो मिलता है।

श्री वाजपेयी : राज्य-सभा में सरकार से एक प्रश्न पूछा गया कि भाव क्यों बढ़े हैं और उसके उत्तर में हमारे खाद्य मंत्री महोदय ने कहा और प्रधान मंत्री महोदय ने कहा है कि मुनाफाखोरों और ज़खीरे ाज़ों के कारण ये भाव बढ़े हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सदन ने जो सरकार ने मुनाफाखोरों और संग्रहकर्ताओं पर अंकुश लगाने के लिये अधिकार चाहे, वे अधिकार नहीं दिये। अगर दिये, तो अब सरकार किस मुंह से आकर कहती है कि भाव उन के कारण बढ़ गये? आपने उन पर रोक क्यों नहीं लगाई? ऐसेंशल कमोडिटीज़ एक्ट है, नज़रबन्दी कानून है और जो समाज विरोधी कार्रवाई करते हैं उनके विरुद्ध आप आगे बढ़िये, यह सदन आपका पूरा समर्थन करेगा, आपको पूरा सहयोग प्रदान करेगा। केवल व्यापारियों पर और संग्रहकर्ताओं पर जिम्मेदारी डाल कर सरकार अपने दायित्व से बच नहीं सकती है।

इस सदन में सरकार ने अनाज के थोक व्यापार के राष्ट्रीयकरण का जो फैसला किया है, उसके बारे में भी चर्चा हुई है। मैं समझता हूं कि सरकार ने भली प्रकार सोच विचार कर के यह निर्णय ले लिया। अनाज के थोक व्यापार का सरकारीकरण करने के लिए जो फाइनेंसिस चाहियें, जो एड-मिनिस्ट्रेटिव मशीनरी चाहिये और अनाज का संग्रह करने के लिये जिस तरह के गोदाम चाहियें, वे सरकार के पास नहीं हैं और मैं मानता हूं कि वे एक दिन में सरकार पैदा नहीं कर सकती है। जब ऐसी बात है तो फिर अनाज के थोक व्यापार के सरकारीकरण का फैसला क्यों किया गया है और अगर फैसला किया ही गया तो उसकी घोषणा क्यों नहीं रोक दी गयी? नवम्बर में घोषणा कर दी गई है कि थोक व्यापार का सरकारीकरण किया जायगा। मगर अभी तक प्लानिंग कमिशन का और फूडमिनिस्ट्री का वर्किंग ग्रुप इसकी डिटेल्स ही तय नहीं कर सका है। क्यों नहीं कर सका है, और अगर उस में कुछ कठिनाईयां हैं तो यह घोषणा करने की इतनी जल्दी नहीं थी। और हमारे प्रधान मंत्री ने एक जिहाद भी शुरू कर दिया और उत्तर प्रदेश के खाद्य मंत्री कहते हैं कि क्योंकि सरकार ने थोक व्यापार के राष्ट्रीयकरण का फैसला किया, इसलिए अनाज के व्यापारियों ने गल्ला दबा लिया और उस पर बैठ गये। अब इस स्थिति में हमारी सरकार क्या कर रही है? वे गल्ला दबा कर बैठे हैं और हमारी सरकार हाथ पर हाथ रख कर बैठी है। और इस स्थिति में जो उपभोक्ता हैं और जो अनाज के उत्पादक हैं, उन दोनों पर संकट आया हुआ है। मेरा निवेदन है कि सरकार अनाज सम्बन्धी अपनी नीति के सम्बन्ध में पुनर्विचार करे।

इस सदन में मैंने यह मांग की थी कि जो खाद्य के भिन्न भिन्न क्षेत्र बनाये गये हैं उनके पुनर्गठन के सम्बन्ध में विचार होना चाहिये। मगर खाद्य मंत्री ने कहा है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और लोक-सभा की बैठक होने से दो दिन पहले जो बम्बई, राजस्थान और मध्य प्रदेश को मिलाकर एक खाद्य क्षेत्र बनाया गया था, उसको तोड़ दिया गया। जो तोड़ा गया, मैं समझता हूं, वह ठीक किया गया। लेकिन अभी और भी ऐसे क्षेत्र हैं जिनका पुनर्गठन किया जाना चाहिये। अगर खाद्य मंत्रालय उचित समय पर सही नीति अपनाता तो यह संकट पैदा न होने पाता। दिल्ली में अनाज के भाव क्यों बढ़े? दिल्ली में सस्ते गल्ले की सरकारी दुकानें चलती थीं। मगर उन्हें बन्द कर दिया गया। एक अल्पकालिक प्रश्न इस के बारे में पूछा गया तो मंत्री महोदय ने कहा कि इनकी आवश्यकता नहीं है। दो महीने बाद इस की आवश्यकता प्रकट हो गई थी जब कि गेहूं के भाव ३२ रु० मन तक बढ़ गये। इस बात की जांच की जानी चाहिये कि भारत की राजधानी में अन्न के भावों के लिये कौन उत्तरदायी है। सस्ते गल्ले की सरकारी दुकानें क्यों बन्द की गईं। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की कोई नीति नहीं है और अब सरकार खाद्य के मोर्चे पर अपनी असफलता को छिपाने के लिये दो नारे लगा रही है। मैं उन को नारा ही कहता हूं। वे संचालित नीति के परिणाम नहीं हैं। एक नारा है अनाज के व्यापार का सरकारीकरण और दूसरा नारा है सहकारी खेती। कुछ सदस्यों ने कहा है कि नागपुर प्रस्तावों से क्रांति हो जायेगी। मैं ने तो कभी इतिहास में नहीं पढ़ा कि प्रस्तावों से क्रांति हुआ करती है। क्रांति प्रस्तावों से नहीं होगी, अनाज के भावों को बढ़ने से रोकने में जो सरकार की असफलता है और उस से पैदा होने वाली जो भूख है उस से क्रांति हो सकती है। आप ने जो यह कोआपरेटिव फार्मिंग का निर्णय किया है, मैं जानना चाहता हूं कि उस का उद्देश्य क्या है। क्या आप इससे उत्पादन बढ़ायेंगे? और क्या जिन के पास आज जमीन नहीं है उन को आप जमीन देंगे? अगर हम उत्पादन की दृष्टि से विचार करें तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि जब हमारी कृषि व्यवस्था बदल जायेगी और को-आपरेटिव फार्मिंग शुरू की जायगी तो पहले दो तीन सालों में एक अस्तव्यस्तता उत्पन्न होगी, जिस में उत्पादन घटेगा। बाद में जा कर वह बढ़ेगा या नहीं यह कोई निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता। यहां पर दूसरे देशों के उदाहरण दिये जाते हैं। मैं मानता

[श्री बाजपेयी]

हूं कि अन्य देशों में अन्य परिस्थितियों में सहकारी खेती सफल हो सकती है। अगर हम भी लोकतंत्र का रास्ता छोड़ दें, और आतंकवाद को अपनायें, विरोधी दल समाप्त कर दें, विचारों की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगादें, तो हमारे यहां भी शायद को-आपरेटिव फार्मिंग सफल हो जाय। अगर वह सफल होगी तो लोकतंत्र की कीमत पर सफल होगी। यह एक दूसरा रास्ता है। अभी यहां इजराइल के कुछ पार्लियामेंट के मेम्बर आये थे। उन्होंने बताया कि इजराइल में को-आपरेटिव फार्मिंग सफल हो गई है। लेकिन मेरा निवेदन है कि इजराइल और भारत की परिस्थितियां अलग अलग हैं। इजराइल में तो उन्होंने नई समानता लाना शुरू किया। वहां किसानों के पास परम्परा से, पूर्वजों से प्राप्त जमीन और जमीन के साथ उत्पन्न होने वाला प्रेम इजराइल सरकार के मार्ग में आड़े नहीं आया। भारत की परिस्थिति उस से अलग है और दूसरा सब से बड़ा कारण यह है कि इजराइल सरकार अपने देश की जनता का विश्वास प्राप्त कर सकी है। नये इजराइल के निर्माण के लिये एक नई निष्ठा पैदा कर सकी है। क्या कांग्रेस सरकार पिछले ११ वर्षों में यह निष्ठा पैदा कर सकी है, वह उन प्रवृतियों को जगा सकी है जो देश की जनता में एक नये तंत्र का निर्माण कर सकती है ? नागपुर कांग्रेस में प्रस्ताव पास हुआ, कई गांव में जूलूस निकले, कई लोगों ने खुशियां मनाईं कि एक नई क्रांति आ रही है। लेकिन क्या भारत में कहीं क्रांति हो रही है ? क्रांति ऊपर से नहीं आती। गांवों में क्रांति लाने का जो हमारा आज साधन है हमें उस पर विचार करना चाहिये। हमारे प्रधान मंत्री स्वप्नदर्शी हैं, वह स्वप्न देखते हैं। उनकी आंखों में उज्ज्वल और महान् भारत के बड़े गौरवपूर्ण सपने हैं। मगर स्वपनों को साकार करने के लिये जो सामग्री चाहिये, जो साधन चाहियें, जो कुशल कारीगर चाहियें, जो लगन चाहिये, जो निष्ठा चाहिये, उस का हमारे यहां अभाव है। सरकार में भी अभाव है और जो पार्टी सरकार को चला रही है उस में भी अभाव है। मेरा निवेदन है कि ऐसी परिस्थिति में को-आपरेटिव फार्मिंग सफल नहीं होगी। यह कहना कि हम किसानों को जबर्दस्ती शामिल होने के लिये नहीं कहेंगे, यह या तो अपने को धोखा देना है या किसानों को धोखा देना है। अगर आप जबर्दस्ती नहीं करेंगे तो किसान शामिल नहीं होंगे। मैं जानता हूं कि आप सीधे सीधे जबर्दस्ती नहीं करेंगे, किसान को-आपरेटिव फार्मिंग में शामिल नहीं होंगे तो आप उस को कर्जा नहीं देंगे, उसे बीज नहीं देंगे, पानी की सुविधा नहीं देंगे। दिखाने के लिये उसके साथ जबर्दस्ती नहीं होगी लेकिन उस को झख मार कर को-आपरेटिव सोसायटी में आना होगा। मिल कर खेती, यह एक बड़ा खतरनाक प्रयोग है और मेरा निवेदन है कि देश की खाद्य स्थिति ऐसी नहीं है जिस के साथ प्रयोग किये जा सकें। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी जो आज तक की परम्परा से चली आयी परिस्थिति है और जो नया परिवर्तन हम चाहते हैं, उन के साथ संगति हो सके। लेकिन मैं यहां एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं लैंड सीलिंग के पक्ष में हूं। भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित होनी चाहिये। लेकिन को-आपरेटिव फार्मिंग नहीं चाहिये। सुनने में ही यह बातें परस्पर विरोधी दिखाई देती हैं।

एक माननीय सदस्य : आधा हां और आधा नहीं।

श्री वाजपेयी : मगर मेरा निवेदन यह है कि जिन कारणों से मैं लैंड सीलिंग का समर्थन कर रहा हूं उन्हीं कारणों से मैं कोआपरेटिव फार्मिंग का विरोधी हूं। हमारे देश में जमीन कम है, आदमी ज्यादा हैं और अगर हमें खाद्य का उत्पादन बढ़ाना है, तो कम से कम जमीन में ज्यादा से ज्यादा पैदा करना चाहिये, घनी खेती करनी चाहिये। मगर को-आपरेटिव फार्मिंग में खेत बड़े होते जायेंगे और उन पर किसानों का काम करना उतना ही कम होता जायेगा। घनी खेती के लिये आवश्यक है कि फैमिली फार्मिंग हो। चूंकि आदमी ज्यादा हैं इसलिये हम को यंत्री करण का आश्रय नहीं

लेना चाहिये। अगर हम कृषि का मेकेनाइजेशन करेंगे तो हमारे यहां बेकारी बढ़ेगी और उन बेकारों को हम कहां तक काम पर लगायेंगे ? क्योंकि जो उद्योग धंधे हम विकसित करना चाहते हैं वे विकसित नहीं हो रहे हैं।

मैं इस बात से सहमत हूं कि हम को-आपरेटिव्ज को डेवेलप करें, लेकिन वह बीज के लिये, खाद के लिये, कर्जे के लिये, जमीनों को एक साथ मिलाने और किसानों से जमीन को लेने के लिये नहीं क्योंकि इस तरह पर किसानों के ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है।

एक माननीय सदस्य : सर्विस को-आपरेटिव्ज के बारे में रेजोल्यूशन हुआ है नागपुर में।

श्री वाजपेयी : वह तो हुआ है लेकिन उस से तीन साल तक तो कुछ नहीं होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार इस सम्बन्ध में और विचार करे।

एक बात हमारी कम्यूनिस्ट पार्टी के नेता श्री डांगे ने कही। उन्होंने प्रधान मंत्री की प्रशंसा की, मगर उन के साथियों की आलोचना की और कहा कि प्रधान मंत्री की नीति तो सही है मगर उन के साथी उन की नीति को सैबाटेज करते हैं, गड़बड़ करते हैं। मैं समझता हूं कि यह ऊंचे दर्जे की राजनीति नहीं है। अपने साथियों का चयन प्रधान मंत्री ने किया है। लेकिन अगर सभी प्रांतों में लैंड सीलिंग में देर हो रही है तो क्या हम उस की जिम्मेदारी से प्रधान मंत्री को अलग कर सकते हैं ? यह हमारे कम्यूनिस्टों की रणनीति है, स्ट्रैटेजी है कि प्रधान मंत्री की तो प्रशंसा करेंगे और उनके साथियों को बुरा भला कहेंगे। मैं समझता हूं कि जो भी नीति निर्धारित होती है वह संयुक्त जिम्मेदारी के आधार पर होती है। जब वह ज्वायेंट रिस्पांसिबिलिटी के आधार पर होती है तो उस में से हम किसी को अलग नहीं कर सकते। अगर मैं प्रधान मंत्री से कहूं कि वह अतने इस प्रकार के प्रशंसकों से सावधान रहें तो यह छोटा मुंह बड़ी बात होगी। लेकिन इस प्रकार के प्रयत्न सफल नहीं होने दिये जाने चाहियें, यह प्रार्थना जरूर करता हूं।

अंत में मुझे एक बात और कहनी है। इस सदन में अनेक सदस्यों ने कश्मीर की आन्तरिक स्थिति की चर्चा की है। जो काश्मीर के प्रतिनिधि यहां आये हैं उन में से दो ने इस के बारे में कहा है। अगर वह जम्मू काश्मीर की जनता के सीधे प्रतिनिधि होते तो उन की वाणी में अधिक बल होता। मगर हमारे देश का दुर्भाग्य है और उन का दुर्भाग्य है कि जम्मू काश्मीर के प्रतिनिधि संसद् में चुनाव द्वारा नहीं चुने जाते, असेम्बली द्वारा चुने जाते हैं।

श्री अन्सार हरवानी (फतेहपुर) : असेम्बली भी तो जनता द्वारा ही चुनी जाती है।

श्री वाजपेयी : मगर हमारी तरह से और आप की तरह से वह भी सीधे चुन कर आ सकते हैं। क्या कारण है कि उन का डाइरेक्ट एलेक्शन नहीं होता ? कश्मीर की ऐसी कौन सी विशेष परिस्थिति है ? भारतीय संविधान में जब धारा ३७० सम्मिलित की गई थी उस समय श्री गोपालस्वामी आयंगर ने संविधान सभा को यह आश्वासन दिया था कि यह धारा अस्थायी है और शीघ्र ही उस को संविधान में से निकाल दिया जायेगा। अब उस धारा का आश्रय लिया जाता है, कहा जाता है कि काश्मीर में विशेष परिस्थिति है। हमारा चुनाव आयोग सूडान में चुनाव कराने के लिये जा सकता है किन्तु काश्मीर में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता जब कि काश्मीर वैसा ही है जैसा कि बम्बई, मद्रास या बंगाल ? हमारे सुरक्षा मंत्री श्री कृष्ण मैनन और काश्मीर के मुख्य मंत्री, मैं उन्हें काश्मीर का प्रधान मंत्री नहीं कह सकता क्योंकि देश में एक ही प्रधान मंत्री हो सकता है दो नहीं, कहते हैं कि काश्मीर तो वैसे ही मिल गया है जैसे कि बम्बई। अगर ऐसा है तो मैं जानना चाहता हूं कि हमारा चुनाव आयोग काश्मीर में क्यों नहीं जा सकता, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को काश्मीर में वह अधिकार क्यों प्राप्त नहीं है जो कि भारत के अन्य राज्यों में प्राप्त है।

[श्री वाजपेयी]

अभी काश्मीर के टाउन एरिया कमेटियों के चुनावों में गड़बड़ियां हुईं, धांधलियां हुईं। पर काश्मीर के प्रतिनिधि ने कहा कि धांधली नहीं हुईं। लेकिन मैं पूछता हूं कि अगर धांधली नहीं हुई तो बख्शी सरकार ने उनकी जांच के लिए एक मजिस्ट्रेट को क्यों नियुक्त किया ? जब मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया तो इसका मतलब है कि धांधलियां हुईं और ये धांधलियां तब तक होती रहेंगी जब तक की काश्मीर और शेष भारत के बीच भेद बनाये रखा जायेगा। जम्मू काश्मीर का भारत के साथ पूरी तरह सम्मिलन होना चाहिए। धारा ३७० को भी संविधान से निकाल देना चाहिए और जम्मू काश्मीर की जनता के मन में भारत के विरोधियों को यह भाव पैदा करने का मौका नहीं देना चाहिए कि काश्मीर का भाग्य अधर में लटक रहा है।

एक बात इस सम्बन्ध में मैं स्पष्ट कर दूं। जब हम बख्शी सरकार की आलोचना करते हैं तो पाकिस्तान के अखबार और पाकिस्तान का रेडियो उसे बहुत उछालते हैं। लेकिन मैं पाकिस्तान से कहना चाहता हूं कि बख्शी सरकार से जो हमारे मतभेद हैं वे घरेलू मतभेद हैं, आन्तरिक मतभेद हैं। लेकिन जहां तक जम्मू काश्मीर को भारत में मिलाने का सवाल है या जैसा कि कल काश्मीर की महिला प्रतिनिधि ने कहा काश्मीर का जो तिहाई हिस्सा पाकिस्तान के पास है उसको पाकिस्तान से छुड़ाने का सवाल है, उस में हमारा कोई मतभेद नहीं है, देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे नेशनल कानफरेंस हो, चाहे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे जनसंघ हो, सब इस बारे में एक मत हैं और इस बारे में आपस में कोई मतभेद नहीं है। इस बारे में पाकिस्तान को किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिये क्यों कि इस बारे में हम सब एक हैं। हमारे आपस में मतभेद हो सकते हैं और उनको दूर करने का हम प्रयत्न करेंगे और हम आशा करते हैं कि हमारी सरकार भी काश्मीर के मामले में हस्तक्षेप करेगी और बख्शी सरकार भी समय रहते चेतेगी।

श्री चुनी लाल (अम्बाला–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव चल रहा है उसका मैं समर्थन करता हूं और राष्ट्रपति जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो अपना अभिभाषण दिया है वह देश को प्रोत्साहन देने वाला है और उससे बड़ी आशायें झलकती हैं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

देश में जो तरक्की के काम हुये हैं उस अभिभाषण में उनका जिक्र किया गया है और उससे देश-वासियों को पता चल गया है कि देश भविष्य में बहुत तरक्की के रास्ते पर पहुंच जायेगा और जो देश की बहुत सी समस्यायें हैं वे सुलझ सकेंगी।

प्रस्ताव पर कई प्रकार की बातों का जिक्र हुआ। सबसे ज्यादा जिस बात का जिक्र हुआ वह फूड प्राब्लम है। मैं इस सम्बन्ध में अर्ज करना चाहता हूं कि हकीकत यह है कि देश की फिजा कुछ खराब की गयी। कुछ उलटे सीधे प्रोपैगेंडे किये गये जिसके कारण जो लोग थोड़ा थोड़ा खरीदते थे सबने अपनी ताकत के अनुसार ज्यादा से ज्यादा खरीद-खरीद कर अपने घर में अनाज को भरा, इसके अलावा जो बड़े बड़े जमींदार थे जिनके पास अनाज था और जो बड़े बड़े डीलर थे जिनके पास अनाज था, उन्होंने मुनाफाखोरी की खातिर उसको अपने पास रखा। जब कोई फिजा खराब हो जाती है तो इस प्रकार की स्थिति का आ जाना एक लाजमी बात होती है। उसको हल करने वाली बात बहुत कम हो रही है। मैं यह समझता हूं कि फूड के बारे में जो ऐजीटेशन चल रहा है उससे यह स्थिति हल होने वाली नहीं है। यह तो सिर्फ प्रोपैगेंडे के लिये एक ढंग निकाला हुआ है।

इस सिलसिले में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अनाज है और सरकार को चाहिये कि उस अनाज को प्राप्त करके जनता के सामने लाये ताकि यह जो अनाज की स्थिति है वह ठीक हो सके ।

उपाध्यक्ष महोदय, शहर की जो स्थिति है उसमें तो यह है कि अनाज किसी प्रकार से लिया जा सकता है, लेकिन इस वक्त देहातों में जो हालात हैं वे बहुत ही निराशाजनक हैं । देहात में जो मजदूर और गरीब लोग हैं उनको अनाज नहीं मिल पाता । गांवों के जमींदारों ने अनाज बेचना या देना बन्द कर दिया है और वे गरीब लोग बड़ी मुश्किल में हैं । उनकी तरफ खास तौर से सरकार का ध्यान जाना चाहिये ताकि उनके पास भी अनाज पहुंच सके ।

इसके साथ साथ ही जो अनाज की पैदावार में कमी है उसके कई कारण हैं । हमारी सरकार काफी अरसे से लैंड रिफार्म की बात कहती आ रही है । लेकिन इस दिशा में अभी तक कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ कागजी कार्रवाई ही हुई है । लैंड सीलिंग की बात भी सरकार काफी अरसे से कह रही है, लेकिन यह लैंड सीलिंग भी अभी तक नहीं हो पाई है । सब लोग आज इस बात को मानते हैं कि लैंड सीलिंग होना जरूरी है और यह देश के हित के लिये है, लेकिन फिर भी वह बात इस तरह से चलती है कि कोई प्रगति नहीं हो रही है । सरकार के इस बारे में ढिलमिल इरादे हैं । मैं यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जो भी कोई बात सोची जाये उस पर अमली तौर से और मजबूत इरादे से काम किया जाये ।

दूसरे बहुत सारी वेस्ट लैंड पड़ी है । मैं समझता हूं कि देश की पैदावार बढ़ाने के लिये यह बहुत आवश्यक है कि उस जमीन को जो भूमिहीन खेतिहर हैं उनमें जल्दी से जल्दी वितरित कर दिया जाये ताकि वे देश की पैदावार बढ़ा सकें ।

इसके अलावा ज्वाएंट कल्टीवेशन की बात हमारे सामने है । मैं समझता हूं कि वह एक अच्छा सुझाव है । उससे हमारी पैदावार पर एक अच्छा असर पड़ेगा । उससे हमको लाभ होगा । हमारे सारे किसान मिल करके खेती कर सकेंगे और उनकी लागत कम आयेगी । तो हमें इस मसले में भी सफलता प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिये ।

दूसरी बात करप्शन की है । यहां पर उसकी काफी चर्चा चलती है और यह कहा जा सकता है कि करप्शन काफी है । मैं भी इस बात को मानता हूं कि करप्शन की कमी नहीं है । आज चारों तरफ करप्शन ही करप्शन नजर आता है । बगैर पैसे के, बगैर रिश्वत के काम नहीं होता । जो जहां बैठा हुआ है वह वहां पर पैसा बनाने में लगा हुआ है । इस सिलसिले में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसका इलाज यह है कि इनकम पर सीलिंग लगा दी जाये । आज सब तरफ पैसा कमाने और मुनाफाखोरी की तरफ जो दौड़-धूप हो रही है और लोग जायज़ नाजायज़ तरीके से रुपया कमाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस देश का नैतिक चरित्र गिर रहा है, वे सब बुरी प्रवृत्तियां इनकम पर सीलिंग लगाने से दूर हो सकती हैं । आज देश में यह धारणा पैदा हो गई है कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही इज्ज़त है । इस धारणा को दूर करने के लिये यह निहायत जरूरी है कि इनकम पर सीलिंग लगा दी जाये ।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एक बात का जिक्र नहीं हुआ, जिसकी तरफ मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि आज इस देश में करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग बसते हैं, जिनकी हालत अच्छी नहीं कही जा सकती है, जो सामाजिक और राजनैतिक तौर पर अभी भी बहुत दबे हुये हैं और जिनकी माली हालत तो बहुत ही खराब है । खाने की बात तो अलग रही, उनको बहुत से गांवों में पीने के लिये साफ सुथरा पानी भी नहीं मिल पाता है । यही नहीं, कास्टिज्म का

[श्री चुनी लाल]

ज़हर इतना फैल गया है कि लोगों को वहां पर काम भी नहीं मिल पाता है और रोज़ाना उन पर जुल्म और ज्यादतियां देखने को आती हैं। उन लोगों की दशा अभी तक सुधर नहीं पाई है, हालांकि हमारी सरकार ने उनको बहुत सी सहूलियतें दी हैं। भारत के करोड़ों लोग अभी तक इस मुसीबत के शिकार हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से डिस्प्लेस्ड लोगों के लिये कार्य किया गया है, जब तक इन लोगों के लिये भी उसी तरीके से कार्य नहीं किया जायेगा, तब तक वे उन्नति नहीं कर सकेंगे।

जितने कामन वेल्ज़ हैं, हरिजन अभी भी उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कामन वैल्ज़ तो सिर्फ़ नाम के लिये हैं। इस मामले में दुगुना खर्च हो रहा है। उनके लिये अलग कुएं बनते हैं। जो हरिजनों की अलग अलग जातियां हैं, उनके लिये भी अलग अलग कुएं हैं। इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से हमारे देश में भेद-भाव की भावना बढ़ती जा रही है। पहले लोग यह सोचते थे कि हरिजनों को अलग कर दिया जाये और उनके लिये कुछ सहूलियतें मुकर्रर कर दी जायें, ताकि वे कुछ फायदा उठा सकें, लेकिन मुझे यह कहने में अफ़सोस होता है कि उनमें भी बड़ा भारी मत-भेद है और उनमें सत्ताधारी दूसरे को उसी दृष्टि से देखते हैं, जिस प्रकार कि सत्ताधारी जाति उनको देखती रही है। यह स्पष्ट है कि जात-पात—कास्टिज्म—देश के लिये हितकारी नहीं है, इसलिये उसका खण्डन होना चाहिये और जात-पात अब ज्यादा देर तक नहीं चलनी चाहिये, ताकि देश को एकता की लड़ी में पिरोया जा सके। आज जात-पात बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इसको बहुत जल्दी खत्म किया जाना चाहिये, ताकि हमारे आपसी मत-भेद खत्म हो सकें और यहां पर एक राष्ट्र का निर्माण किया जा सके।

समाजवाद की भी चर्चा की जाती है और हमारी सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह लक्ष्य स्वीकार किया है कि इस देश में समाजवाद लाना है। यह समझ में नहीं आता कि इस ओर हम कितना आगे बढ़ सके हैं और हमने कितना रास्ता तय किया है। समाजवाद का ज़िक्र काफ़ी अर्से से किया जा रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस तरफ़ हमारा कदम बहुत ही कम उठा है और समाजवाद को लाने की तरफ हम कोई मजबूत कदम नहीं उठा सके हैं, जिससे हम सोच सकें कि वास्तव में समाजवाद जल्द आने वाला है। तृतीय पंच वर्षीय योजना में यह ज़िक्र किया गया है कि समाजवाद लाने के लिये सरकार असमानता को दूर करने का प्रयत्न करे, लेकिन आज हम देखते हैं कि अमीर लोग सब तरफ छाये हुये हैं। उनकी अमीरी को कम करने का तरीका यही है कि इनकम पर सीलिंग लगा दी जाये।

आखिर में मैं अन-एम्पलायमेंट का ज़िक्र करना चाहता हूं। यहां पर आम तौर पर ज़िक्र उन लोगों की अन-एम्पलामेंट का होता है, जो कि शहरों में रहते हैं, जो पढ़े लिखे हैं और जिनके नाम एम्पलायमेंट एक्सचेंज में दर्ज होते हैं। असल बात यह है कि ऐसे लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद देहात में रहती है, जिनको काम नहीं मिलता है। उनकी समस्या बड़ी जटिल है। उन लोगों की तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। उनको रोटी तक नसीब नहीं होती है। अगर ऐसे लोगों की तरफ हमारी सरकार का ध्यान न जायेगा, तो आप समझ सकते हैं कि उनका क्या हाल हो सकता है। मैं सरकार से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज जो करोड़ों की तादाद में बेकार लोग देहात में रह रहे हैं, जो कि एम्पलायमेंट एक्सचेंज में अपना नाम दर्ज नहीं करा पाते, उनका खास ध्यान रखा जायें। अगर उन बेकार लोगों की कोई यूनियन बन जाये, तो उसको सम्भालना बहुत मुश्किल हो हे जायेगा। इसलिये उनकी बेकारी का खास तौर पर ध्यान रखा जाये।

इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करता हूं ।

श्री अंचित राम (पटियाला) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया । इसके साथ ही मैं सबको बधाई देता हूं कि आज हम इस सदन में प्रैज़िडेंट के एड्रेस पर चर्चा कर रहे हैं--यहां पर हक में बोलने वाले भी हैं और ख़िलाफ़ बोलने वाले भी हैं । इस सिलसिले में मैं सोचता हूं कि क्या पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है कि प्रैज़िडेंट का एड्रेस पढ़ा जाये और तमाम लोग उस पर बहस करें, और क्या मिस्र, सूडान और दुनिया के और बहुत से हिस्सों में ऐसा हो रहा है, तो मुझे इसका जवाब नफ़ी में मिलता है । मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी धन्यवाद देता हूं कि उनकी हस्ती की वजह से यहां पर ऐसे हालात हैं कि हम सब अपने इख्तिलाफ़ात ज़ाहिर कर रहे हैं । यही नहीं, बल्कि जिनकी वजह से हम ऐसा कर सकते हैं, हम उन पर भी हमला कर सकते हैं । यह बड़ी खुशी की बात है और मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने हिन्दुस्तान में ऐसे हालात पैदा किये ।

कुछ स्पीचिज़ को सुन कर मुझे ऐसा मालूम हुआ कि शायद कुछ लोग ग़लतफ़हमी में हैं । वे कहते हैं कि यहां पर सिचुएशन सीरियस नहीं है । कांग्रेस बैंचिज़ से यह बात कही गई । मैं इसके बारे में अपनी तुच्छ राय प्रकट करना चाहता हूं कि इंडिपेंडेंस के बाद कभी सिचुएशन ऐसी सीरियस नहीं हुई कि जितनी कि अब है । यह मेरी आज़ादाना राय है । पहले शहरों में स्ट्राइक्स, हड़तालें और जलूस वगैरह होते थे, लेकिन आज गांवों का दबा हुआ आदमी भी, जो कि और दब रहा है, रोता है । वह बंधा हुआ है और उसके लिये कोई रास्ता नहीं है । खाने के लिये उसके पास कुछ नहीं है । वह तबाह हो रहा है । पंजाब पहले एक सरप्लस सूबा था, लेकिन आज वहां गेहूं दस या पन्द्रह रुपये मन नहीं, बल्कि पच्चीस, तीस और पैंतीस रुपये मन के हिसाब से बिक रहा है । इसलिये सिचुएशन बहुत सीरियस है । कांग्रेस के--गवर्नमेंट के आदमी कहते हैं कि यह मामूली बात है, सिचुएशन इतनी सीरियस नहीं है । मेरी राय यह है कि वे बिलकुल ग़लतफहमी में हैं । मुझे हैरानी होती है जब मैं देखता हूं कि आटे के लिये क्यू लगी होती है । एक आदमी जो कि तीन रुपये, ढाई रुपये और दो रुपये रोज़ के कमाता है वह अपनी सारी दिहाड़ी को बरबाद करके दस सेर आटा ही खरीद पाता है । कितनी मुसीबत उस पर आती है या कितनी मुसीबत का सामना उसे इस तरह से करना पड़ता है, इसका अन्दाजा आप आसानी से ही लगा सकते हैं । तीन रुपये गुम करके वह दस सेर आटा लाता है । दस सेर आटा लेने का यह तीन रुपये आप टैक्स समझ सकते हैं ।

आप यह कहते हैं कि गांव वाले और शहर के जो स्टाकिस्ट हैं वे अपना स्टाक सरेंडर कर दें । वे लोग कहते हैं कि स्टाक है ही कहां जो हम सरेंडर करें । आन दी फेस आफ इट यह कितनी गलत बात है । कल मैं पटियाला में था । वहां अनाज २४ रुपये और २५ रुपये मन बिक रहा था । मैं पूछना चाहता हूं कि अगर स्टाक नहीं है तो यह अनाज आ कहां से रहा है और कैसे यह बिक रहा है ? एक आदमी ने मुझे कहा कि यह स्टाक एक दिन में निकल कर बाहर आ सकता है । उसने कहा कि जितने भी पांडी हैं, जितने भी गेहूं को ढोते हैं, उनको एक दिन इकट्ठा आप कर दें और उनसे पूछें कि स्टाक कहां है और वे आपको सब कुछ बता देंगे और जितना भी स्टाक है वह दस मिनट के अन्दर बाहर निकल आयेगा । लाखों मन गेहूं इस तरह से खुले बाजार में बिक रहा है और वे लोग कहते हैं स्टाक नहीं है । अगर स्टाक नहीं है तो कहां से यह गेहूं आता है । इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि यह गलत बात है अगर यह कहा जाये कि गन्दम नहीं है । मेरी नाकिस राय यह है और लोग भी यह समझते हैं कि "इट इज नाट ओनली ए फैमिन आफ फूड बट इट इज ए फैमिन आफ फोरसाइट एंड ए फैमिन आफ फेथ इन दी गवर्नमेंट" । (यह हमारी दूरदर्शिता का भी दुर्भिक्ष है) । आज आपने डिपू खोले हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि इनको छः महीने पहले क्यों नहीं खोला गया ? आज

[श्री अचिंत राम]

आपने इनको क्यों खोला है और क्यों इसकी आज ही आपको सोच आई है ? यह किसी से गिला करने की बात नहीं है । हमारे जैन साहब रिहैबिलिटेशन के मिनिस्टर भी रह चुके हैं और मेरा उनसे वास्ता पड़ा है और मैंने उनसे मुखालिफ राय भी रखी है, लेकिन इतना होने पर भी मैंने उनकी हमेशा प्रशंसा की है । लेकिन आज दुनिया का यह आम खयाल है कि फूड मिनिस्ट्री हैज़ फेल्ड, फेल्ड, फेल्ड । लेकिन इस बात को कोई सुनता ही नहीं है । मैं तो कहूंगा कि सारी पालिसी जो चल रही है वह इसी तरह से चल रही है । पहले क्यों नहीं इन सब बातों को सोचा गया था और क्या इस तरफ आज ही आपका ध्यान गया है । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि आप गलतफहमी में न रहें और जो मरे हुये आदमी देश के अन्दर आज हैं और जिनका उनके दायें बायें कोई दोस्त नहीं है, वे भी एक दिन उठ सकते हैं, वे भी फूट पड़ सकते हैं और बहुत बुरी हालत में पागल हो सकते हैं । यह तो मैं गेहूं के बारे में कहना चाहता हूं ।

अब मैं कोओप्रेटिव्ज़ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । बहुत सोच विचार के बाद आपने एक हल निकाला है और वह भी बहुत देरी के बाद । दस साल के बाद तो यह हल निकाला ही गया है । इस चीज के बारे में जो कुछ विनोवा भावे जी ने कहा है वही मैं निवेदन करना चाहता हूं । उन्होंने कहा है :—

> "मैं अगर सरकार में होता तो कहता कि सरकार ऐसी सहकारी मंडली को मान्यता दे कि जो दाखिल होने से पहले अपनी जमीन की मालिकी गांव के हित में विसर्जित करे ।"

लेकिन आपकी स्कीम के मुताबिक तो जो इनइक्वैलिटी है वह बनी रहेगी । एक आदमी होगा जिसकी दो एकड़, एक एकड़ या इससे कम जमीन होगी और दूसरा होगा जिसकी एक हजार और पांच सौ एकड़ जमीन होगी । अब जिसके पास कम जमीन है वह गरीब है लेकिन इस स्कीम से तो वह गुलाम भी बन जायेगा, स्लेव भी हो जायेगा जो कि वह पहले नहीं था । ऐसी सूरत में सहकारी खेती कैसे चलेगी, यह इमपासिबिल है । जब तक इक्वैलिटी की भावना नहीं आयेगी और जब तक एक हज़ार और पांच सौ और दो सौ एकड़ वाले रहेंगे तब तक शान्ति कैसे स्थापित होगी और उस गरीब आदमी को देगा कौन । यह बात मैंने अपनी नहीं विनोबा भावे जी की आपको सुनाई है । इसको आप जितनी वैल्यू अटैच करना चाहते हैं करें । मैं तो समझता हूं आज वही एक आदमी है जो कि लोगों की पल्स टच करता है । और भी बड़े बड़े आदमी हो सकते हैं जो जनता को समझाते हों और इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं है लेकिन जनता की पल्स को वह बहुत ही अच्छी तरह से जानता है और उसी का यह स्टेटमेंट है कि यह सहकारी खेती कामयाब होने वाली नहीं है । इससे हो सकता है कि शोषण का एक और ज़रिया निकल आये । आप तजुर्बा करना चाहते हैं और आप कर भी सकते हैं, लेकिन यह उनकी राय है । मैं कोई बहुत तजुर्बेकार नहीं हूं । आपको चाहिये कि आप सोच समझ कर चलें और देखें कि गरीब आदमियों का एक्सप्लायटेशन न हो । अब तो वे लोग दम तो ले पा रहे हैं और बाद में कहीं ऐसा न हो कि वे दम ही तोड़ दें ।

तीसरी बात मैं, आप जो फौजों पर रुपया खर्च कर रहे हैं, उसके बारे में कहना चाहता हूं । एक तो आप एक डेढ़ अरब रुपये का गेहूं बाहर से मंगा रहे हैं और दूसरे आप कोई तीन सौ करोड़ रुपये फौज पर खर्च कर रहे हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि यह तीन सौ करोड़ रुपया फौज पर खर्च करने की जरूरत क्या है, क्यों यह किया जा रहा है ? ये फौजें किसके हमले से बचाव के लिये रखी जा रही हैं ? क्या अमरीका की तरफ से हमला हो, तो बचाव के लिये हैं ? अमरीका बहुत शक्तिशाली देश है और उसका मुकाबला कैसे किया जा सकता है । इसी तरह से इंग्लैंड के हमले का

मुकाबला भी नहीं किया जा सकता है । तो फिर इनको मुकाबला किस तरफ से हुये हमले का करना है । यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से हुये हमले का इनको मुकाबला करना है । पाकिस्तान का हमला और इतना अधिक खर्च ? आज पाकिस्तान कितना अपनी फौजों पर खर्च कर रहा है ? वह तो सौ करोड़ रुपये के करीब कर रहा है और आप तीन सौ करोड़ रुपया, यह क्या बात हुई ? पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है और हिन्दुस्तान बड़ा । पाकिस्तान की फौजें तो बहुत ही जाबर निकलीं । उसको वहां पर मुल्क की प्रोटैक्शन के लिये रखा गया था और उसने अपने ही मुल्क पर हमला कर दिया । ऐसा मालूम होता है कि उसकी अपनी फौज नहीं है । इसके मुकाबले में आपकी जो फौज है वह देशभक्त है, लायल है और यह खुशी की बात है । क्लाइव और जाफर की फौज में भी लड़ाई हुई थी और आप जानते हैं कि जीत किसकी हुई । फौज ज्यादा हो तभी मुकाबला किया जा सकता है, यह धारणा गलत है । वह मुन्तज़िम होनी चाहिये, डिसिप्लिंड होनी चाहिये और इसी को देखना हमारा फर्ज़ है । थोड़ी सी फौज का मुकाबला करने के लिये इतनी बड़ी फौज और वह भी उस फौज के खिलाफ जो खुद गर्ज़ है, समझ में नहीं आता है । आप अमरीका का, इंग्लैंड का, रूस का, फ्रांस का मुकाबला नहीं कर सकते हैं और पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिये ही आपने फौज रखी है ले दे कर और पाकिस्तान जब कि सौ करोड़ रुपये खर्च करता है, वहां आप तीन सौ करोड़ रुपया खर्च करते हैं । आपकी फौज बेटर आर्गेनाइज्ड है, ज्यादा लायल है, ज्यादा देश भक्त है और इतना होने पर भी इतना ज्यादा खर्च करना, यह बात समझ में नहीं आती है । यह चीज़ तो यह साबित करती है कि आपको पाकिस्तान से तीन गुना डर है । यह तो डर को बढ़ाने वाली बात हुई, घटाने वाली नहीं । आज आप एक तरफ इतना अधिक रुपया अनाज मंगाने पर खर्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ इतना रुपया फौजों पर कर रहे हैं । ऐसी सूरत में सोचने वाली बात यह है कि आया हमें इतना फौज पर खर्च करना है या नहीं करना है और अगर नहीं करना है तो कितना कम खर्च करना है यह बिलकुल नहीं करना है । आपको यह भी खयाल करना होगा कि इसका असर क्या पड़ता है देश के ऊपर और साथ ही साथ आज हमारे देश की हालत क्या है । ये सब बातें हैं जिन पर अच्छी तरह से सोच विचार करने की आवश्यकता है । ऐसी सूरत में अगर और कुछ नहीं तो आप फौज पर दो तिहाई खर्च तो कम कर ही सकते हैं ।

अब मैं फाइव यीयर प्लान के बारे में दो एक शब्द कहना चाहता हूं । इस प्लान के बारे में जो कुछ विनोबा जी ने कहा है, वह यह है कि प्लान का पीरियड तो खत्म हो गया लेकिन टारगेट्स अचीव नहीं किये गये । ये उनके शब्द हैं जो कि एक निष्पक्ष आदमी हैं, पंडित जी से बहुत मुहब्बत करता है और जिनको मिलते ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं । वह आज गांव गांव में घूमता फिरता है और सभी चीजों को देखता फिरता है । वह कहता है कि लोगों की कोओप्रेशन नहीं है, पीरियड तो खत्म हो गया है । उनकी बात का यह असर हुआ है कि अब सरकार यह महसूस करने लग गई है कि प्लान ऊपर से बन रहा है, लोगों की राय से नहीं बनता है, इसलिये इसको लोगों की राय से बनना चाहिये । यह लोगों की राय की जो बात है, इसके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं । बसी में अभी हाल ही में एक मीटिंग हुई थी और मैं भी उसमें गया था । उसमें लोगों ने कहा कि उनकी मर्ज़ी से ही प्लान बनेगा और उनकी मर्ज़ी से खर्चा होगा । यह सुन कर मुझे बड़ी खुशी हुई । डेढ़ सौ या दो सौ गांवों से आदमी आकर वहां बैठे हुये थे । जो आदमी मीटिंग एटैंड करने के लिये, वे बहुत कम तादाद में आये । दस दस मील से वही आदमी मीटिंग एटैंड करने आ सकता है, जिसके घर में खाने के लिये हो और जिसके घर में खाने को आटा न हो वह कैसे आ सकता है । जो व्यक्ति हर रोज कमाता है और हर रोज़ ही खर्च कर देता है उसके लिये मीटिंग के सम्बन्ध में एक दिन नाश करना असम्भव है । जिसके पास अच्छे कपड़े पहनने को हैं, जिसके पास अच्छे पैसे हैं वही वहां आ सकता है और जिसके तन पर कपड़ा नहीं है, वह कैसे आ सकता है, यह पासिबल ही नहीं है ।

[श्री अचिन्त राम]

फटे हुये कपड़ों में कैसे कोई आयेगा ? तो मैं कहना चाहता हूं कि जो प्लानिंग है यह ऊपर से ही, दस गज़ ऊपर से ही, होता है, नीचे वाले लोगों तक नहीं आ पाता है। इस वास्ते मैं कहूंगा कि आप किसी गलतफहमी में न रहें। साथ ही आप जो कर्ज़े पर कर्ज़ा लेते जा रहे हैं, इसका क्या असर होगा, इस पर भी आपको विचार करना होगा। यह रुपया उसी तरह से लोगों को टच नहीं करता है जैसे कि आप एक बरतन में जिसके नीचे छेद हो, पानी डालते जायें और वह पानी उस बरतन में रह ही नहीं पाता है। इस रुपये को आप लेकर क्या करेंगे जब कि यह लाखों और करोड़ों लोगों को भी कोई लाभ नहीं पहुंचायेगा ?

पेवमेंट हो रहे हैं गलियों के। लेकिन गांव के रहने वालों को इन पेवमेंट्स से क्या भला होगा। किस के लिये गलियां बन रही ह, स्कूल बन रहे हैं ? मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि असल बात यह है कि जब तक आप प्लैन गांवों के लिय नहीं बनायेंगे तब तक आपकी प्लैन कामयाब नहीं हो सकती। हर गांव बैठ कर प्लैन करे। जिस गांव में बगैर जमीन वालों और बगैर मकान वालों का सहयोग नहीं है वह प्लैन मंजूर न की जाय। अपने आप काम करे, हर गांव के अन्दर जो भी जमीन और जितने मकान हैं सब आप उन के सुपुर्द कर दें। तभी आपकी प्लैनिंग चल सकती है। मैं अक्सर सोचता हूं कि नेगोशिएशन्स हो रहे हैं, कि सहायता की जाय, जापान हमारी मदद को आयेगा, बड़ी खुशी की बात है। इंग्लैंड भी देगा। लेकिन आखिर यह कर्जा वापस कैसे करेंगे ? कहते हैं कि उन के साथ कोई स्ट्रिंग नहीं है। हो सकता है कि कोई स्ट्रिंग न हो, लेकिन फिर भी इस रुपये को अदा तो करना होगा। आखिर कौन इस रुपये को अदा करेगा, किस के सिर पर यह बोझ है। **दे हैव नो स्ट्रिंग्स फार दी प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया।** लेकिन फर्ज कीजिये कि वे लोग आप से रुपया मांगते हैं तो यह कह देंगे कि फसल नहीं हुई, बारिश हो गई, ओला पड़ गया इस वास्ते अनाज नहीं हुआ। आप आज कहते हैं कि दस बरसों से ओला पड़ रहा है और इसलिये अनाज बाहर से आ रहा है। अगर कहीं दस बीस बरस और भी ओला पड़ने लगे तो क्या होगा ? और अगर अमरीका कहने लगे कि जो कुछ तुम्हारे पास हो हमको दो, हम ने तुम को रूपया दिया है, तो आप क्या करेंगे ? हम इन्तजाम करेंगे आयल का दस सालों में, वह कह सकते हैं कि लाओ हमें अपना आयल ही दो तो आप क्या करेंगे, जरा इस को भी तो सोचिये। इस लिये मैं कहता हूं कि आप जरा सोच समझ कर कर्जा लीजिये। कहीं ऐसा न हो कि यह हम पर और ज्यादा मुसीबतें ले आये। आप तो चले जायेंगे लेकिन आने वाली नस्लें हमको कोसेंगी कि हम लोग कर्जा लेते रहे और उनकी मुसीबत बढ़ाते रहे। इसलिये जरा समझ से काम लीजिये। मैं समझता हूं कि **कंडीशन इज वेरी सीरियस**। इस वक्त जो गवर्नमेंट है वह पंडित नेहरू की है। गांवों के लोगों से माल लेने में आज गवर्नमेंट नाकामयाब हुई है, यह बिल्कुल साफ है। आज चाहे गांवों के रहने वाले हों या शहरों के, वह आपको अनाज देने को तैयार नहीं हैं। कहते हैं कि इस से हमारी मुसीबत बढ़ेंगी और हम गरीब हो जायेंगे इस लिये यह चीज हमें फायदा पहुंचाने वाली नहीं है। इस लिये **आई एम नाट प्रिपेअर्ड टु सरेन्डर माई स्टाक**। अगर उस ने ऐसा न किया तो फिर रास्ता क्या है ? मैं कहूंगा कि कैबिनेट आज ठीक चल रही है लेकिन फिर भी आज मुल्क के अन्दर एक नेशनल ऐसिस्टेंट कैबिनेटस बननी चाहिये। हो सकता है कि कृपालानी साहब ने इस लिये कहा हो कि उन को लालच हो कि वह जा कर ट्रेजरी बेंचेज पर जाकर बैठ जायें, लेकिन जो लोग कांग्रेस के भी नहीं हैं और जिन को लालच भी नहीं है, जिन्होंने इसकी कभी परवाह भी नहीं की पार्लियामेंट में जाकर बैठें, आप उन लोगों को यहां रखें और उनकी कैबिनैट बनायें। हो सकता है कि जो लोग कांग्रेस के बाहर हैं वे आप को बदनाम करना चाहते हों लेकिन जो लोग कांग्रेस में हैं और इस वजह से आप की मुखालिफत नहीं करते, वह भी इस मामले में आप के साथ नहीं हैं तो फिर आपको चाहिये कि आप एक ऐसी नैशनल ऐसिस्टेंस कैबिनेट बनायें जिस से आप को

जनता का विश्वास मिल सके और आप ठीक से काम कर सकें । उस कैबिनैट में इन लोगों को रक्खा जाना चाहिये : विनोबा जी, श्री जय प्रकाश नारायण , राजा जी, मास्टर तारासिंह, श्री जेड ए० अहमद, डा० जाकिर हुसेन, आशा देवी, गोलवल्कर जी और टन्डन जी । यह सब लोग होने चाहियें ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ने तो कैबिनेट बना कर अपना इलाज दे दिया अब ।

श्री अचिंत राम : मैं अब इतना ही बताना चाहता हूं कि उस कैबिनैट का काम क्या होगा । उस के सुपुर्द छः सब्जेक्टस् होने चाहियें । एक तो फूड का मसला, दूसरे डिफेन्स का मसला, तीसरे एजुकेशन का मसला , चौथे इंडो-पाकिस्तान रिलेशन्स का मसला, पांचवें स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन का मसला और छठवें लैंग्वेज का मसला । इन छः चीजों को नैशनल ऐसिस्टेंटस कैबिनैट के सुपुर्द किया जाय । प्राइम मिनिस्टर का वोट उसी वक्त काम में आये जब उन का डिफरेंस हो आपस में । जो चीज वह यूनैनिमसली पास करें उस में प्राइम मिनिस्टर का दखल नहीं होना चाहिये । लेकिन उस फैसले को अगर बदलना हो तो दोनों हाउसेज की मैजारिटी से उस को बदला जा सके । दरअस्ल मेरा यही सजेशन था जो मैं देना चाहता था । मैं चाहता हूं कि इस तरह की कैबिनेट बनें और जिन लोगों का मैं ने नाम रक्खा है, उन को उस में जगह दी जाय ।

†**श्री मोहम्मद इमाम** (चितलद्रुग) : इस अभिभाषण के सुनने के बाद मन में कोई उत्साह ही पैदा नहीं होता । बस जैसे खानापूरी की गई है । अभिभाषण से यह प्रकट ही नहीं होता कि देश के सामने कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं ।

पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ के समय जो उत्साह और आशावादिता की भावना थी, उसकी इस अभिभाषण में झलक तक नहीं है । इससे तो कुछ निराशावादिता और अनिश्चितता की ही झलक मिलती है ।

वर्ष १९५७ के अभिभाषण से यह भावना झलकती थी कि योजना की प्रगति मन्द करने का कोई सवाल ही नहीं उठता । फिर, वर्ष १९५८ के अभिभाषण से लगता था कि देश संकट में है और योजना का शायद कुछ पुनरीक्षण करना पड़ेगा । लेकिन इस वर्ष के अभिभाषण में यह स्पष्ट स्वीकार किया गया है कि योजना का पुनरीक्षण तो करना ही पड़ा है और अब पुनः उसकी काट छांट करनी पड़ेगी ।

इसका मुख्य कारण यह है कि योजनाओं ने देश के संसाधनों का ठीक–ठीक मूल्यांकन नहीं किया था । सहायता के लिये हम अधिकतर विदेशों पर ही निर्भर रहे हैं । मैं चाहता हूं कि समूची योजना को कार्यान्वित किया जाये, लेकिन यह नहीं चाहता कि जनता को झूठी आशायें बंधाई जायें ।

मैं जानता हूं कि कई बड़ी–बड़ी परियोजनाओं का निर्माण चल रहा है, लेकिन साथ ही यह भी सही है कि इन परियोजनाओं, विशेषकर सामुदायिक परियोजनाओं में काफी अपव्यय भी हो रहा है ।

गरीब जनता की हालत तो ज्यों की त्यों बनी हुई है । गांवों के सभी लोगों को न भर पेट भोजन मिलता है, न पर्याप्त वस्त्र और न रहने लायक स्थान । लोकतांत्रिकता का उन्हें यही फल मिला है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोहम्मद इमाम]

साथ ही यह भी सही ह कि सरकार खाद्य समस्या को हल करने की पूरी कोशिश कर रही है। उसने अधिक अन्न-उपजाओं आन्दोलन पर करोड़ों रुपये खर्च किये हैं। सरकार ने तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ के समय ही घोषित किया था कि प्रथम योजना पूरी होते होते देश में खाद्य संकट जैसी कोई चीज ही नहीं रह जायेगी। लेकिन आज तो संकट खाद्य का ही नहीं है, बल्कि मूल्यों में भी बेहतर वृद्धि होती जा रही है। अधिक व्यय करने की नीति और बढ़े हुए करों के कारण, देश में मुद्रा स्फीति है।

आचार्य कृपालानी ने यह ठीक ही कहा है कि यदि मूल्य उचित सीमा में रहें, तो खाद्यान्नों की थोड़ी बहुत कमी से जनता को इतनी परेशानी नहीं होगी। लेकिन सरकार इसके लिये कुछ भी नहीं कर रही है।

सरकार के सभी प्रयत्न विफल हो गये हैं, और वह अब नियंत्रणों, राज्य-व्यापार, भूमि-सुधारों और सहकारी कृषि के साधन अपनाने जा रही है। नियंत्रणों से देश में काले बाजार का बोलबाला हो जायेगा। नियंत्रणों का अनुभव यह है कि अभी जितना खाद्यान्न मिलता है आगे से उतना भी नहीं मिलेगा। मूल्यों में और अधिक वृद्धि हो जायेगी।

प्रधान मंत्री का मत है कि सहकारी कृषि से देश में कृषीय उत्पादन की वृद्धि होगी। लेकिन सहकारी कृषि का यह विचार कांग्रेस दल है और कांग्रेस दल सत्तारूढ़ होने के कारण उसे देश पर थोप रहा है।

कहा गया है कि सहकारी कृषि ने सोवियत यूनियन और चीन में बड़ी सफलताऐं प्राप्त करके दिखाई हैं। लेकिन हमारे देश की परिस्थितियां तो उन देशों से बिलकुल ही भिन्न हैं। हमारे यहां लोकतांत्रिक ढांचा है और निजी भू-सम्पत्ति भी है। इसीलिये मैं कहता हूं कि हमारे यहां सहकारी कृषि आरम्भ करने से बड़ी गड़बड़ी मच जायेगी। सरकार को इस परीक्षण में सावधानी रखनी चाहिये। कहीं ऐसा न हो कि आर्थिक संकट और बढ़ जाये। खाद्य उत्पादन बढ़ाने के दूसरे तरीके भी तो हैं।

मैसूर और बम्बई के बीच के सीमा-विवाद के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि मैसूर राज्य ने आन्ध्र, केरल इत्यादि अन्य सभी राज्यों के साथ आपसदारी से निबटारा कर लिया है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे महाराष्ट्रीय भाई मैसूर राज्य के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं। बेलगांव और उत्तर कनारा के बीच सीमा का प्रश्न एक सक्षम निकाय द्वारा तय किया जा चुका है।

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : आन्ध्र-मैसूर सीमा के सम्बन्ध में इसका रूपभेद किया जा चुका है।

†**श्री मोहम्मद इमाम** : हमारा किसी भी अन्य राज्य से कोई भी विवाद नहीं है। और यदि किसी राज्य को या किसी को कोई शिकायत भी है तो परस्पर वार्ता के द्वारा ही उसका निबटारा किया जाना चाहिये, सत्याग्रह के जरिये नहीं। राज्य पुनर्गठन आयोग आयोग और संसद् की राय के मुताबिक ही हमें बेलगांव और अन्य स्थान दिये गये थे। इन दोनों ने सभी परिस्थितियों को देखकर ही वैसा किया था। इसीलिये मैं कहता हूं कि

† मूल अंग्रेजी में

महाराष्ट्रीय भाइयों को उसे स्वीकार कर लेना चाहिये और अपनी शक्ति किसी और रचनात्मक कार्य में लगानी चाहिये।

श्री नरसिंहम् ने अपने भाषण में आचार्य कृपालानी के भाषण का हवाला देते हुए कुछ ऐसे कहा था कि जैसे प्रजा समाजवादी दल राष्ट्रीय सरकार की स्थापना और उसकी जिम्मेदारी सम्भालने के लिये बड़ा उत्सुक है। आचार्य कृपालानी को पदों की कोई लालसा नहीं है। उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि प्रधान मंत्री यदि सभी दलों के सहयोग की अपील करते हैं, तो उनको उसका पूरा तर्क भी स्वीकार करना चाहिये। बिना राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के, सरकार को सभी विरोधी दलों का सहयोग कैसे मिल सकता है। सिर्फ सलाह देने में ही नहीं, बल्कि उसे कार्यान्वित करने में भी विरोधी दलों का हाथ रहना चाहिये। प्रजा समाजवादी दल को पदों की कोई चाह नहीं है। कांग्रेस दल भी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना से घबराता है।

आचार्य कृपालानी ने स्थिति की गम्भीरता और खाद्य संकट को दूर करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। विरोधी पक्ष तो अपना पार्ट अदा करेगा ही। यदि लोकतंत्र को उचित ढंग से चलाया जायेगा, तो जनता को उससे लाभ भी पहुंचेगा। विरोधी पक्ष सिर्फ यही चाहता है कि सरकार को उचित ढंग से चलाया जाये। हमें पदों की चाह नहीं है।

†**श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** (गया): काश्मीर के साथ हमारी प्रादेशिक एकता की रक्षा की गारंटी तभी हो सकती जब भारत–रूस समझौता किया जाये। भारत के साथ रूस तभी कोई राजनीतिक समझौता करेगा, जबकि चीन भी भारत के साथ होगा। उसके लिये भारत को रूस की यूरोप और अमरीका का सम्बन्धी वैदेशिक नीति का समर्थन करना पड़ेगा।

यदि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा, तो अमरीका तटस्थ रहेगा और रूस भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी एक की सहायता करेगा।

यदि भारत रूस से समझौता नहीं करेगा, तो पाकिस्तान कर लेगा।

यदि पाकिस्तान रूस के साथ मिलने को तैयार होगा, तो स्वाभाविक है कि रूस तटस्थ भारत की अपेक्षा पाकिस्तान से मिलना ही अधिक उपयोगी समझेगा।

रूस ने काश्मीर के प्रश्न पर भारत का साथ इसीलिये दिया था कि पाकिस्तान बगदाद पैक्ट में शामिल हो गया था।

यूरोप में रूस और अमरीका के बीच करार होने के फलस्वरूप जर्मनी के एकीकरण के भी कई परिणाम हो सकते हैं।

लेकिन यदि अमरीका और रूस के बीच राजनीतिक समझौता हो जायेगा, तो पूर्वी एशिया अमरीका के लिये छोड़ दिया जायेगा और अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया रूस के लिये।

इस प्रकार, भारत और चीन दोनों ही घिर जायेंगे।

अणु और उदजन बमों के इस युग में हमारी स्थिति श्वेत जातियों के मुकाबले कमजोर है। रूस और अमरीका का समझौता कभी भी भारत के लिये लाभदायक नहीं हो सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब्रजेश्वर प्रसाद]

अमरीका के हित में तो यही होगा कि यूरोप में शक्ति क कई केन्द्र बन जायें।

यदि भारत और चीन एक साथ मिल जायें, तो रूस को दोनों के साथ मिलना ही पड़ेगा। इन तीनों के मिल जाने पर, अमरीका को एशिया, अफ्रीका और यूरोप से अपना बिस्तर गोल करना ही पड़ेगा।

लेकिन यदि हम तीनों में आपस में कोई समझौता नहीं होता, और विश्व में एकीकृत जर्मनी और चीन दो बड़े-बड़े शक्तियों के केन्द्र बन जाते हैं, तो संसार विनाश में ही डूब जायेगा।

श्री प्र० सिं० दौलता (झज्जर) : जनाब डिप्टी स्पीकर, पेश्तर इसके कि मैं उनकी तरफ आऊं जो कि पंजाब के मसले हैं और जो कि राष्ट्रपति के एड्रैस में दर्ज नहीं हैं, मैं एक बात का जिक्र कर देना चाहता हूं और वह यह है कि उत्तर प्रदेश के एक माननीय सदस्य ने अपनी स्पीच में मेरे लीडर के बारे में कहा कि श्री डांगे ने अपनी स्पीच में प्रधान मंत्री पंडित नेहरु की तो बड़ाई की लेकिन बाकी मिनिस्टरों की निन्दा की। अब जहां तक श्री डांगे की स्पीच का ताल्लुक है, मैं ने उसको बहुत गौर से सुना और वह तहरीर में है और मुझे तो उसमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जिस पर कि उन्होंने यह ऐतराज किया। चीज असल में यह है कि कांग्रेस की जो एग्रेरियन पालिसी है उसको श्री नेहरू और उनके हमख्याल अमल में लाना चाहते हैं लेकिन कांग्रेसमेन में ही कुछ अनसर ऐसे हैं जो कि उस पालिसी को एग्जिक्यूट नहीं करना चाहते। हम अपोजीशन वाले और खास कर जिम्मेदार ग्रुप वाले इस बात की फिक्र रखते हैं कि किसी को खामख्वाह क्रिटिसाइज न किया जाये। स्पीच में सिर्फ यही कहा गया था कि जब कि पंडित जी और उनके ख्याल के लोग कांग्रेस की इस एग्रेरियन पालिसी को एग्जीक्यूट करने का इंटेंशन रखते हैं तो उन्हीं के कांग्रेस के कुछ साथी उस पालिसी को अमल में नहीं लाना चाहते हैं। अब इसमें किसी को भला बुरा कहने की बात कहां हैं ? अब यह भी बात है कि अच्छे और बुरे आदमी सब जगह और हर पार्टी में होते हैं.....

एक माननीय सदस्य : आप किस में आते हैं ?

श्री प्र० सिं० दौलता : मैं तो अच्छे आदमियों में से हूं।

अब मैं आपकी इजाजत से पंजाब के बारे में कुछ अर्ज करूंगा। मैं पंजाब के बारे में ऐसा एक लफ्ज भी नहीं कहूंगा जो कि इस हाउस में पिछले तीन दिनों के दौरान में कहा गया है और मैं उस बारे में कोई रैपिटीशन नहीं करूंगा।

बाईलिंगुएल इश्यु सिर्फ गुजरात और बम्बई का ही नहीं है। पंजाब का बाईलिंगुएल ईश्यु बदस्तूर मौजूद है और उसे कोई कनफ्यूज नहीं कर सकता। किसी एक लीडर के विहम से कि उसे एलेक्शन में कांग्रेस की कुछ टिकटें वगैरह राजी कर लिया और उससे यह समझ लिया जाये कि पंजाब की जनता ने अपनी पंजाबी सूबे की मांग छोड़ दी है, ऐसी बात नहीं है। मैं तो मानता हूं कि पंजाब के लोगों का और पंजाबी बोलने वालों का अपने एक सूबे का वैसा ही हक है जैसे कि दूसरे सूबे के लोगों का है और उनको उनका सूबा मिलना चाहिये। आज वह लीडर फिर बैचेन है और वह पंजाबी सूबे की मांग कर रहा है और उसने पंजाबी सूबे की मांग छोड़ नहीं दी है। अब इस सूबे की मांग करने के लिए यह कह देना कि यह फिरकेवाराना मांग है, ठीक नहीं है। मुझे यह रेमार्क सुन कर बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि

यह फिरकेवाराना मांग कैसी है ? यह उन लोगों की आवाज है जो करोड़ों की तादाद में आबाद हैं, हांलाकि एक अकलियत है लेकिन वह एक बड़ी जिम्मेदार अकलियत कहलाती है क्योंकि वह हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बार्डर पर बसती है और जो कि पैरासाइट अक्सीरियत नहीं है। अमन के दिनों में वह हल चलाती है और लड़ाई के दिनों में मुल्क को सिपाही देती है और उसका जजबाती तौर पर यह मुतालिबा रहा है कि उनका एक अलहिदा सूबा सेंट्रल गवर्नमेंट के मातहत बनना चाहिए और मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर इसमें ऐसी कौन सी बात है जिसके कि लिए हम उस अकलियत की पर्वाह न करें और उसी तरह जिस तरह हमने शुरू में मुस्लिम लीग के जज़बात की पर्वाह नहीं की और आगे चल कर जिसके कि लिए हमने काफी नुक्सान उठाया, हम आज उनकी इस डिमांड की पर्वाह न करें। आखिर इससे आपको क्या हासिल होगा? एक अकलियत के जज़बात को यह कह कर कि यह फिरकेवाराना मांग है, ठेस पहुंचाते चले जाना, यह गलत बात है । कोई अकलियत अगर पंजाबी सूबे की मांग करती है तो जबान तो उसकी मंजूरी देने के लिए एक ऐडिश्नल ग्राउन्ड होनी चाहिये, और उसकी मंजूरी की राह में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिये । मैं तो समझता हूं कि प्योरली ऐड-मिनिस्ट्रेटिव रीजंस हरियाने के और पंजाबी स्पीकिंग ऐरिया के अगर बना दिये जाते हैं, तो वह किसी कदर पोलिटिकल बीमारियों का इलाज साबित होगा। मैं चाहता था कि काश यहां पर होम मिनिस्टर साहब या दूसरे जिम्मेदार मिनिस्टर्स होते क्योंकि मैं यह अर्ज करने चला हूं कि इस वक्त हिमाचल प्रदेश के लोगों की यह ख्वाहिश है कि पहाड़ियों का एक सूबा बने और क्यों न बने ? पंजाबी लोगों की अगर यह ख्वाहिश है कि उनका एक पंजाबी स्पीकिंग सूबा बने तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों न बने ? अब हरियाना प्रदेश दिल्ली के चारों तरफ फैला हुआ है । सन् १८५७ में अंग्रेजों ने इसे तोड़ा था। मेरठ डिवीजन की इलाहाबाद जाते हुए रोहतक की १७ मील की कांस्टीटुएंसी शुरू होती है जो कि अलवर और भरतपुर की तरफ जाती है जब कि उनका हिस्टोरिक कैपिटल दिल्ली है और जिसको कि अंग्रेजों ने तोड़ा था तो कोई वजह नहीं कि इन लोगों का क्यों न इकट्ठा कर दिया जाये और साथ ही यह भी मानना पड़ेगा और मेरे बुजुर्ग होम मिनिस्टर पंडित पंत होते तो मैं उनको बतलाता कि उत्तर प्रदेश का साइज ऐसा है और इतना बड़ा है जो कि ऐडमिनिस्ट्रेशन के प्वांएट आफ व्यु से एक अच्छा साइज नहीं माना जा सकता। अब उत्तर प्रदेश के साइज को घटाने के खिलाफ उस सूबे के बुजुर्गों की तरफ से यह दलील दी जाती है कि अगर कोई आदमी बड़ा हो तो क्या उसके हाथ पैर काट डाले जायें। हाथ पैर तो अलबत्ता नहीं काटे जा सकते लेकिन पेट जरूर काटा जा सकता है और उत्तर प्रदेश का पेट बहुत बड़ा है और उसको छोटा करना चाहिये। मेरी तजवीज यह है कि उत्तर प्रदेश के पेट को छोटा करने के लिये मेरठ डिवीजन उधर दे दिया जाये। पंजाबी स्पीकिंग सूबा बनने से यह जो आपकी दिल्ली की असेम्बली नहीं मिल रही है वह मिल सकेगी । हरियाना प्रान्त के लोग, दिल्ली के लोग और हिमाचल प्रदेश के लोग और उत्तर प्रदेश के मेरठ डिवीजन के लोग अगर अपनी डिमांड के लिए हौहल्ला नहीं करते और शोर नहीं मचाते तो उससे गवर्नमेंट को यह नहीं समझ लेना चाहिये कि उनका मुतालबा दब गया है या वह कमजोर है ।

अब मैं इसके बारे में दूसरी चीज अर्ज करने चला हूं और मैं चाहता था कि इस मौके पर हमारे आनरेबुल स्पीकर चेअर में होते ताकि वह मेरी बात सुन सकते । यह बेटरमेंट लेवी के लिए इस वक्त पंजाब में किसान लोग जेलों में जा रहे हैं, उनके मवेशी नीलाम हो रहे हैं, उन पर वारंट जारी किये जा रहे हैं और उनका दूसरा सामान कुर्क हो रहा है । अब उस बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट का नुक्तेनिगाह क्या है और किसान सभा की यह डिमांड क्या है ? अब इसके बारे में कहा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पंजाब की गवर्नमेंट को बहुत मदद देती है।

[श्री प्र० सिं० दौलता]

अब मैं जानना चाहूंगा कि व्हाट इज अवर एचिवमेंट ? मैं अर्ज करता हूं कि भाखरा डैम पर जो खर्चा आया है २२० करोड़ में मय सूद के उस २२० करोड़ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पैसा कंट्रिब्यूट नहीं किया, प्राविंशिएल गवर्नमेंट ने एक पैसा कंट्रिब्यूट नहीं किया। उस २२० में से बिजली का राजस्थान का हिस्सा निकलने के बाद ९८ करोड़ हमारे हिसाब से और १०१ करोड़ रुपया गवर्नमेंट के हिसाब से वाजिबुलअदा आता है । ज्योंही असेम्बली और कौंसिल उठीं, एक आर्डिनेंस पास किया गया जिसकी कि रू से बैटरमेंट लेवी के जरिये यह सारा रुपया १५ किश्तों में किसानों से वसूल किया जायेगा। सूद तीन परसेंट के बजाय किसान पांच परसेंट देता है । यह प्रोडक्टिव है, यह घाटे की स्कीम नहीं है फिर इस लेवी का क्या सवाल ? अब बैटरमेंट टैक्स का तो यह है कि ज्योंही बैटरमेंट टैक्स लागू किया जाता है त्योंही उसके साथ ही जैसे कि पंजाब का है, उसका आधा जितना लैंड रेवेन्यू होता है उतना आटोमैटिकली लोकल रेट बढ़ जाता है, इनहेंस हो जाता है और आबियाना १९५० से डेढ़ गुना कर दिया है । लैंड रेवेन्यू तो अलग और आबियाना बढ़ा हुआ। बैटरमेंट टैक्स के साथ जो लोकल रेट बनता है उससे उसकी आमदनी में काफी इजाफा होता है । जिस समय बटरमेंट लेवी ऐक्ट पास हुआ उस वक्त मिनिस्टर प्रोफेसर शेर सिंह थे । उनके हिसाब से वह तमाम टैक्स पूरा कर देता है और सूद के अलावा दो परसेंट ज्यादा होता है, तीन परसेंट हो जाता है और पांच परसेंट देते हैं। अर्ज यह है कि जब यह प्रोडक्टिव है तो इसमें लेवी लगाने के क्या मानी ? तो मेरी पहली अर्ज तो यह है कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है । फिर मैं यह अर्ज करूं कि मैं ५०० रुपये दे कर अपने डिप्टी स्पीकर साहब से एक भैंस खरीदूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास तो है नहीं ।

श्री प्र० सिं० दौलता : जब आप मांटगोमरी में थे तब तो आपके पास बहुत भैंसें थीं । तो मैं कहता हूं कि अगर मैं डिप्पी स्पीकर साहब से ५०० रुपया देकर भैंस खरीदूं और जब मैं दूसरे दिन उसका दूध निकालने लगूं तो यह कहें कि इस दूध के दाम और दो । तुम ने तो भैंस के दाम ही दिये हैं दूध के नहीं दिए। अगर दूध निकालना है तो दूध के दाम और दो तब दूध निकालना। मैं कहता हूं कि आप किसान को मदद न दें जैसी कि आप सरमायदारों को देते हैं या जैसी कि आप शुगरकेन के मामले में कारखाने वालों को एड देते हैं वह भी न दें। किसान से जो वाजिब है वही लें । लेकिल आप तो उससे भैंस का भी दाम चाहते हैं और जो दूध वह निकालेगा रोज रोज उसका भी दाम चाहते हैं । किसान कहता है कि हमसे कीमत ले लो और एन्युअल मेनटिनेन्स की कस्ति भी ले लो मगर फिर उसके बाद आबियाना मत मांगना। वह कहता है कि भैंस का दाम ले लो लेकिन दूध का दाम न मांगना। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं भैंस का दाम लिया जायगा और जो रोज रोज उसका दूध निकालोग उसका भी दाम लिया जायगा। ऐ सोशलिज्म का नारा लगाने वालो क्या यही सोशलिज्म है । यह किसान का भोलापन है उसकी बैकवर्डनेस है कि जिसको आज एक्सप्लाइट किया जा रहा है ।

एक भाई ने मुझ से सेंट्रल हाल में कहा और आज मैं ने अखबारों में भी पढ़ा है कि किसानों की जमीनों की हैसियत बढ़ जायेगी, तो क्यों न उनसे कुछ ज्यादा चार्ज कर लिया जाये । मैं कहता हूं कि जमीन की हैसियत बढ़ने का हैसियत टैक्स पहले ही लगाया जा चुका है। फिर किसान कोई ट्रेडर नहीं है कि वह जमीन को बेचेगा । इसलिए वह जमीन की वैल्यू बढ़ने से फायदा नहीं उठाने वाला। कहा जाता है कि उसकी जमीन की पैदावार बढ़ जायेगी । इस भाखरा डैम के बनने के पहले २१ साल तक तो सर छोटूराम यह चिल्लाते रहे और

फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी अब पोस्टरों वगैरह से यह जाहिर करती रही है कि यह डैम किसानों का स्टेंडर्ड बढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है। अगर यह बात है तो फिर किसान का स्टेंडर्ड बढ़ने दीजिये, उससे उसके लिये टैक्स क्यों मांगा जाता है। यह तमाम पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। पंजाब के एक जिम्मेदार मिनिस्टर ने कहा कि हम ने तीन बार सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा कि कम से कम सूद माफ कर दीजिये क्योंकि खेती भी एक इंडस्ट्री है लेकिन तीनों बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने सूद माफ करने से इन्कार कर दिया। जाने दीजिये इसको।

सोशलिज्म का यह बेसिक उसूल है कि जिन के उठाने के लिए पैसा खर्च किया जाये उनसे वह पैसा वसूल न किया जाये। यह सोशलिज्म का बुनियादी उसूल है। अब आप देखें कि चंडीगढ़ बसा है। मैं भी चंडीगढ़ में रहता हूं। वहां पर बड़े बड़े अस्पताल और कालिज वगैरह बनाये गये हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि चंडीगढ़ के लोगों से तो उसके लिए पैसा नहीं मांगा जाता कि इन चीजों से तुमको फायदा होगा इसलिए तुम इनकी कीमत अदा करो। तो फिर किसान से ही क्यों इस तरह पैसा मांगा जाता है कि तुम्हारा स्टेंडर्ड बढ़ता है इसलिए तुम पैसा दो। आप देखें कि जो ९८ करोड़ रुपया मांगा जाता है उसमें वह ३३ करोड़ भी शामिल है जिसका कि करप्शन हुआ था। उस सिलसिले में एक चीफ इंजीनियर और १३ दूसरे इंजीनियर पकड़े गये थे। आज किसानों से कहा जाता है कि वह करप्शन का पैसा भी तुम दो चाहे उसके लिए जिम्मेवार कोई भी क्यों न रहा हो।

कहा जाता है कि इस डैम का बैनिफिशियरी पंजाब का किसान है इसलिए उसे पैसा देना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब आप और मैं जिस इलाके में गंजीबार और नीतीबार में रहते थे वह एक जमाने में रेगिस्तान था। लेकिन जब किसान ने उस इलाके में खेती की और वहां गेहूं पैदा हुआ तो बड़ी बड़ी मंडियां वहां कायम हुईं। और कितने लोगों ने फायदा उठाया। इसी तरह मैं कहता हूं कि इस भाखड़ा डैम से सब से बड़ी बैनिफिशियरी तो सेंट्रल गवर्नमेंट है। उसका बहुत सा फारिन एक्सचेंज बचेगा। अगर यह उसूल माना जाता है कि जो बैनिफिशियरी हो वह पैसा दे, तो भी अकेला किसान पैसा देने का जिम्मेदार नहीं है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट दे, प्राविंशियल गवर्नमेंट दे और दूसरे लोग जो ज्यादा फायदा उठावें वे दें। मैं रियायत नहीं मांगता। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जितने बैनिफिशियरी हैं सभी दें, जो भी फायदा उठाये वह दें। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी से क्यों बचती है। उसका भी फारिन एक्सचेंज बचेगा, प्राविंशियल गवर्नमेंट का भी बचेगा।

मेरे दोस्त श्री अजित प्रसाद जैन आज यहां नहीं हैं। मैं उन से कहना चाहता हूं कि जब तक एक किसान एक मन गल्ला पैदा करता है तो सिर्फ किसान ही उसका बैनिफिशियरी नहीं होता। जब पंजाब के किसान ने गेहूं पैदा किया तो फस्ल पर उसका भाव रखा गया। १४ रुपये ७ आने मन और प्रो० ब्रज नारायण ने बतलाया कि पंजाब के १८·९ परसेंट किसानों को अपना अनाज बेचने पर मजबूर होना पड़ा, मैं तो कहूंगा कि फैंकने पर मजबूर होना पड़ा। क्योंकि भाव तो मुकर्रर किया गया था १४ रुपये सात आने मन और उनको देना पड़ा १२ रुपये ८ आने, १३ रुपये ८ आने, १३ रुपये १० आने मन। इस तरह से किसान तो मुकर्रर की हुई कीमत भी नहीं पा सका, लेकिन जब वह गैहूं जैन साहब की बरादरी के पास गया तो वह १२ और साढ़े १२ रुपये का लिया हुआ गेहूं २५ रुपये मन पर बिका। किसान को तो जो कीमत सरकार ने मुकर्रर की थी वह भी नहीं मिली उसके बूढ़े मां बाप और बच्चे भूख से तपड़ते ही रह गये। और पैसे कमाये दूसरे लोगों ने और सरकार चिल्लाती है ग्रो मोर फूड, ग्रो मोर फुड। आप कहते हैं कि बैनिफिशियरी अकेला किसान है। आप जानते हैं कि जब किसान गल्ला पैदा करता है तो कितने लोगों को फायदा होता है। जब लायलपुर और

[श्री प्रा० सिं० दौलता]

मंटगोमरी बसा तो किस तरह से मिडिल क्लास के तबके को फायदा हुआ। वह भी बैनिफिशियरी हुए। तो मैं यह कहता हूं कि अगर इस उसूल को माना जाता कि जो बैनिफिशियरी है वह दे, तो यह चीज सब बैनिफिशियरीज पर लागू होनी चाहिये। अकेले किसान पर लागू नहीं होनी चाहिये। इसका एक परसेंट मिडिल क्लास दे, एक परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दे और प्राविंशियल गवर्नमेंट दे। अकेला किसान ही सारा कंट्रीब्यूशन क्यों दे। मुझे इस के बारे में और भी बहुत सी बातें कहनी थीं लेकिन वक्त कम है।

अब मैं दूसरी बात फूड की कहना चाहता हूं। अरे भाइयो, मुझे बड़ी शर्म आती है यह देखकर कि आज पंजाब में फूड का यह हाल है। अगर मैं फूड मिनिस्टर होता तो मैं इस हालत में यह आफिस छोड़ देता। आप देखें कि पंजाब में जो कि सरप्लस था फूड के मामले में आज यह हालत है कि औरतें और बच्चे बाजारों में हाय रोटी हाय आटा चिल्लाते फिरते हैं। आज पंजाब का गेहूं कहां है। उसकी सारी जिम्मेवारी हमारे फूड मिनिस्टर साहब पर है। हमने कहा था फूड जोन को इकट्ठा कर दीजिये लेकिन ऐसा नहीं किया गया। नतीजा यह होता है कि जहां मेरी कांस्टीट्यूएंसी में १६ रुपये मन गेहूं बिकता है वहां जैन साहब की कांस्टीट्यूएंसी में २२ रुपये मन बिकता है, एक मन पर ६ रुपये का फायदा होता है। नतीजा हुआ स्मगलिंग। अगर इस तरह पंजाब का सारा गेहूं बाहर चला गया। अब पंजाब में गेहूं नहीं है। जब ६ रुपये मन का फायदा स्मगलिंग से होगा तो कोई होर्ड नहीं करेगा। तमाम गल्ला राजस्थान और यू० पी० में चला गया। हमारे दोस्त फूड मिनिस्टर साहब ने कहा है कि पंजाब के किसान गेहूं होर्ड किये हुए हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं पंजाब की फूड कमेटी का मेम्बर हूं। मैं बतलाना चाहता हूं कि हमें बतलाया गया है कि किसी किसान के पास गेहूं जमा नहीं है। न मालम सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर कहां से यह इनफारमेशन लाये हैं कि वहां पर किसान के पास गेहूं होर्ड किया हुआ है। मुझे यह बात मालम है कि आज पंजाब में गेहूं नहीं है। हो यह रहा है कि जैसे जब चोरी होती है और चोर के पीछे लोग भागते हैं तो चोर भी भीड़ में शामिल हो जाता है वह भी कहने लगता है कि चोर यह गया वह गया। यही आज हो रहा है कि व्यापारी तो होर्ड कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि किसान होर्ड कर रहा है।

तो मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए यह अर्ज करूंगा कि जरूरत तो यह थी कि सारी गवर्नमेंट की तबदीली होती, लेकिन अगर यह न हो तो कम से कम फूड मिनिस्टर की तबदीली की तो सख्त जरूरत है। जहां तक उनकी जात का ताल्लुक है वह बहुत अच्छे आदमी हैं, और बहुत अच्छे होस्ट हैं, जब हम उनके साथ जाते हैं तो अच्छी तरह खिलाते पिलाते हैं। लेकिन फूड के मामले में जैन साहब बिल्कुल नावाफिक हैं। उनको इंटलेक्चुअल वाकिफियत भी नहीं है जैसी कि प्रोफेसर ब्रज नारायण को है जो कि एक बड़े इकानमिस्ट हैं और रूरल इकानमी के बारे में अच्छा तजुर्बा रखते हैं। न जैन साहब को जमींदारी का तजुर्बा है। वह कभी हल ले कर खेत पर नहीं गये हैं। आप जानते हैं कि मुल्क में हर रोज सुबह करीब २३, २४ करोड़ किसान हल ले कर खेतों पर जाते हैं। मैं पूछता हूं कि क्या उन में से कोई एक भी जैन होता है। कोई एक जैन भी ऐसा नहीं होगा जो खेती करता हो। तो मैं अर्ज करता हूं कि जिस आदमी को खेती का और फूड का किसी भी तरह का तजुर्बा नहीं है उसको इतने सालों से क्यों मुल्क के सिर पर थोपा हुआ है। उसे जल्द से जल्द जवाब होना चाहिए।

अब मैं काश्मीर के बारे में अपनी पार्टी की पोजीशन साफ करना चाहता हूं। काश्मीर वह स्टेट है, जो कि पंजाब से लगती है। काश्मीर के बारे में हमारे लीडर हमेशा कहते हैं कि काश्मीर हमारे मुल्क का पार्ट एण्ड पार्सल है, लेकिन जब मैं ला रिपोर्ट्स को देखता हूं, तो पता हूं कि हर एक ला के बारे में यह लिखा होता है कि यह जम्मू काश्मीर के अतिरिक्त सारे भारत पर लागू होगा। इस का मतलब यह है कि रोज बताया तो यह जाता है कि काश्मीर इस मुल्क का हिस्सा है, लेकिन कई तरीकों से यह महसूस कराया जाता है कि वह हिन्दुस्तान से बाहर है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इलैक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन जल्द से जल्द वहां जानी चाहिए। जितनी जल्दी ऐसा किया जायगा उतना ही बेहतर है।

सिर्फ एक प्वायंट का जिक्र कर के मैं बैठ जाना चाहता हूं। इस हाउस के एक आनरेबल मेम्बर ने—एक लीडर ने—कहा कि करप्शन नीचे के लेवल पर है और ऊपर वाले उसको कंट्रोल नहीं करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बिल्कुल गलत है। करप्शन नीचे के लैवल में—पटवारियों, क्लर्कों, नाज़िरों और अहलमदों में—नहीं है। वहां तो एक गरीब आदमी सिर्फ दुनिया में सरवाइव करने की अटेम्प्ट में है और करप्शन तो टाप वालों में है, जिन का सौ-सौ का पेट है। इसीलिए हम चाहते हैं कि मिस्टर मथाई के बारे में जुडिशल एन्क्वायरी होनी चाहिए। उसके साथ किसी जाती इन्तकाम का सवाल नहीं है। सवाल तो यह है कि जब हमारे महबूब प्राइम मिनिस्टर श्री नेहरू, जिन की इन्टेगरिटी पर कोई शक नहीं कर सकता है, का प्राइवेट सेक्रेटरी इस तरह के इन्ट्रेस्ट्स के साथ इन्वाल्व्ड है, तो फिर उन मिनिस्टरों का क्या हाल होगा, जिन की इन्टेगरिटी को हम वह दर्जा नहीं देते, जो कि नेहरू की इन्टेगरिटी को देते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मिस्टर मथाई का मामला इस बात की मिसाल है कि टापमोस्ट कैबिनेट के दफ्तरों में, फाइलों में बिग बिजिनेस के इशारों पर काम हो रहा है और बिग बिजनेस को सब हालात का पता होता है। जब प्राइम मिनिस्टर नेहरू की इन्टेगरिटी के आदमी तक ऐसा आदमी रख सकते हैं, तो दूसरों के दफ्तरों में भी यही हालत होगी, यह हम नेशन को बताना चाहते हैं। टाप की करप्शन को रिवील करने के लिए इस मामले की एन्क्वायरी की मांग की जा रही है।

ज्ञानी गु० सिं० मुसाफिर (अमृतसर) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझ से पहले जो मेम्बर साहब बोले हैं, अगर्चे जितनी बातें उन्होंने कही हैं, मैं उन सब के साथ तो सहमत नहीं हो सकता—खास तौर पर उन पर्सनल रिमार्क्स के साथ, जो कि उन्होंने किए हैं—लेकिन जिस ढंग से उन्होंने पंजाब की रेफरेंस से किसान की वकालत की है, उस के लिए मैं उन को मुबारकबाद देता हूं। राष्ट्रपति जी के भाषण में कुल ५४ पैराग्राफ हैं, जिन में से २९ पहले पैराग्राफ में उन्होंने उन तामीर के कामों का जिक्र किया है, जो कि हमारे देश में हो रहे हैं। इस से इस बात की अहमियत का अच्छी तरह से पता लग जाता है कि आज-कल हमारे सामने सब से ज्यादा जिन्दा सवाल यह है कि गरीब को उठाना है और देश से गरीबी को दूर करना है। इस वक्त हमारे देश में अनाज के सम्बन्ध में जो संकट आ रहा है, वह बड़ा संजीदा तो है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वह बहुत जल्दी टल जाने वाला है। जो बुनियादी बातें हैं, उन की तरफ हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। मैं एक किसान का लड़का हूं और वह भी एक थोड़ी सी जमीन रखने वाले किसान का, जिस ने अपनी जिन्दगी भर जमीन के बगैर और काम नहीं किया। आज जब कि को-आपरेटिव

[ज्ञानी गु० सिं० मुसाफिर]

फार्मिंग और ज्वायंट फार्मिंग के बारे में यहां चर्चा हुई है--खिलाफ भी और हक में भी--तो मुझे खुशी हुई है कि इस की चर्चा हो गई है, वर्ना किसान बेचारे की चर्चा बहुत कम होती है । एक शायर ने बहुत खूबसूरत शेर कहा है--

नज़रे ग़ज़ब से देखते हैं, देखते तो हैं,
मैं शाद हूं कि हूं तो किसी की निगाह में ।

श्री त० व० विट्ठल राव (खम्मम्) : फिर कहिए ।

ज्ञानी गु० सिं० मुसाफिर : इस चर्चा का शुरू हो जाना एक अच्छी मिसाल है । लेकिन हमेशा हर एक चीज का वैलैंस्ड व्यू लेना चाहिए । मिस्टर मसानी बड़े अच्छे राइटर हैं । मैं उनका मद्दाह हूं और उन की राइटिंग्स को पसन्द करता हूं । लेकिन उन्होंने अपने पक्ष को बयान करते हुए सिविल वार और ब्लडशैड तक का जिक्र किया । यह बात मेरी समझ में नहीं आई । मगर ब्लड है कहां ? जहां वह है, वहीं बहेगा । बेचारे किसान को चूसा जा रहा था । अब कोशिश की जा रही है कि उस के जिस्म में खून सींचा जाए ताकि वह जरा अच्छा हो जाय और अच्छा काम कर सके । मेरी समझ में नहीं आता कि ज्वायंट फार्मिंग का लफ्ज कई कानों को बुरा क्यों लग रहा है । मैं ने अपनी आंखों से गांव में रहते हुए ये नजारे देखे हैं कि गांव का एक मरासी एक ढोल ले कर मकान के ऊपर चढ़ जाता था और ढोल को बजा कर एलान करता था कि आज फलां शख्स के खेत की विजाई होगी या कटाई होगी और गांव के तमाम लोग वहां जमा हो जाते थे और दर्जा-ब-दर्जा एक दिन एक का काम और दूसरे दिन दूसरे का काम किया जाता था। इस तरह का वातावरण गांवों में होता था । वह दिन गुजर गए हैं और आज ज्वायंट फार्मिंग के तरीके से गांवों में एक नया जीवन पैदा किया जा रहा है । मैं उस की कई बातों से इत्तिफ़ाक करता हूं । अभी एक मेम्बर साहब ने कहा था कि इस से अनाज की पैदावार बढ़ेगी या घटेगी । मैं समझता हूं कि यह एक आरज़ी सवाल है, जिस के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है । यह तो एक तरीके से एक तजुर्बा है, जो कि हम करने जा रहे हैं । इस में हमें मददगार होना चाहिए--इस ख्याल से कि पहले तो किसान में यह भावना पैदा करनी है कि यह सब कुछ तेरे लिए हो रहा है । जब तक यह भावना न होगी, उस वक्त तक काम ठीक तरीके से नहीं चल सकता है । थोड़े दिनों की बात है कि हम राउरकेला में थे । वहां एक अस्पताल बन रहा है । हमें बताया गया कि यह अस्पताल तीस लाख की लागत से बन रहा है । जो मजदूर वहां काम कर रहे हैं, उन में से एक मजदूर से हम ने पूछा कि यह क्या बन रहा है । उस ने कहा कि यह अस्पताल बन रहा है । हम ने पूछा कि यह किस के लिए बन रहा है, तो वह कहने लगा कि यह बाबू लोगों के लिए बन रहा है । हम ने कहा कि यह तुम्हारे लिए ही बन रहा है । शायद उस ने सोचा कि लम्बी दाढ़ी वाले झूठ नहीं बोलते हैं और यह सुनकर उस के चेहरे पर एक तरह से लाली आ गई कि सचमुच यह अस्पताल मेरे लिए बन रहा है । इसलिए यह भावना पैदा करने की जरूरत है कि हम जो कुछ भी करने जा रहे हैं, वह बड़ी संजीदगी के साथ गरीबों को उठाने के लिए करने जा रहे हैं । जहां तक को-आपरेटिव फ़ार्मिन्ग या ज्वायंट फ़ार्मिन्ग का ताल्लुक है, उसको कामयाब करने के लिये इस बात पर गौर करना चाहिए कि वह किस ढंग से और किस तरीके से कामयाब हो सकता है । इस लिहाज से मैं सोचता हूं कि पहले हमें सर्विस को-आपरेटिव सोसायटीज को मजबूत

करना चाहिए । वहां कोग्रोप्रेटिव सोसाइटियां अगर मजबूत होंगी तो इसमें काफी सहूलियत मिल सकती है इस ज्वाइंट फार्मिंग के काम को । गवर्नमेंट की तरफ से कई स्कीमें चलाई जा रही हैं जैसे स्माल सेविंग्स स्कीम है जिस में सरकार उसको कमिशन भी देती है जो रुपया जमा करवाने में सरकार की मदद करता है और जो रुपया जमा करवाता है उसको सूद भी देती है । मगर यहां जो सर्विस को-ओप्रेटिव सोसाइटियां बनेंगी, इनमें तो वे लोग खुद फीस देकर इसके मैम्बर बनेंगे और उसका कोई ब्याज वगैरह भी नहीं है । इस तरह से रुपया जो जमा होगा वह ज्यादा मुफीद और ज्यादा फायदेमन्द किसानों के लिए हो सकता है अगर जो बातें मैं ने बताई हैं उनको ध्यान में रखा जाए । यह बात तो मानी हुई है कि हमें इसको कामयाब करना है ।

यहां पर एक सवाल मिलकियत के बारे में भी उठाया गया है और कहा गया है कि मिलकियत खत्म हो जाएगी । लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें मिलकियत खत्म होने का सवाल ही नहीं है और न ही यह सवाल उठना चाहिये और इसका कारण यह है कि मिलकियत से ही, अपनत्व से ही आदमी में काम करने के लिए उत्साह पैदा होता है । रशिया में हमने देखा है कि वहां कोलेक्टिव फार्मिंग है, कोलेक्टिव फार्म्स बने हुए हैं और मिल कर किसान खेती करते हैं, काम करते हैं लेकिन रशियन गवर्नमेंट भी इस बात पर आखिर आई है कि कुछ न कुछ जमीन किसान के पास होनी चाहिये जो कि उसकी मिलकियत हो । इसका एक तजुर्बा भी उसने किया है । हम ने उन किसानों के घरों में जा कर देखा है कि जिन को रशिया की सरकार ने दो दो और ढाई ढाई एकड़ तक जमीन दे दी है ताकि उसमें वे लोग खुद ही बाग लगा लें, बागीचा लगा लें, गायें रख लें या मुर्गी पाल लें या किसी और तरह का काम कर लें । हमें मालूम करने पर यह बताया गया कि कालेक्टिव फार्म्स के जरिये किसान जितनी आमदनी करते हैं उससे कई गुना ज्यादा आमदनी वे अपने दो दो और ढाई ढाई एकड़ में से कर लेते हैं । इसका मतलब यह हुआ कि अगर मिलकियत का खयाल पूरे तौर पर रहे तो इससे उसको एहसास होता है कि यह सब कुछ मेरे लिए हो रहा है और मैं इस काम को कर रहा हूं ।

यहां पर देहाती और शहरी का सवाल उठाया गया है, लेकिन मैं कोई ऐसा सवाल उठाना नहीं चाहता हूं और इस चीज को मैं ने कभी भी पसन्द नहीं किया है । मैं तो समझता हूं कि अगर शहरी ज्यादा वोकल होंगे, ज्यादा समझदार होंगे तो उनकी मदद से देहात वालों को भी काफी फायदा पहुंच सकता है । इसलिए देहाती और शहरी का सवाल उठाने से कोई फायदा नहीं है । मगर यह बात साफ है कि जो को-ओप्रेटिव सोसाइटियां वगैरह बनाई जायें उनमें जितने भी मुलाजिम रखे जायें, वे चाहे किसी भी कोग्रोप्रेटिव सोसाइटी के मैम्बर हों, उनमें से ही रख जायें और देहाती ही रखे जायें । बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि गवर्नमेंट आफ इंडिया जब भी मुकाबले के इम्तहान लेया रखे तो इसके दो हिस्से बना दे, एक देहातियों के लिए, और एक उन लोगों के लिए जो बड़े एडवांस्ड हैं । देहातियों के देहातीयों में मुकाबले हों तो फिर उनको ज्यादा चीज मिल सकती है । अपनी चीज हासिल करने का, खुशहाल होने का और नौकरी हासिल करने का ही यह उसूल नहीं बल्कि ऐसा करके ही यह चीज जो है यह अधिक से अधिक फायदेमन्द साबित हो सकती है । मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि मेरे मन में कोई देहाती या शहरी का सवाल नहीं है बल्कि ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे पहुंच सकता है, यही सवाल मेरे मन में है ।

एक बात मैं और भी इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । जो वेस्ट लैंड्स हमारे देश में पड़ी हुई हैं, उनको काबिले काश्त बना कर, कल्टीवेबल बना कर, इन सोसाइटियों को

[ज्ञानी गु० सिं० मुसाफिर]

दे दिया जाए तो बहुत जल्दी हमको अपने मकसद में कामयाबी मिल सकती है बहुत जल्दी अच्छे नतीजे निकलने की आशा की जा सकती है ।

एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि उस पर बड़ी संजीदगी के साथ गौर किया जाए और वह अनाज के संकट से सम्बन्ध रखती है और भावों के कंट्रोल के बारे में है । मैं समझता हूं कि अशोक मेहता साहब की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उसने एक तजवीज पेश की थी और वह तजवीज प्राइस स्टेबेलाइजेशन बोर्ड के बारे में थी । उस तजवीज को मैं समझता हूं जरूर अमल में लाया जाना चाहिये । इसको मान लेने से अन्न संकट पर काबू पाने में काफी मदद मिल सकती है । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पंजाब एक बोर्डर स्टेट होते हुए भी और वहां पर कोई कुदरती हद्दूद न होते हुए भी इधर हिन्दुस्तान की हद्दूद क अन्दर सरहद पर एक एक इंच भूमि में खेती की जाती है। जहां पर बोर्डर बना हुआ है, वहां पर एक तार सी लगी हुई है, और उसी से यह पता चलता है कि यह हिन्दुस्तान है और वह पाकिस्तान। पंजाब के किसान एक इंच जमीन भी बोर्डर के साथ साथ जोतने से नहीं छोड़ते और वहां पर बहुत अच्छी किस्म की कपास पैदा होती है । बोर्डर पर चोरी छिपे या किसी दूसरी तरह से डाका कोई डाल ले तो डाल ले या हमला कर दे तो कर दे मगर किसान जो है, वह इतनी हिम्मत से काम लेता है कि वह आखिरी हद तक बड़े जोर से खेती करता है । इतना होने पर भी पंजाब की यह हालत है, जैसा कि श्री अचित राम जी न कहा है कि वहां भी अनाज के भाव बहुत ऊंचे चले गये हैं । इसका कारण यही है कि वक्त पर गवर्नमेंट भावों पर कंट्रोल नहीं करती है और वक्त पर अगर सिचुएशन को संभाल लिया जाए तो मैं समझता हूं किसी किस्म का कोई संकट पैदा नहीं हो सकता है ।

इस मसले को छोड़ कर अब मैं एक और बात की तरफ आता हूं । काश्मीर का मसला भी यहां उठाया गया है । जो भाई बड़े जोर के साथ इस बात का दावा करते हैं कि काश्मीर हिन्दुस्तान के साथ रहना चाहिये, मैं उनसे कोई विरोध नहीं रखता हूं । यह ठीक है कि काश्मीर जरूर हिन्दुस्तान का एक हिस्सा है । मगर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर हमारे देश में फिरकादाराना वातावरण पैदा हो गया तो फिर काश्मीर का मामला हर वक्त संशय में और शुबे में ही रहेगा। यह सीधी सादी सी बात है । आज काश्मीर के लोगों में यह बात घर कर चुकी है कि हिन्दुस्तान में फिरकादारी की बिना पर कोई हकूमत नहीं चल रही है और इससे उनके दिलों में बड़ा एंथ्यूज़ियेज़्म है । इसीलिए हमारे विधान में सब से पहली यह बात रखी गई है कि फिरकादाराना कोई चीज हिन्दुस्तान में नहीं होगी और इसी को ध्यान में रखते हुए सेपेरेट इलेक्टोरेट की बात को उड़ाया गया । मगर फिर भी हमारे देश में कुछ भाइयों ने किसी न किसी ढंग से कोई न कोई बात ऐसे ढंग में शुरू कर दी है कि जब इलैक्शन होते हैं तो इलैक्शन को फिरकादाराना बना कर, उनको लड़ा जाता है । इलैक्शंस में खुदा के नाम पर, ईश्वर के नाम पर और वाहेगुरु के नाम पर वोट लेने का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है । मैं समझता हूं कि इस तरह की बातों की रोकथाम करने के लिए सरकार को एक जबर्दस्त कानून बनाना चाहिये जिससे फिरकादारी की बिना पर कोई भी अपील जारी न की जा सके खास तौर पर इलैक्शन के दिनों में । जितनी भी बातें ईश्वर के नाम पर होती हैं या ईश्वर भक्ति के नाम पर होती हैं, वे सब

बेसलेस होती हैं । मुझे एक खूबसूरत सा शेर याद आता है जिसको सुनाये बिना मैं नहीं रह सकता हूं :—

खुदा के नाम पर दस्ते खुदावाले गरेबां हैं
जिस कद्र जिक्रे खुदा बहुत है खौफे खुदा कम है

खुदा का कोई खौफ नहीं है लेकिन फिर भी ऐसी बुनियादें बांधी जाती हैं जिस से फिरकादारी और भड़के और हमारे जितने काम हैं, तामीरी काम हैं, उनको नुक्सान पहुंचे । तो मेरी जो तजवीज है वह यह है कि कोई न कोई ऐसा कानून बनना चाहिये जिससे कि ऐसी सूरतों का मुकाबला किया जा सके और एक दम से किया जा सके ।

आज बेशक यह कहा जाता है कि यहां किसी न किसी तरीकें से काश्मीर के जो रिप्रिजंटेटिव हैं वे ठीक ढंग से चुन कर नहीं आते हैं । मैं समझता हूं कि अगर हम अपने ठीक मकसद की तरफ आगे बढ़ते गये तो यह जो सवाल है तो यह काश्मीर का सवाल भी खुद-ब-खुद हल हो जाएगा । अब तक जो काश्मीर के रिप्रिजंटेटिव थे वे और ढंग से चुन कर आते थे । इसके बाद असैम्बली बनी तो असेम्बली द्वारा चुन कर वे आने लगे । कुछ दिनों के बाद यह सारी चीज हल हो सकती है । मैं खुद इस बात को महसूस करता हूं कि जब हमें जुम्मू से आगे काश्मीर की तरफ बढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा अहसास होने लगता है जब हमें परमिट इत्यादि दिखाना पड़ता है कि जम्मू और काश्मीर कोई अलहदा चीज है । ये चीजें डिफेंस को मद्देनजर रखते हुए ठीक भी हो सकती हैं या कोई और चीजें इसको करने के पीछे हो सकती हैं या कोई रुकावटें हो सकती हैं लेकिन मैं समझता हूं कि दरअसल फिरकादाराना बातों के हट जाने से यह सारी चीज दूर हो सकती है ।

१५·१४

अगली चीज जो मैं कहना चाहता हूं यह है कि राष्ट्रपति जी ने शरणार्थियों के लिये भी एक पैराग्राफ लिखा है जिस के अन्दर डंडकारण्य का जिक्र आता है । मैं समझता हूं कि वहां पर जो जमीनें आबाद की जा रही हैं उन के सिलसिले में पंजाब के शरणार्थियों का भी खयाल किया जाना चाहिये । आज वेस्ट पंजाब से आये हुए शरणार्थियों के लिए काफी कुछ हुआ, लेकिन फिर भी अभी लोग ऐसे हैं जो जमीन जमीन करते हैं । अगर उन के पास जमीन हो तो उन के अन्दर शक्ति है, ताकत है और वह काफी पैदावार कर सकते हैं तो उन को क्यों न फायदा उठाने दिया जाय । पंजाब के किसानों को भी कितनी ज्यादा तादाद में वहां बसाया जा सके वहां पर उन को आबाद किया जाना चाहिये ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं अपनी कांस्टिटुएन्सी के मुताल्लिक क्योंकि मैं अमृतसर से आता हूं जो कि एक मिली जुली कांस्टिटुएन्सी है । उस में आधा हिस्सा शहर का है और आधा देहात का ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : एक हल्का गुरदासपुर का भी है ।

ज्ञानी गु० सिं० सुलाफिर : राष्ट्रपति जी ने अपनी स्पीच के पैराग्राफ १४ में इस बात को माना है कि सूती कपड़े का जो उद्योग है उस को बड़ी ठेस पहुंची है । मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं बतला सकूं कि कहां कहां पर उन को ठेस पहुंची है । हालांकि मैं उन को अच्छी तरह से जानता हूं, फिर किसी वक्त कहूंगा अगर मौका मिला । मगर इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिये कि सूती कपड़े को जो नुकसान पहुंचा है उस का बहुत सा हिस्सा अमृतसर के ज़िम्मे आया है । अमृतसर एक ऐसी जगह है जो कि पंजाब का

एक दरवाजा है जिस से सारे पंजाब को सहूलियतें मिलती हैं । अमृतसर ही आजादी की लहर में भी शरीक रहा है । सारी ऐक्टिविटीज जो देश की आजादी के लिये की गई, उसमें उस का हिस्सा रहा है ।

एक बात मैं मि० दौलता के मुताल्लिक कहना चाहता हूं । मुझे पंजाबी सूबे की बात कहनी है क्योंकि उन्होंने बड़े जोर से पंजाबी सूबे की वकालत की है । उन की मरजी है, वह करें । मगर मैं तो समझता हूं कि पंजाबी सूबा बना ही हुआ है । उन को उसी को पंजाबी सूबा मान लेना चाहिये । अगर कोई और हिस्सा उस में आता है तो जरूर आ जाये, हिमाचल भी आ जाये, मेरठ भी आ जाये, और भी बड़ा सूबा बन जायेगा । वह सारा ही पंजाबी सूबा है । हम लोग जबान के झगड़े में न पड़ें । वहां जो लोग रहते हैं उन सब की जबान पंजाबी और हिन्दी है । हिन्दी तो सब को पढ़नी ही है, भले ही वह पंजाब के रहने वाले हों । अब उन को चाहिये कि वह पंजाबी पढ़ना शुरू कर दें । बस पंजाबी सूबा बना बनाया हुआ है । इसमें फर्क क्या है ? उस में कोई ऐसी बात नहीं है । हो सकता है नये सिरे से उन्होंने इस चीज को इसलिये कहा हो कि शायद पंजाबी सूबा बनने से हरियाना का सूबा भी अलग बन जाय । नहीं तो मैं समझता हूं कि पंजाबी सूबा बना हुआ है ।

डिप्टी स्पीकर साहब आपको पता है कि पार्लियामेंट की लैंग्वेज कमटी बनाई गई थी मैं भी उसका एक मैम्बर था । मेरा यकीन है कि अगर उस कमेटी के चेयरमैन पंडित पंत न होते तो बड़ी दिक्कत हो जाती । हो सकता है कि उन के लिये लोगो के दिल में जो मान है उस की वजह से या जो उन का काम करने का ढंग है उसकी वजह से, सारा मामला ठीक हो गया वरना हर एक फिकरे के लिये झगड़ा होता । अक्सर ऐसा हुआ कि एक एक फिकरे, के लिये झगड़ा हुआ लेकिन वह तय भी हुआ । अब भी एक भाई ने राज्य सभा में बड़े जोर से यह कहा, बंगाल, आसाम और साऊथ के यह जो प्राविंसेज हैं उन पर अगर हिन्दी ठूंसी गई तो वे यह सोचेंगे कि यूनियन से ही अलग हो जायें । पार्लियामेंट के मेम्बर तक ऐसी बातें कहते हैं । इसलिये इस लैंग्वेज के सवाल को जितना ही कम उठाया जाय उतना ही बेहतर है । हम लोग स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन के सिलसिले में काफी तजुर्बा कर चुके हैं और बार बार इन बातों को पार्लियामेंट में कहने से कोई फायदा नहीं है ।

इन अल्फाज के साथ राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो थैंक्स का मोशन पेश किया गया है मैं उस का समर्थन करता हूं ।

†**श्री नौशेर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : पिछले वर्ष हम सोचते थे कि १९५८ ही संकट का वर्ष होगा, लेकिन इस वर्ष १९५९ में तो उस से भी बड़ी समस्यायें हमारे सामने हैं ।

माननीय खाद्य मंत्री के अनुसार देश में खाद्यान्नों की उपज ६ करोड़ ८७ लाख टन हुई थी । अब कहा जा रहा है कि अगली फसल ७ करोड़ टन की होगी । तब फिर खाद्यान्नों के मूल्य इतने क्यों चढ़ते जा रहे हैं ?

मेरा तो ख्याल है कि यह आंकड़े दुरुस्त नहीं हैं । सरकार खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कोई बड़ी क्रांतिकारी योजना रखने जा रही है । मैं समझता हूं कि सैद्धान्तिक दृष्टि से तो समूचे खाद्य व्यापार को राज्य के हाथ में ले लेना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उससे किसानों को अपनी

†मूल अंग्रेजी में

उपज का उचित मूल्य मिल जायेगा और साथ ही खाद्यान्नों का तस्कर व्यापार भी नहीं हो सकेगा। सट्टे बाजी भी रुक जायेगी। लेकिन उस में खतरे भी हैं, क्योंकि राज्य को उन व्यापारियों और दूकानदारों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा जिनके हाथ से व्यापार छीना जा रहा है। सरकार के पास और कोई व्यवस्था ही नहीं है और सरकारी समितियां देश में मुट्ठी भर ही हैं।

फिर यह भी समस्या है कि राज्य की ओर से खाद्य व्यापार चलाने के लिये लगभग ८०० करोड़ रुपये की पूंजी लगानी पड़ेगी। खाद्यान्नों को रखने के लिये गोदामों की भी समस्या है। गोदामों की समस्या शायद सरकार के बस की बात नहीं है।

दूसरा परीक्षण सहकारी कृषि का किया जाने वाला है। मैं उसके सही या ग़लत होने या उसकी सफलता या असफलता के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहता। हमें बताया गया है कि २,००० से अधिक खेतों में सहकारी कृषि का परीक्षण किया जा रहा है। लेकिन माननीय मंत्री को इतनी भी जानकारी नहीं है कि निजी कृषि की अपेक्षा उनमें उत्पादन अधिक होता है या नहीं। बड़े अचम्भे की बात है कि इतना बड़ा परीक्षण किया जा रहा है, लेकिन उसके बारे में कोई सोच-विचार ही नहीं किया गया, आंकड़े ही नहीं जुटाये गये। अभी तक उसके लिये कोई एक शब्द भी स्थिर नहीं किया गया। उसे कुछ लोग सरकारी कृषि कहते हैं, और कुछ संयुक्त कृषि।

इतना बड़ा परीक्षण आरम्भ करने से पहले, सरकार को सहकारी, या संयुक्त, कृषि के लिये कुछ नियम, कुछ निर्देश, काम करने के तरीकों इत्यादि की एक संहिता तो तैयार कर ही लेनी चाहिये थी। सरकार को उसका कोई एक माप दंड तो निर्धारित कर देना चाहिये था। मान लीजिये एक किसान की जमीन अधिक उपजाऊ है और दूसरे की जमीन चट्टानी है, तो फिर उन दोनों में उपज का बंटवारा किस आधार पर किया जायेगा ?

माननीय मंत्री को इन सब की कोई अधिक जानकारी नहीं है। उन्होंने स्वयं इसे स्वीकार भी किया है। इस परीक्षण का प्रभाव संसार की कुल आबादी के १/७ भाग पर प्रभाव पड़ेगा। फिर भी सरकार बिना कुछ सोचे-समझे इसे बिना किसी तैयारी के शुरू करने पर तुली हुई है।

इसीलिये मेरा अपना विचार है कि यदि सरकार को यह परीक्षण करना ही है तो वह उस अतिरिक्त भूमि पर करे जो जोतों की सीमा निर्धारित करने के बाद बचे। प्रत्येक राज्य के कुछ ताल्लुकों में ही पहले इसका परीक्षण किया जाना चाहिये। राज्य को उसका पथ-प्रर्दशन करना चाहिये। उसके लिये एक संहिता तैयार की जानी चाहिये। सभी नियमों इत्यादि की उस संहिता को प्रकाशित करके उसका अधिकाधिक प्रचार करना चाहिये। बाद में, उसका अन्य स्थानों पर क्रमश : विस्तार करना चाहिये।

इतनी ही बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। दु:ख की बात तो यह है कि पंचवर्षीय योजनाओं की प्रगति के साथ ही बेरोज़गारी भी बढ़ती चली जा रही है। तृतीय योजना काल में लगभग डेढ़ करोड़ लोगों के लिए काम जुटाना पड़ेगा और उसके लिये १०,००० करोड़ रुपयों का विनियोजन होना चाहिये, जो स्पष्ट ही हम नहीं कर सकेंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा दु:ख की बात तो यह है कि देश के मौजूदा उद्योग भी बन्द होते जा रहेहैं लेकिन सरकार उनको चलाने का कोई प्रयास ही नहीं करती, सरकार कहती है, कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था नहीं है। हम उसे संशोधित क्यों नहीं कर सकते ? जो कारखाने रहन रखे हुए हैं, उनको सरकार अपने अधिकार में लेकर, किश्तों में रुपया अदा कर सकती है। सरकार उसे चला सकती है।

हम नये उद्योग खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुराने उद्योग कुप्रबन्ध के कारण बन्द होते चले जा रहे हैं। राज्य हाथ पर हाथ धरे उनको बन्द होते देखता रहता है। उससे बेरोजगारी बढ़ती जाती है।

मुझे विश्वास है कि इस बार के नये आय-व्ययक द्वारा देश पर कम से कम २० करोड़ रुपये के नये कर लगाये जायेंगे। फिर भी योजना का व्यय पूरा नहीं पड़ेगा। द्वितीय योजना पर हमें अभी भी २,२०० करोड़ रुपये व्यय करने हैं। कोई भी नहीं, वित्त मंत्री तक नहीं जानते कि यह राशि आयेगी कहां से। हमारे आंतरीक संशोधन क्या हैं? लेकिन इतना ही नहीं, सरकार ने तो १०,००० करोड़ की लागत की तृतीय योजना की बातें शुरू कर दी हैं।

हमारी वैदेशिक नीति बिलकुल ठीक है। भारत को उसकी वैदेशिक नीति के कारण ही समूचे दक्षिण-पूर्वी एशिया में नेता माना जाता है। फिर भी, विश्व शांति के क्षेत्र में, मैं समझता हूं कि हमें कुछ और प्रयास करना चाहिये था। हम अन्य तटस्थ देशों के साथ मिलकर एक तीसरी शक्ति बना सकते थे। उससे विश्व शांति की सम्भावनायें और बढ़ जातीं। इस दिशा में प्रयास किया जाना चाहिये। अन्त में, मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि हम खाद्य संकट को दूर नहीं कर सकेंगे, तो तृतीय योजना शुरू ही नहीं होगी।

श्री रा० क० वर्मा (निमाड़): उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रक्खा गया है उसके पक्ष और विपक्ष में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार रक्खे हैं। मैं भी अपने कुछ विचार इस सम्बन्ध में रखने का प्रयत्न कर रहा हूं।

जहां तक राष्ट्रपति के अभिभाषण का सवाल है, उस अभिभाषण के अन्तिम दो पैराग्राफ़ों अर्थात् ५३ और ५४ के अन्दर जो बातें कहीं गई हैं, उनके ऊपर हमारे देश की तरक्की और हमारे देश का विकास आधारित है। अब यहां पर यह विचार करने की ज़रूरत है कि जो बातें अन्तिम के दो पैरों में कही गई हैं, वे हमारे देश के अन्दर मौजूदा स्थिति में कहां पर देखने को मिल रही हैं? उस पैरा के अन्दर शान्ति, संगठन और हमारे माननीय सदस्यों का और देश का सहयोग चाहा गया है। जो देश के विकास के लिये निहायत जरूरी है, और किसी भी देश ने दुनिया के अन्दर जो तरक्की की है वह संगठन, सहयोग और शान्ति के आधार पर ही की है। जहां पर संगठन, सहयोग और शान्ति है वह देश सभी प्रकार से अपना विकास कर सकता है। हम रशिया की बात करते हैं। रशिया में भले ही संगठन न हो, शान्ति न हो, सहयोग न हो, लेकिन उन्होंने इस एक तरह से नहीं दूसरे तरीके से जबरदस्ती से, बल से, शान्ति, सहयोग और संगठन बनाने का प्रयत्न किया। इसीलिए आज रशिया इतना आगे बढ़ा है। अमरीका में पैसे या सत्ता के ज़रिये या दूसरी तरह से उन्होंने शान्ति, सहयोग और संगठन बनाया है। आज चीन का उदाहरण हमारे विरोधी मित्र देते हैं। लेकिन चीन में संगठन नहीं था, सहयोग नहीं था, और शान्ति नहीं थी। यही कारण था कि चीन की इतनी बुरी हालत रही। लेकिन जब सत्ता के द्वारा, बल के द्वारा, शान्ति के द्वारा उसको संगठित करने की कोशिश की गयी, सहयोग मिला, शान्ति पैदा हुई तो आज वह आगे बढ़ रहा है। हमारे देश की स्थिति भिन्न प्रकार की है। हमारे देश ने प्रजातंत्र को अपनाया है। सभी को आजादी और स्वतंत्रता मिली हुई है। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ करने के बजाय हमारी एक यह आदत पड़ गयी है और यह एक हमारा फैशन बन गया है कि करप्शन को हटाने के लिए, विकास के लिए, और दूसरे कामों के लिए केवल हम गांधी जी और विनोबा जी का नाम लेते हैं। और उनका नाम लेकर हम काम उनके विपरीत कर रहे हैं। हमारे हाथ पैर नहीं चलते। हमारा दिमाग नहीं चलता। लेकिन हमारी जबान बहुत ज्यादा चलने

लग गयी है । आप देश की किसी भी राजनैतिक पार्टी को देख लीजिये, उसके अन्दर फूट है, असहयोग है, अशान्ति है । और यही कारण है कि जो कि राष्ट्रपति जी ने कहा है, आज हम उस दिशा से विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी ने इन दो पैराग्राफ में हमारा बहुत कुछ मार्ग दर्शन किया है । अगर हम उस चीज को लेकर चलते हैं तो हम अपनी तरक्की कर सकते हैं । हम अपना विकास कर सकते हैं ।

विरोधी पक्ष के सदस्यों ने करप्शन की बात कही । दरअसल यह सही बात है । मैं कहता हूं कि उन्होंने जो सही बातें कही हैं उनका हमें स्वागत करना चाहिए और हमारे ही पक्ष के लोगों ने जो गलत बातें कही हैं हमें उनका विरोध करना चाहिए । इतनी हिम्मत, इतना साहस और इतनी नैतिकता जब तक हमारे अन्दर नहीं होगी, तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते यह मानी हुई बात है । लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । कोई कहता है कि करप्शन नीचे से है, कोई कहता है कि ऊपर से है, श्रीमान् हर जगह करप्शन मौजूद है । हमारे विरोधी पार्टी के कम्युनिस्ट मित्रों ने करप्शन की बात कही है । श्रीमान, अभी हल्दी भी नहीं सूखी है । आप देखें केरल के अन्दर क्या हुआ । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि केरल के अन्दर गवर्नमेंट बने ज्यादा दिन नहीं हुए, हमें पढ़ने को मिला कि केरल गवर्नमेंट ने आन्ध्र से बहुत सा चावल खरीदा और वह अपनी पार्टी के एक सदस्य द्वारा । उन्होंने मंहगे भाव से केरल के लिए आंध्र में चावल खरीदा और उनकी पार्टी के सदस्य द्वारा जिस सदस्य को ५० हजार का फायदा हुआ । यह सब हमको पढ़ने को मिला है । यह एन्क्वायरी में भी आया है । मैं उन माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि अगर आप दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं, तो अपना मुंह भी आइने में देखिये । जब आप अपना मुंह आइने में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप कहां हैं। आज हर एक दूसरे पर आरोप लगाता है । लेकिन अपनी बात करिये । हमने देखा कि केरल में कम्युनिस्ट सरकार बनने के पहले जहां भी गोली चली या लाठी चली तो कम्युनिस्टों द्वारार यह कहा जाता और आन्दोलन किया जाता था कि लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगीं नहीं चलेगी, श्रीमन्, केरल में कम्युनिस्ट सरकार बने जब १५ महीने भी नहीं हुए थे, वहां कितनी बार गोली और लाठियां चल चुकीं । कितने मरे और घायल हुये पर वह सरकार वहां क्यों चल रही है । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह समझ लेना चाहिए कि दूसरे के ऊपर तो कीचड़ उछालना आसान है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं । हर एक व्यक्ति, हर एक संस्था स्वयं अपने पैरों को देखे कि कहां खड़े हैं । मोर कितनी अच्छी बोली बोलता है, लेकिन जब वह अपने पैरों को देखता है तो उसकी भी आंख में आंसू आ जाते हैं । तो मैं विरोधी पार्टियों के सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि आप ऐसी बातें करते हैं, लेकिन आप अपनी पार्टी के बारे में भी कुछ विचार करिये । श्रीमन्, यहां पर कई विरोधी पार्टी के सदस्यों ने और कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर श्री डांगे जी ने मथाई और मूंदड़ा जी की बात कही । मैं यह मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी हो, या गवर्नमेंट हो या कोई भी हो ऐसे एलीमेंट को खत्म कर देना चाहिए । जरा भी रियायत नहीं करनी चाहिए । लेकिन हो क्या रहा है ? लेकिन हो यह रहा है कि ऐसे एलीमेंट को सहयोग और सम्मान दिया जाता है । फिर उस अवस्था में देश में क्या होने वाला है । मूंदड़ा का किस्सा पिछले साल पार्लियामेंट में काफी चला लेकिन हमने सुना कि मूंदड़ा ने कलकत्ते में पूजा के दिनों में खाने-पीने का कोई आयोजन किया उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय जो यहां उनकी पार्टी के डिप्टी लीडर हैं मुख्य अतिथि के तौर पर उसमें शामिल हुए । यहां तो कम्युनिस्ट मित्र सारी बातें करते हैं मूंदड़ा जी की और मथाई की और दूसरी तरफ उनको सहयोग भी देते हैं । इस हालत में मूंदड़ा जी क्या नहीं कर सकते । हमने पार्लियामेंट में बड़ी बड़ी चर्चा सुनी और सुना कि छागला कमीशन के सामने एवीडैंस के लिए जबकि कम्युनिस्ट पार्टी के लीडरों से कहा गया कि आपको भी इस सम्बन्ध में कुछ कहना है

तो कहिए, उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं कहना और उसके सामने गये तक नहीं। लेकिन यहां पर वह गवर्नमेंट पर हमला बोलते हैं। यह हमारी नैतिकता है। यही हमारे अन्दर धर्म है। हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं।

हमारे विरोधी पार्टी के सदस्यों द्वारा अक्सर यह कहा जाता है कि यह पुंजीवादी सरकार है। इस सरकार पर पूंजीपति लदे हुए हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केरल में जो केरल सरकार का बिड़ला जी के साथ समझौता हुआ है वह यह मेरे पास मेरे सामने है। इस एग्रीमेंट में जो कि श्री बिड़ला और केरल सरकार में हुआ है बहुत सी बातें हैं, वह बहुत लम्बा चौड़ा है। माननीय अध्यक्ष अ.प कहें और आज्ञा हो तो सदन की टेबल पर रख दूं।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के पैरा नम्बर २७ में यह जिक्र किया है कि उद्योगपति, मजदूरों और सरकार में एक समझौता हुआ है। वह अनुशासन के सम्बन्ध में समझौता है कि कोई भी एक पक्षीय कार्रवाई न करे। श्रीमान् केरल सरकार ने जो बिड़ला जी के साथ समझौता किया है वह एक पक्षीय ही नहीं है बल्कि संविधान के भी खिलाफ़ है। एक बोर्ड ने यह फैसला कर दिया है कि प्राफिट के अन्दर अमुक डिप्रीसियेशन निकाला जायेगा, अमुक डिवीडेंड निकाला जायेगा, मशीनरी को बदलने के लिए अमुक रकम निकाली जायेगी, रिज़र्व के ब्याज का इतना परसेंटेज रखा जायेगा, और बाकी रकम जो बचेगी वह मजदूरों को बोनस के तौर पर बांटी जायेगी। पर केरल गवर्नमेंट ने जो बिड़ला जी के साथ एग्रीमेंट किया है उसमें यह कहा है कि प्राफिट के ऊपर मजदूरों को बोनस नहीं दिया जायेगा, हम प्रोडक्शन बोनस देंगे। श्रीमान्, यह तो सदा से पूंजीपतियों का कहना और पक्ष रहा है, आज से नहीं वर्षों से है कि प्रोडक्शन बोनस दिया जाये प्राफिट पर नहीं। किन्तु हमने इस सवाल को स्वीकार नहीं किया और न अदालत ने ही। लेकिन प्रोडक्शन बोनस अलग चीज़ है और प्राफिट बोनस का एक अलग फारमूला है और प्राफिट शेयरिंग के सिद्धान्त को सर्वसम्मति से स्वीकार किया जा चुका है। प्राफिट के अन्दर गवर्नमेंट भी शरीक है, प्राफिट के अन्दर मजदूर भी शरीक़ हैं, और प्राफिट के अन्दर इंडस्ट्री भी शरीक है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधियों की सारी बातें कहने के लिए ही हैं करने के लिए नहीं। करनी और कहनी अलग अलग है। किन्तु यह चीज चल नहीं सकती।

यही एक बात नहीं है। कितनी ही बातें हैं। डिसिप्लिन की बात है। कारखाने में डिसिप्लिन नियम किसका होगा और ग्रीवांस प्रोसीज्योर क्या होगा। वहां उस कारखाने में बिड़ला जी का होगा। नैनीताल कानफरेंस में और दिल्ली के अन्दर जो सन् १९५७ में इंडियन लेबर कानफरेंस हुई थी उसके अन्दर यह तै हुआ था कि इंडस्ट्री में डिसिप्लिन, जो नियम गवर्नमेंट, उद्योगपति और श्रमिक इन तीनों द्वारा तैयार किये जायेंगे वे होंगे। जब उस कान्फ्रेंस के अन्दर यह तय हो गया कि डिसिप्लिन इन इंडस्ट्री इस तरह से रहेगा, ग्रीवेंस प्रोसीजर यह होगा, तो क्या कारण है कि केरल की सरकार ने बिड़ला जी के साथ बैठकर यह तय कर दिया कि नहीं केरल के इन कारखानों में तो बिड़ला जी द्वारा तैयार किये गये नियम डिसिप्लिन इन इंडस्ट्री होगा और उन्हीं द्वारा तय किया गया ग्रीवेंस प्रोसीजर भी होगा। इस सब का क्या मतलब है? हम पार्लियामेंट में बैठकर कोई नीति निर्धारित करते हैं और कहते हैं कि भविष्य में यह होगा लेकिन केरल के अन्दर हम देखते हैं कि उल्टी गंगा ही बह रही है।

इस पार्लियामेंट के अन्दर हमारे विरोधी दल के तथा कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने विदेशी पूंजी को आमंत्रित करने का विरोध किया है किन्तु वहां केरल की सरकार को बिड़ला जी ने यह

साफ साफ बता दिया है कि जो कारखाना डाला जायेगा और चलेगा वह अमरीकी पूंजी से ही चलेगा और इस बात पर केरल सरकार कहती है कि बड़ा भारी और प्रगतिशील हमारा कदम है। मैं कहना चाहता हूं कि विरोधी दल के माननीय सदस्यों के लिए यह समझ लेना आवश्यक है कि वे क्या कहते आ रहे हैं और उनकी गवर्नमेंट केरल में क्या कर रही है।

अब मैं जो असली चीज़ है और जिस को लेकर जनता में हाहाकार मचा हुआ है, उस पर आना चाहता हूं और वह अनाज की मंहगाई के बारे में है। सन् १९५७ में मैंने इसी पार्लियामेंट के अन्दर अनाज समस्या के बारे में अपने विचार व्यक्त किये थे और काफी मैटर इस सदन के सामने तथा माननीय मंत्री महोदय के स मने रखा था। लेकिन मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय को एक आदत सी पड़ गई है और इन्हीं मंत्री महोदय की नहीं बल्कि सभी मंत्रियों की पड़ गई है कि जो अंग्रेज़ी में लिखा हुआ आएगा उस पर तो गौर वे करेंगे और जो अंग्रेज़ी में बात की जाएगी, उसे तो वे सुनेंगे लेकिन जो हिन्दी में लिखा हुआ आएगा या जो हिन्दी में बात की जाएगी, उसको न वे पढ़ेंगे और न ही उस पर कोई ध्यान देंगे। जो लोग राष्ट्रभाषा में बात करते हैं, उनकी कोई सुनता ही नहीं। इस तरह की बातों से क्या आप राष्ट्र भाषा की कद्र कर रहे हैं, यह मैं पूछना चाहूंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मेरे १९५७ के भाषण के प्रोसीडिंग्स जो अनाज समस्या पर दिया था, को निकाल कर देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि जिस बात के लिए वह आज पश्चाताप कर रहे हैं उसका आज उनको पश्चाताप न करना पड़ता ,अगर उन्होंने मेरी बात पर उस समय ध्यान दिया होता। मैं आज फिर निवेदन करना चाहता हूं कि आप कुछ भी कहें या कुछ भी करें लेकिन हमारे देश के अन्दर अनाज की कमी नहीं है और अनाज का काफी उत्पादन हमारे देश के अन्दर होता है और सच बात तो यह है कि उत्पादक तो पैदा करता है और जो, कंज्यूमर उपभोक्ता है उसको उत्पादित चीज़ प्राप्त नहीं हो पाती है। होती है तो बहुत मंहगी और सच्चे माने में आज क्या गवर्नमेंट के ऊपर और क्या दूसरी राजनीतिक पार्टियों के ऊपर वितरक का असर है जो वितरण करने वाले हैं उनका असर होने से ही आज यह सब हालत और हाहाकार है। जो वितरक लोग हैं वे शासन को कहिये या राज़ व्यवस्था को कहिये, या जनता को कहिये, उसको कभी भी खतरे में धकेल सकते हैं और धकेल रहे हैं। इस व स्ते यदि सारी चीज़ पर विचार किया जाये तो पता चलेगा कि जितना हमारा उत्पादन है चाहे वह गल्ले का हो या किसी दूसरी चीज़ का, उसका वितरण सही ढंग से, जिस ढंग से होना चाहिये, नहीं हो पाता है। आज जो पैदा होता है उसको सही तरीके से जरूरतमन्द लोगों तक, उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की आवश्यकता है जो कि आज नहीं पहुंच पा रहा है। आज केवल अनाज के ही भाव नहीं बढ़े हैं बल्कि लकड़ी कोयले के भाव भी बहुत ऊंचे चले गये हैं, केरोसीन के बहुत ऊंचे चले गये हैं। सभी चीज़ों के भाव बहुत ऊंचे चले गये हैं। क्या इनका भी उत्पादन घटा है नहीं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मेरे प्रदेश के अन्दर जहां अनाज बहुत ज्यादा पैदा होता है वहां पर बाहर के व्यापारियों ने उसी गेहूं को जिसे उन्होंने किसानों से १२ रुपये और १३ रुपये मन खरीदा आज ३६ रुपये मन बेच रहे हैं। इस खरीद और बेचने की बात को अभी ज्यादा देर भी नहीं होने पाई है यह सब चीज केवल आठ महीनों के अन्दर ही हुई है। मान लीजिये थोड़ी देर के लिए कि आपने भाव बांध दिये. .

उपाध्यक्ष महोदय : आप जल्दी से खत्म कीजिये, कुछ और माननीय सदस्य भी बोलना चाहते हैं।

श्री रा० क० वर्मा : मैं निवेदन करता हूं कि किसी भी माननीय सदस्य ने इस पर सविस्तार नहीं कहा है और इस सम्बन्ध में कुछ विशेष कहने के लिये मुझे आप थोड़ा ज्यादा समय दें।

उपाध्यक्ष महोदय : दो तीन मिनट में आप अपनी बात कह लीजिये क्योंकि और भी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं ।

श्री रा० क० वर्मा : मैं कहना चाहता हूं कि खाद्य पदार्थों के अधिक भाव बढ़ने से जो गरीब लोग हैं उनकी सारी की सारी आमदनी खाद्य पदार्थों की खरीद के अन्दर ही खर्च हो जाती है और इनके ही अन्दर पूरी आमदनी के खर्च हो जाने से दूसरी जो जरूरत की चीजें हैं, उनको वे खरीद नहीं पाते हैं और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इसका कोई हल नहीं निकाला गया और कुछ समय ऐसा ही चलता रहा तो हमारे देश में भयंकर बेकारी पैदा होने का खतरा पैदा हो सकता है । इसका कारण यह है कि लोगों की खरीदने की शक्ति घट रही है और इसका नतीजा यह हो रहा है कि खाद्य पदार्थों को खरीदने के बाद उनके पास पैसा नहीं बच पाता है और जब पैसा नहीं बच पाता है तो दूसरी जो वस्तुयें तैयार होती हैं उनको कौन कैसे खरीदेगा और अगर कोई नहीं खरीदेगा तो स्टाक जमा हो जायेगा जो लोग उन्हें तैयार करने में लगे हुए हैं वे बेकार हो जायेंगे । इस तरह से एक दूसरी ही समस्या बेकारी की हमारे देश में पैदा हो सकती है ।

उपाध्यक्ष महोदय, बेकारी का तो यह हाल है कि गवर्नमेंट की भी यह मान्यता हो गई है कि कोई भी समस्या हो उसके लिए बोर्ड स्थापित कर दिये जाते हैं, कमेटियां बिठा दी जाती हैं। कमेटियां बना कर के लोगों को घपले में डाल दिया जाता है और जब कमेटियां अपनी रिपोर्टें दे भी देती हैं तो उनकी राय को शासन द्वारा कोई वजन नहीं दिया जाता है । मैं टैक्सटाइल इन्क्वायरी कमेटी की ही बात को लेता हूं । उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के पैरा ९० और ९१ में इस बात पर जोर दिया था कि जो कपड़ा मिलें बन्द हैं या बन्द होने वाली हैं या बन्द होने लायक हैं उनके चलाने के लिए एक आटोनोमस कारपोरेशन बना दी जाय और उस कारपोरेशन के अन्दर गवर्नमेंट के प्रतिनिधि हों, मिल मालिकों के हों, और साथ ही साथ मजदूरों के हों । इस चीज़ को तीनों ने एक राय से तय किया । अब गवर्नमेंट यह कहती है कि इस कमेटी की रिपोर्ट को तो हम स्वीकार करते हैं लेकिन ये जो दो पैराग्राफ़ हैं जिन में कारपोरेशन का ज़िक्र है, इसको स्वीकार करने के लिये हम तैयार नहीं हैं।

श्रीमन्, एक तरफ कारखाने चालू करने की बात की जाती है, इम्पोर्ट की बात की जाती है और दूसरी तरफ एक्सपोर्ट की बात भी की जाती है । लेकिन जो कारखाने चल रहे हैं, जिन्हें चलते रहने दिया जा सकता है और जिन के बारे में तीनों की एक राय है, उसे स्वीकार करने के लिए और उनको चलाये रखने के लिए गवर्नमेंट तैयार नहीं है । एक तरफ़ आप कहते हैं कि हम एक्सपोर्ट करेंगे और दूसरी तरफ यह हाल है कि अनाज मंहगा हो रहा है और उसे हमें विदेशों से बड़ी मात्रा में मंगवाना पड़ रहा है । साथ ही साथ सस्ते अनाज की दुकानें खोली जा रही हैं लेकिन इन दुकानों से गरीब आदमियों को अनाज नहीं मिल रहा है और इस अनाज को लेकर मुनाफाखोरी की जा रही है । जो पैसे वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं वह आधा अनाज पहले ही गुप्त रूप से गायब करके रख लेते हैं, अपने नौकरों चाकरों को कहते हैं कि तुम्हें प्रति व्यक्ति चार चार आने देंगे और उनकी औरत बच्चों को लेकर अपनी दुकान के सामने बिठा देते हैं और वे क्यू में लग कर अनाज वापिस ले आते हैं । इस तरह से जो अनाज उनके पास वापिस आ जाता है उसको देशी अनाज में मिला कर वे लोग बेच देते हैं । सस्ती दुकानें चालू करने का तो यह मतलब था कि अनाज के भाव गिरें, लेकिन भाव गिरे नहीं हैं, बल्कि बेहद बढ़े हैं और आज यह हालत हो गई है कि जहां पहले हम वर्ष में २८ करोड़ का अनाज बाहर से मंगाते थे वहां आज डेढ़ अरब का अनाज हमें मंगाना

शुरू कर दिया है। एक तरफ तो आप फ़ारेन एक्सचेंज की बात करते हैं और दूसरी तरफ यह हो रहा है कि हमारे देश में.....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय खत्म हो गया है। श्री ब्रजेश।

पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश" (शिवपुरी) : कृष्णं बन्दे जगतगुरुम्

उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं और जो बातें कह दी गई हैं उनका पृष्ठ पोषण करना मैं व्यर्थ समझता हूं। सम्पूर्ण अभिभाषण को पढ़ने के पश्चात् मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि राष्ट्रपति महोदय के मस्तिष्क में देश में जो अर्थ संकट आया है, चिन्ता व्याप्त है और हमारे मनों में उत्साह उत्पन्न हो, इसके लिये उन्होंने एक लम्बी तालिका उन योजनाओं की दे डाली है जो कि देश के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिये चलाई जा रही हैं और जो कि सम्पूर्ण योजनाओं से सम्बन्ध रखती हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता श्री डांगे साहब ने कहा है कि यह अभिभाषण स्फूर्तिदायक नहीं है, प्रेरणादायक नहीं है। अब स्फूर्ति कहां से लाई जाये, कहां से उधार मांगी जाये या किसी से प्रार्थना की जाये कि आप स्फूर्ति पैदा कर दीजिये ? ऐसी दशा में जो वस्तुस्थिति है उसी का दिग्दर्शन कराया जा सकता है। स्फूर्ति के लिये अनावश्यक तौर पर सब्ज़बाग दिखाने से भी काम नहीं चल सकता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ते लड़ते बहुत से सब्ज़ बाग़ दिखाये लेकिन कोई परिणाम सामने नहीं आया। वैसे ही सब्जबाग सत्तारूढ़ होने के बाद भी दिखाये, मैं समझता हूं, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है।

जो कार्य चल रहा है उसकी एक तालिका उन्होंने हमारे सामने रखी है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि देश में अर्थ संकट आया है और मैंने अनेक बार इस सम्बन्ध में निवेदन किया है कि हमारे देश को जो स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है वह बड़े भयानक शोषण के पश्चात् प्राप्त हुई है।करीब करीब एक हज़ार वर्ष तक इस देश का शोषण होता रहा, लूटपाट होती रही, कुछ तो तलवार के बल पर शोषण हुआ और कुछ छल के द्वारा शोषण हुआ। छल और बल दोनों के द्वारा शोषण होने के पश्चात् देश को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई। अब उस प्राप्त स्वतन्त्रता में जो हो सकता है, वही किया जा सकता है और वह हो रहा है। सब से बड़ा दोष जो मुझे दिखाई पड़ता है इसमें, वह एक ही है कि अब हमारे शासन के पास देश में आकर्षण पैदा करने के लिये सिवा योजना के और दूसरा कोई मार्ग नहीं रह गया है। प्रथम योजना समाप्त हो गई, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का तीसरा वर्ष समाप्त होने जा रहा है। इस तृतीय वर्ष में ही तृतीय योजना के सम्बन्ध में रूप रेखा का निर्माण करने की भूमिका का निर्माण होने लगा है। योजना क्या बनती है मानों लोग समझते हैं कि खाने पीने के लिये एक नया रास्ता ही निकलने वाला है। जब तक योजना को पूर्ण करने का वायुमंडल उचित रूप से निर्मित नहीं होगा तब तक योजना केवल काग़जों में ही रहेगी जैसा कि हम को दीख रहा है कि प्रथम पंच वर्षीय योजना के समाप्त होने के पश्चात् भी देश में भयानक अन्न संकट आ गया। उस अन्न संकट के लिये कहा जाने लगा कि कुदरत ने साथ नहीं दिया, प्रकृति ने साथ नहीं दिया, इस लिये आ गया। मगर उसका कारण यह नहीं है। उसका मुख्य कारण यह है कि जिन के लिये हम लाभ लाना चाहते हैं उन के संकटों को दूर करने के लिये योजना में कुछ नहीं था। इस में कोई सन्देह नहीं कि जब तक किसान को डाइरेक्ट लाभ नहीं पहुंचेगा तब तक अन्न का संकट देश से नहीं जायगा। जो पैदा करने वाले हैं वे नरकंकाल हैं। वह लोग ठोकर खाते हैं, फिर उठ कर दौड़ते हैं और फिर ठहर जाते हैं। इस वास्ते अगर उन पर ही नवीन योजनाओं का भार लाद दिया जाता है तो चाहे जितनी भी योजनायें बनें वे सफल नहीं

होंगी । योजना को सफल करने के लिये एक नये आधार को पेश किया गया । और वह है कि कोआपरेटिव बेसिस पर खेती चलाई जायगी ।

"योध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवाणि निषेवते,
ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवम् नष्टमेवहि ।"

जो पास में हो उस को तो छोड़ देते हैं और जो नहीं है उस को पकड़ते हैं । नहीं को तो नहीं ही किया और जो है उसको भी वह भूल जाते हैं । इस वास्ते देश के लोगों का फायदा कैसे हो सकता है ? मैं कहता हूं कि शासन जो भी कार्य करता है, उसमें उसको देश का सहयोग मिलना चाहिये । इसमें कोई दो मत नहीं हैं, लेकिन अगर शासन सहयोग मांगे और लोग कहें कि हम असहयोग करेंगे तो काम कैसे चलेगा ? आज देश में एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जो सामने आ कर सत्ता को हाथ में ले कर चल सके । एक कांग्रेस दल ही बाकी बचा है, वही एक पार्टी है जो कि देश व्यापी है और कदम आगे बढ़ा कर चल सकती है । यों तो दल-गत नीति के कारण कोई खड़ा हो कर बोल सकता है कि यह दोष है, वह दोष है, यह खराबी है, लेकिन क्या वे लोग देश की बागडोर सम्भालने में समर्थ हैं ? वह केवल आलोचना करने में ही समर्थ हैं । ठीक है आलोचना होनी चाहिये लेकिन कम से कम लोक-सभा में आलोचना शासन को भला बनाने के लिये होना चाहिये न कि पार्टी के प्रोपे-गैन्डा के लिये होना चाहिये । शासन को यह पता लग जाय कि हमारी कमज़ोरी कहां है, वह लोग भी जनसम्पर्क रखते हैं लेकिन हो सकता है कि भय के कारण कोई पार्टी के सदस्य विरोध न करते हों । जो विभिन्न विचारों के व्यक्ति हैं वे लोग जनता से सम्पर्क स्थापित कर के शासन के सामने इस बात को रक्खें कि देश में एक यह भी प्रतिक्रिया है आपके विचारों की तरफ । शासन को भी गम्भीरता से सोचना चाहिये कि दूसरे लोग भी देश के नागरिक हैं और उनके सामने जो देश की परिस्थिति है उस को रखते हैं । उनको इससे ही सन्तोष नहीं कर लेना चाहिये कि उन्होंने यह पास कर लिया, वह पास कर लिया । ऐसा विचार शासन का नहीं होना चाहिये, लेकिन शासन हठधर्मी बरते तो शासन का भी दुर्भाग्य होगा और देश का भी ।

सहकारिता के आधार पर खेती करने की जो बात आप सोच रहे हैं उसके सम्बन्ध म मेरा यह निवेदन है कि जहां जहां भी सरकार ने कोआपरेटिव बेसिस पर व्यापार किया वहां उस को असफलता ही मिली । मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर का राज्य था उस समय एक जी० एन० आई० टी० कम्पनी चलती थी, चूंकि वह राज्य की थी इसलिये लाभ में चलती थी । उस समय उसको सरकार नहीं चलाती थी । जब से वह कोआपेरेटिव बेसिस पर चलने लगी है उस को घाटा ही घाटा हो रहा है । ड्राइवर, क्लीनर कंडक्टर तक ही सारा पैसा रह जाता है और कम्पनी में घाटा आता जा रहा है । नई मोटरों को पुरानी करके वे बेचते हैं और दूसरी नई मंगवाते हैं, दोनों में ही नफा कमाते हैं । जब इस पद्धति से काम चलेगा तो लाभ कहां से हो । अगर चार आदमियों को पकड़ कर ज बर्दस्ती खेत पर लगा दिया जाय कोआपरेटिव सिस्टम से काम करने को, तो एक सोचेगा कि दूसरा करे और दूसरा सोचेगा कि तीसरा करे, और इस तरह से काम कोई होगा नहीं । जब तक कि कम्पिटीशन नहीं होगा, जब तक लाभ उठाने की भावना नहीं होगी तब तक जबर्दस्ती से कोई काम नहीं करेगा । यह तो एक निश्चित मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त है । हां कुछ बन्धन लगा कर काम करायें उनसे कह दें कि तुमको काम करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो गोली से मार देंगे या जेलखाने में डाल देंगे तो भय मान कर

भले ही वे कुछ काम कर दें, लेकिन भय नहीं रहा, आदर्श भी नहीं रहा और राजी भी नहीं कर सके तो काम कैसे चलेगा ? इस का परिणाम यह होगा कि शासन को भी इस का फल भोगना होगा और देश को भी । कई एक सज्जन खड़े होंगे । वह कहेंगे हम ने संसार के बहुत से स्थानों में देखा कि कोआपरेटिव सिस्टम फेल हो गया । लोग भी अनुभव करने लगेंगे कि अब इस सिस्टम को बदल देना चाहिये और नया लाना चाहिये । तब तक कहीं ऐसा न हो कि सरकार ही बदल जाय ।

" दुभुक्षितः किं न करोति पापम् "

भखा क्या पाप नहीं करता ?

" कष्टात् कष्टं परम् क्षुधाः"

मैंने अखबारों में पढ़ा कि एक जगह नौकर ने किसी होटल में से तीन रोटियां चुरा कर खा लीं । इस पर मैनेजर ने इस को इतना पिटवाया कि वह हास्पिटल जा कर ही मर गया । तीन रोटियों की चोरी के लिये बेचारे की जान ही चली गई । अगर इस तरह से होता रहा तो कैसे काम चलेगा ? भुखमरी चीज़ ही ऐसी खराब है और आप उस को अपनी दृष्टि से ओझल नहीं कर सकते । यह समझना चाहिये ।

यह निश्चित बात है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है । हर जगह पर बढ़ रहा है । ऐसा नहीं है कि शासन में ही बढ़ रहा है, हम में भी बढ़ रहा है, मैं सोचता हूं कि शायद मुझ को मिनिस्ट्री ही मिल जाय और जैसे दूसरे मिनिस्टर खा रहे हैं उस का आधा मैं भी खा लूं । यह शोचनीय बात आज देश में आ गई है ? लेकिन हम को यह समझ लेना चाहिये कि इस भावना का निर्माण हुआ है शासन सत्ता के कारण, क्योंकि शासन सत्ता में जो लोग थे उनमें यह बल था कि वे लोग जनता को प्रभावित कर सकें । कुछ भी हो चाहे यह चीज़ हमें पसन्द हो या न हो लेकिन एक चीज़ माननी पड़ेगी कि कांग्रेस ने देश की स्वतन्त्रता के लिये त्याग किया , जेलों में गये, कष्ट उठाये, अंग्रेजों से लड़े । जब तक उन में त्याग की भावना थी लोगों ने उन को देवता के रूप में देखा । अब यह लोग कुर्सियों पर बैठ कर खाने लगे तो लोगों ने भी सोचा कि आज खाने की हवा चली है, खाओ । सारे देश में इस समय लोग खाने की तरफ लगे हुये हैं । जिसे देखा वह खाने की तरफ ही भागता है ।

" अखंड लक्ष्मी आहे, कुणाची मार्ग पाहे ।"

रास्ता कोई भी हो, किसी तरह से भी आये । मैं भी समाचार पत्र पढ़ता हूं, मैं देखता हूं कि मिनिस्टर साहब लोग जब ऐसा करते हैं तो हम भी करने लगें ।

अभी हमारे नंदा जी ने एक और कोआपरेटिव कम्पनी बना दी है जो जा कर ठेके लेती है । क्या हुआ कि अब कंट्रेक्टर को कंट्रेक्ट नहीं मिलने लगे । जो आदमी ठीक ढंग से काम करने की योग्यता रखता था उस को तो काम मिलता नहीं है सीधे । कम्पनी को मिलता है, वह जा कर कंट्रैक्टर्स को काम देती है इस तरह से काम भी ठीक नहीं होता और पैसा भी लोग खा जाते हैं । वह खुद खाती है कंट्रैक्टर्स भी खाते हैं और उस का फल भोगना पड़ता है देश को क्योंकि जो कुछ निर्माण होता है वह भव्य नहीं होता, उच्च कोटि का नहीं होता । आज मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति को हम समाप्त नहीं कर सके । जब तक हम उस को समाप्त नहीं कर सकेंगे तब तक हमारा काम नहीं चलेगा और यह मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति एक ऐसा रोग है जो कि पार्टियों में भी उत्तरोत्तर आ रहा है । मुद्दत से यह चीज़ चली आ रही है । जिस तरफ भी राजनीतिक दलों की तरफ दृष्टि फेंको, कोई चमकदार आदमी दिखाई नहीं देता, कोई नया आदमी आता नहीं ।

[पंडित ब्रज नारायण 'ब्रजेश']

किसी पार्टी में कोई ऐसा आदमी नहीं दिखाई देता जो कि कार्य को अपने हाथ में लेने को तैयार हो। हम बुड्ढों को तो मरना ही है उस के बाद लगेगा कि क्या किया जाय। देश के दुर्भाग्य से जितने भी बूढ़े हैं वह खलास होते जायेंगे, तो उनकी जगह कौन लेगा? आज देश में इस प्रश्न का निर्माण हो रहा है। यह भी एक भूल भुलइया है कि लोग हमारे प्रधान मंत्री की तारीफ भी करते हैं। लेकिन कांग्रेस दल में भी एक दोष सब से बड़ा यह आ गया है कि आखिर जवाहरलाल जी के बाद कौन होगा, जवाहरलाल जी के बाद कौन होगा? यह क्या कोई अच्छी बात है कि पिता ऐसा हो जाय कि वह संतान को इस योग्य ही न बनावे कि उसके मरने के बाद वह उस की जगह ले सके? किसी भी ऐसे पिता को अच्छा पिता नहीं कहा जा सकता। अच्छा पिता वही है जो ऐसे चार पुत्र पैदा कर दे जो कि उस के मरने के बाद घर को आगे ले जा सकें। वह पिता किस काम का कि उस के समय तो जयजयकार हो और उसके बाद हा हाकार हो।

आज जो देश में वायुमंडल बन रहा है वह कोई एक अच्छा और स्वस्थ वायुमंडल निर्मित नहीं हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे देश में कोई ऐसा नेता है जो कि देश के अन्दर यह आवाज़ उठाये कि अब से बरातों में ५० से ज्यादा आदमी नहीं ले जायेंगे और क्या आपको यह उम्मीद है कि अगर ऐसी आवाज़ उठाई जायेगी तो क्या लोग उसको मान लेंगे? आज जैसी देश में हवा बह रही है उसमें कोई किसी की नहीं सुनता। आज देश में कितनी आर्थिक विषमता है कि एक तरफ तो दीवारों में झाड़ फ़ानूस लगे दिखाई देते हैं तो दूसरी तरफ उन ग़रीब मज़दूरों के हाथ दिखाई देते हैं जो कि उन गैसों के हंडों को थामे हुये हैं। जहां आपको एक झोपड़ी में अन्धेरे में भूख से पीड़ित एक अस्थि पंजर पड़ा हुआ दिखाई देगा वहीं दूसरी ओर आपको आलीशान कोठियों में हो हल्ला और लोगों के सिर पर विद्युतप्रकाश चमकता दिखाई देगा। आखिर हमारे देश के अन्दर इतनी आर्थिक विषमता आज क्यों विद्यमान है? आज हमको अपने देश में भ्रातृत्व का सर्वथा अभाव देखने को मिलेगा। एक ओर तो एक ग़रीब आदमी का नौजवान लड़का भूख और बीमारी का शिकार हो कर मर रहा होगा और आखिरी दम ले रहा होगा तो दूसरी ओर एक धनी मानी व्यक्ति अपने लड़के की बारात धूमधाम से सजाये होगा और सामग्री और पैसा लुटा रहा होगा और बर्बाद कर रहा होगा। याद रखिये कि जब तक हम अपने देश और समाज में भाईचारे, भ्रातृत्व, और आपसी सहयोग की भावना पैदा नहीं करेंगे हमारी कोई भी योजना सफल होने वाली नहीं है। आज देश की सबसे बड़ी आवश्यकता इस आर्थिक विषमता को दूर करने की है।

अब मैं किस को कहूं और किस को न कहूं। देश में चारों ओर एक लूट सी मची हुई है और सब चाहते हैं कि बहती गंगा में हाथ धो लिया जाय। हर एक व्यक्ति की चाहे वह सरकार में हो अथवा बाहर यह भावना रहती है कि ज्यादा से ज्यादा स्थिति से फ़ायदा उठाया जाय और अपना घर भर लिया जाय। अब मैं किस मुंह से मंत्री लोगों से कहूं कि वे अपने पेटों को ही न भरते चलें जब कि मैं स्वयं भी उसी रोग में मुब्तिला हूं। अब जब कि दोनों ही ओर यह लूट खसोट और अपना अपना पेट भरने की बात चल रही हो तो फिर कौन किस को मना करे और किस मुंह से करे। अब मैं तो सोचता हूं कि शासन के अन्दर जो मंत्री वगैरह हैं वे पहले इस बुरी प्रवृत्ति का त्याग करें और मंत्री महोदय शायद अपनी जगह पर यह सोचते होंगे कि पहले जो गवर्नमेंट से बाहर हैं वे इसको बंद करें तो हम भी बंद कर देंगे। देश के सामने जो योजनायें हैं और खाद्य समस्या गम्भीर रूप धारण किये हुये है वें सब जब तक कि हम अपने बीच में से इस

बुराई को बिल्कुल निकाल नहीं देंगे तब तक सफलता हमसे कोसों दूर रहेगी । इसके लिये हमें कोई न कोई एक निश्चित योजना बनानी पड़ेगी, हमें सारी स्थिति का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करना होगा और अपनी शिक्षा का सारा आधार बदलना पड़ेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य का समय खत्म हो चला है ।

पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश" : उपाध्यक्ष महोदय, अन्य माननीय सदस्य तो यहां पर आध आध घंटा बोले हैं जब कि मैं तो शायद अभी ५, ७ मिनिट ही बोला हूंगा । मेरे साथ तो पार्लियामेंट में ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : जो लोग आध घंटा बोले हैं उनके पीछे काफ़ी ब्लाक है, उनके ग्रुप काफ़ी बड़े हैं ।

पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश": मेरे पीछे यह पूरा का पूरा हाउस है और मैं इस पूरे हाउस को ही अपना ब्लाक समझता हूं ।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि अंग्रेज़ों ने चूंकि वे इस देश पर हुकूमत करना चाहते थे, उन्होंने अपने स्व र्थ को देखते हुये और चूंकि वे एक बड़ी पैनी राजनैतिक दृष्टि रखते थे, उन्होंने भारतवासियों को सदा बुद्धू बनाये रखने के लिये शिक्षा पद्धति कुछ इस तरीक़े की रक्खी जिससे कि भारतवासी शिक्षित हो कर केवल क्लर्क और चपड़ासी बनने के ही योग्य रह सकें और उनमें ग़ुलामी की मनोवृत्ति जड़ जमा ले और यह सब कोई जानते हैं कि वे अपने इस उद्देश्य में पूरी तरह सफल भी हुए । मुझे यह बड़े दुःख और खेद के साथ इस सदन में कहना पड़ता है कि उस दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति में आज भारत को आज़ाद हुये ११ साल ब्यतीत हो गये, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अब आप ही मुझे बताइये कि आज की प्रथा के मुताबिक अगर किसी विद्यार्थी को १०० नम्बर में से ३३ नम्बर मिल जाते हैं तो वह पास गिना जाता है जिसका कि यह अर्थ हुआ कि वह केवल ३३ प्रतिशत तो अक़लमंद तो रहा बाक़ी ६७ प्रतिशत मर्ख रहा। अब अगर उसको ५० प्रतिशत नम्बर प्राप्त होते हैं अर्थात् १०० में से ५० नम्बर मिल जाते हैं तब तो वह जितना अक़लमंद है उतना ही मूर्ख भी हुआ और जिम्मेदारी के पद पर पहुंचने पर जितना वह नुक़सान करेगा उतनी ही वह आमदनी भी करके हिसाब पूरा कर देगा अर्थात् जितना बनायेगा उतना ही बिगाड़ेगा लेकिन उस ३३ नम्बर पाने वाले महाशय का क्या हाल होगा? वह तो ३३ प्रतिशत ही बुद्धिमान है और ६७ प्रतिशत मूर्ख है और उसका परिणाम तो यह होगा कि वह पैदा करना तो दूर रहा उल्टे बाप की कमाई को ही बत्ती लगा देगा। मैं जानता हूं कि यह बात किसी से छिपी नहीं होगी कि आज के हमारे ग्रेजुएट लोग ठीक से अपने आवेदनपत्र तक नहीं लिख पाते हैं। आज देश की शिक्षा का स्तर बहुत गिर गया है और होता यह है कि विद्यार्थी लोग साल भर तो मौज उड़ाते हैं और इम्तिहान शुरू होने के दो, तीन महीने पहले चाय पी पी कर गैस पेपर्स वगैरह तयार कर लेते हैं और किसी तरह उल्टे सीधे इम्तिहान पास कर लेते हैं। यहां पर जो प्रोफ़ेसर लोग होंगे मैं समझता हूं कि वे मेरे इस कथन से सहमत होंगे। यह तो हमारे देश के नौजवानों की हालत हुई ।

अब देश की हालत क्या हो रही है। देश में अनाज की क़मी है, लोगों को भरपेट खाना नहीं मिल पा रहा है, दूध, घी और दही आदि अन्य वस्तुओं की बात तो कहे कौन। अब देश में दूध और घी का उत्पादन बढ़ाने के लिये अगर मैं और मेरे सरीखे अन्य लोग इस सदन् और इस सदन् के बाहर गोहत्या पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग करते हैं और आवाज़ उठाते हैं तो शासकदल की ओर से यह कह दिया जाता है कि यह तो पुरानी और दकियानूसी बातें करने

[पं० ब्रज नारायण ब्रजेश]

वाले लोग हैं, ज़माने से पिछड़ गये लोगों की आवाज़ है और शासकदल उनकी बात की पर्वाह नहीं करता है। अब यह दृष्टिकोण कि हर चीज़ जो कि पुरानी है वह अवश्य ही अच्छी होगी और कोई एक नयी चीज़ भले ही वह चाहे अच्छी क्यों न हों लेकिन यह मान कर उसको अस्वीकार कर देना कि चूंकि वह नई है इसलिये अच्छी न होगी, मेरी समझ में यह दृष्टिकोण भी जो कुछ लोगों का है, मुझे क्षमा किया जाय ठीक नहीं है। इसी तरह मैं यह कहूंगा कि हर पुरानी चीज़ को चाहे वह कितनी ही अच्छी क्यों न हो उसका तिरस्कार करना और नई चीज़ों के पीछे दौड़ना और उनमें से चाहे कोई नई वस्तु हानिकारक क्यों न हो लेकिन उसको स्वीकार करना, यह जो आज देश में कुछ लोगों की आदत हो गई है और मार्डन होने का जो एक फ़ैशन सा हो चला है, यह भी चीज़ ठीक नहीं है और देश के हित के लिये अनुकूल नहीं है।

देश के हर देशवासी और कर्णधारों पर इस बात की बड़ी ज़िम्मेदारी आती है कि वे शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन करें, ताकि हमारे नौजवान लोग देश की ज़िम्मेदारियों को योग्यता पूर्वक वहन कर सकें। आज देश में जो अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार का बोलबाला है उसका भी हमें अन्त करना होगा। इन सब कामों के लिये हमारे मंत्री महोदयों को जिन पर कि ज़िम्मेदारी है उनकी सचमुच में एक त्याग और तपस्या का स्वरूप अपनाना होगा और उन्हें देश में खड़े हो कर यह घोषणा करनी पड़ेगी कि अब हम इतने पैसों से अधिक अपने लिये नहीं लेंगे और अपने खर्च में यह कटोती करेंगे और ऐसा होने पर ही हम देश में एक ऐसा वातावरण उत्पन्न करने में समर्थ होंगे जिसमें कि हर देशवासी के मन में भी त्याग करने की भावना आयेगी और वह राष्ट्र के हितचिन्तन में लगेगा और उसके अनुरूप आचरण करेगा। मुझे आशा है कि अगर ऐसे दस, पांच आदमी भी देश में निकल आयें तो हमारे देश की तस्वीर बदल सकती है और वह अनुकूल वातावरण उत्पन्न हो सकता है जिसको कि हम सब पैदा होते देखना चाहते हैं। लेकिन आज होता यह है कि बातें तो बहुत की जाती हैं और बाहर ही नहीं यहां लोक-सभा में भी सब ओर से अच्छी अच्छी बातें और उपदेश किये जाते हैं लेकिन खाली बातों से अब आप समझ लीजिये कि हमारा कल्याण होने वाला नहीं है और नहीं इससे जनता के मन में हम विश्वास पदा कर सकेंगे। लोक-सभा में मुझे यह कहने के लिये क्षमा किया जाय कि माननीय सदस्य केवल अपना भाषण देकर ही संतुष्ट हो जाते हैं और यदि कहीं अगले दिन अख़बार में उनका भाषण उनके फोटो सहित छप गया तब तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है और वे ऐसा समझते हैं कि मानों उनके पुरखे तर गये ।

अब जहां तक कि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का सम्बन्ध है यह हमारा दुर्भाग्य है कि रशियन और अमरीकन दोनों हमें ग्रसे हुये हैं और पकड़े हुये हैं दोनों हमको अपने गुट्टों में सम्मिलित देखना चाहते हैं अमरीका वाले पाकिस्तान को भारी मात्रा में शस्त्रार्थ आदि से मदद दे रहे हैं और जब यहां कुछ लोग यह पूछते हैं कि क्यों साहब यह डिफ़ेंस पर ३०० करोड़ रुपये क्यों खर्च किये जा रहे हैं तो मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। आज अमरीका पाकिस्तान को बहुत अधिक सनिक सामग्री आदि की सहायता कर रहा है और अब तो वहां ऐटम बम और हाइड्रोजन बन भी बनाने के लिये भूमि निश्चित कर ली गई है और बनना आरम्भ हो गया है तो हमें भी चेतना होगा और अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना होगा और मज़बूत करना होगा और यह देखना होगा कि कहीं हम गफ़लत में मारे न जांय। मैं पूछना चाहता हूं कि अमरीका जो कि अपने को प्रजातंत्री होने का दावा करता है जब पाकिस्तान में लोकतंत्र खत्म हुआ और तानाशाही स्थापित हुई तो उसने क्यों नहीं उसमें दख़ल दी और वहां पर दुबारा प्रजातांत्रिक शासनप्रणाली क्यों नहीं क़ायम की ? हमारे उन विदेशी मित्रों

को अर्थात् अमरीका, इंग्लैंड और फ्रांस को यह समझना चाहिये कि आखिर हमने अपने संविधान को उनके संविधानों के आधार पर तैयार किया है क्योंकि इससे पहले हमारे यहां पर प्रजातंत्र नहीं था। मैं इस लोक-सभा में यह घोषणा करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि यहां इस देश में जो अमरीका आदि देशों के राजदूत रहते हैं वे मेरी इस आवाज को कान धर कर सुनें और अपनी अपनी सरकारों तक पहुंचा दें कि उन्होंने पाकिस्तान के बारे में जो रुख अपनाया और वहां पर प्रजातंत्र की हत्या और तानाशाही को स्वीकार किया, यह प्रजातंत्री सिद्धान्तों में विश्वास करने वालों के लिये उचित नहीं था। उन्हें यह समझ लेना चाहिये कि अगर कहीं पर बर्मा, पाकिस्तान या अन्य मित्रराष्ट्र में प्रजातंत्र की हत्या होती है और तानाशाही स्थापित होती है तो हमारे सब के लिये यह कलंक की बात है। खाली रूस और चीन को साम्राज्यवादी और तानाशाही देश घोषित करके ही वे अपने को सच्चा प्रजातंत्री सिद्ध नहीं कर सकते।

बस मैं और अधिक न कहूंगा क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय बार बार घंटी बजाते जा रहे हैं और मेरी अभी और इच्छा के रहते हुये भी मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा।

आज देश में उत्पादन बढ़ाने की बात की जाती है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश में उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है जब कि हमारे देशवासियों में यह मनोवृत्ति काम कर रही हो कि कम से कम काम और ज्यादा से ज्यादा दाम। ज़ाहिर है कि जब हमारा उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो हमारा एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ पायेगा। हमारी सरकार को और तो कोई चीज बाहर एक्सचेंज के लिये भेजने के लिये मिल नहीं रही है अलबत्ता वह गायों के मांस और हाड़ का दूसरे देशों से व्यापार कर रही है और उनको बाहर भेजती है। अब इसी सदन् में आंकड़ों द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि ट्रैक्टर्स की अपेक्षा बैलों से अधिक खेती होती है और उत्पादन अधिक बढ़ता है तो फिर हमारी सरकार बैलों, कुओं, नहर और गायों की ओर क्यों नहीं ध्यान देती। इस देश में घी और दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिये यह बड़ी जरूरी बात है कि गोवंश की रक्षा की जाय। जब भी गाय के वध पर प्रतिबन्ध की आवाज हमारे द्वारा उठाई जाती है तो सरकार की ओर से गोलमटूल जवाब दे दिया जाता है और यह भी कहा जाता है कि उससे मुसलमानों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचेगी। लेकिन मेरा कहना है कि अगर वे ऐसा समझते हों कि मुसलमानों के कारण इस देश में गायें कटती हों तो यह बात सही नहीं है। कोई भी मुसलमान यह नहीं कहेगा कि नहीं हमारा धर्म इसी में है कि इस देश में गायें काटी जायें। हमारे स्वर्गीय किदवाई साहब ने तो कहा भी था कि इस देश में गोहत्या बन्द की जानी चाहिये और मेरा कहना है कि गोहत्या बन्द करने के विरुद्ध यह दलील देना कि इससे मुसलमानों की भावना को ठेस पहुंचेगी और हिन्दु मुसलमानों में लड़ाई झगड़े की नौबत आ जायेगी, सही नहीं है और यह उसी विदेशी शासक की मनोवृत्ति का परिचायक है जिसका कि स्वार्थ इसी में था कि हिन्दू मुसलमान कभी एक न हो सकें।

आज हमारे देश में पाकिस्तान से बराबर जासूस चले आ रहे हैं जो कि हिन्दुस्तान के मुसलमानों के दिमागों में जहर पैदा कर रहे हैं और यह बड़े खेद का विषय है कि सरकार की तरफ से उसकी कोई चैकिंग न हो और रोकथाम न हो।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बिलकुल मेरी घंटियों की पर्वाह नहीं कर रहे हैं। उन्हें अब अपना स्थान ग्रहण करना चाहिये।

पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश" : मेरी यह प्रार्थना है कि शासन को सारी स्थिति पर बैठ कर गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिये और समयानुकूल कार्य पद्धति अपनानी चाहिये। देश में पवित्रता, भाई चारे और भ्रातृत्व के वायुमंडल का निर्माण हो। जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं उनका सहयोग

[पं० ब्रज नारायण "ब्रजेश"]

लेने के लिये केवल शब्दों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिये बल्कि उनका सक्रिय सहयोग हासिल करने के लिये शासन को जरूरी कदम उठाने चाहियें। अब मैं अपनी बात बताऊं कि मुझे तो किसी कमेटी में बुलाया नहीं गया। अब इसके लिये यह कहा जायेगा कि आपका ग्रुप बहुत छोटा है तो उसके लिये मेरा कहना यह है कि ग्रुप छोटा हुआ तो क्या हुआ, मेरे वजन को तो देखा जाय। कहने का तात्पर्य यह है कि सक्रिय सहयोग सभी राजनैतिक पार्टियों का हासिल करने की चेष्टा करनी चाहिये और यह सहयोग की आवाज केवल शाब्दिक दिखावे मात्र के लिये नहीं होनी चाहिये।

मुझे आशा है कि मैंने जो कुछ निवेदन किया है सरकार उस पर ध्यान देगी और राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में जो यह बतलाया है कि फलां फलां कार्य हो रहे हैं और योजनाओं पर अमल हो रहा है तो उसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं और जो कार्य अभी नहीं हो रहे हैं अथवा करने शेष हैं उनकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाते हुये और उपाध्यक्ष महोदय आपका धन्यवाद करते हुये कि आपने मुझे इतना समय बोलने को दिया, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री श० च० गोडसोरा (सिंहभूम, रक्षित, अनुसूचित आदिम जातियां) : उपाध्य महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बहस एक ऐसा मौका होता है जब हम देश के पिछले वर्ष के कामों को देखते हैं और अगले वर्ष के लिये नये-नये तरीकों पर सोच विचार करते हैं।

राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पिछले वर्ष के कामों के लिहाज से ठीक ही है। मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस अभिभाषण में एक ऐसी आबादी का जिक्र नहीं किया गया है जिसने राष्ट्र के विकास के लिये अपना सब कुछ छोड़ दिया है।

हमारे राष्ट्र की पंच साला योजनाओं के मातहत बहुत सी सिंचाई योजनायें बनायी गयीं और उन योजनाओं को कार्य रूप में परिणत करने के लिये जब काम शुरू किया गया तो बहुत से लोगों की जमीनों को ले लिया गया। हमारे प्रांत बिहार में, कोनार, पंचेत, तिलैया और माईथान चार डैम डी०वी० सी० के अन्तर्गत बनाये गये और इन डैमों के बनने के कारण हजारों परिवार विस्थापित हो गये। कुछ को कम्पेन्सेशन मिला पर कुछ को तो मिला ही नहीं और वे वहां से भाग कर खदानों में नौकरी करने चले गये जो कि अस्थायी थी। और इस अस्थायी नौकरी करते हुये उनको जो एडवांस मिला था वह उन्होंने अपने जीवन निर्वाह पर खर्च कर दिया। उनकी यह मांग थी कि उन्हें कहीं भी जमीन के बदले जमीन मिलनी चाहिये। आज बिहार में एक जमीन है कि जिसको बुल डोजर चलाकर साफ किया गया है मगर आज तक उसका सैटिलमेंट उन विस्थापितों के साथ नहीं किया गया। इसलिये वे आज भी इधर उधर भटक रहे हैं।

हमारे राष्ट्रपति जी को भिलाई और रूरकेला के कारखानों का उद्घाटन करने का सौभाग्य तो प्राप्त हुआ मगर रूरकेला के मजदूरों के लिये जहां टाउन बनाया गया हमीरपुर उसके कारण जो लोग विस्थापित हुये उनका कहीं भी जिक्र नहीं है। हमीरपुर वालों ने यह मांग की थी कि उनको कोई दूसरी जमीन दी जाये और रुपया एडवांस दिया जाये जिससे वे अपने मकान बना लें। मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, और उन्हें जबरदस्ती उनके मकानों से निकाल दिया गया और बड़े अफसोस की बात है कि उनके मकानों को बुल डोजर चलाकर तोड़ दिया गया। उनके संबंध में हमने

जब जब भी इस सदन में सवाल पूछा तो यही जवाब दिया गया कि विस्थापित लोगों को फिर से बसान का काम प्रांतीय सरकार का है।

[श्री मोहम्मद इमाम पीठासीन हुई]

मगर ताज्जुब तो यह है कि जब इतना बड़ा कारखाना राष्ट्र के गौरव के लिये बना तो केन्द्रीय सरकार ने विस्थापित लोगों को बसाने के लिये क्यों नहीं ज्यादा जोर दिया। केन्द्रीय सरकार ने कभी उड़ीसा की सरकार पर यह दबाव नहीं डाला कि उन्हें जल्द से जल्द बसाया जाये।

अब मैं सिंचाई योजनाओं के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। मैं ऐसे इलाके से आता हूं जहां पर कि मेजर सिंचाई योजना नहीं चलायी जा सकतीं। लेकिन वहां पर छोटी स्कीमों पर सरकार रुपया खर्च कर सकती थी। इन सिंचाई योजनाओं पर हमारी सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च किया मगर हमारे इलाके में कोई फल नहीं निकला। मैं दक्षिण बिहार सिंहभूम से आता हूं। वहां पर सरकार ने छोटी सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत ब्राह्मणी और कैदा पर लगभग सात लाख रुपया खर्च किया, और अनुमान किया गया था कि इससे एक हजार एकड़ जमीन सींची जायेगी। लेकिन जब भी सिंचाई की जरूरत हुई तो किसानों ने पाया कि दोनों डाम सूखे हैं। तो सरकार पर लोगों का विश्वास कैसे रह कि पंचवर्षीय योजनाओं से देश की खेती की पैदावार में भी वृद्धि हो सकती है। तो मेरा यह सुझाव है कि सरकार जो भी योजना बनावे और उस पर रुपया खर्च करे तो उसके लिये एक कमेटी बनावे जो कि यह जांच करे कि उस योजना पर सचमुच में रुपया खर्च हुआ है या नहीं और अगर खर्च हुआ है तो उससे कोई लाभ भी हुआ है या नहीं।

खाद्य समस्या पर यहां दो रोज से काफी बहस हो रही है और अन्न की पैदावार को बढ़ाने के लिये सरकार ने भी बहुत कोशिश की है। हमने सुना है कि इस साल अनाज की पैदावार अच्छी हुई है। मगर साथ ही साथ बहुत से सदस्यों ने बताया कि दरें ऊपर को ही चढ़ रही हैं।

अब हम खाद्य की पैदावार को बढ़ाने के लिये भूमिसुधार की बात शुरू कर रहे हैं। कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये हम लोगों को खेती करने की सलाह देने जा रहे हैं। मुझे तो सन्देह है कि जमीन का पूलिंग करने से पैदावार में वृद्धि हो सकती है। मैं तो सरकार को यह सलाह देना चाहूंगा कि आज भी हमारे देश में करीब ९ करोड़ एकड़ जमीन परती पड़ी हुई है। उसे लेकर तो पहले सरकार आबाद करे और भूमि हीन किसानों को वह जमीन दे। इसी तरह से हमारे जिले में बहुत सी जमीन प्रोटेकटेड फारेस्ट में है जिसमें कि कोई न अच्छी लकड़ी है और न उस पर घना जंगल है। लेकिन फारेस्ट विभाग ने उसको अपने अधीन कर रखा है। अगर सरकार इस जमीन को रिक्लेम करे और लोगों को दे-दे तो इससे बहुत पैदावार बढ़ सकती है और जो जमीन बेकार पड़ी हुई है वह उपजाऊ हो जायेगी।

यहां पर बहुत से सदस्यों ने कोआपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा फार्मिंग की बात की कही है। इस बारे में मैं एक सीधी सी बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि कोआपरेटिव फार्मिंग में लोग उस तरह काम नहीं करेंगे जिस तरह अपनी जमीन पर करते हैं। लोग देखेंगे कि वह करे तो मैं भी करूं। जब ऐसी बातें होगी तो शायद ही पैदावार बढ़े। अगर कोआपरेटिव सोसाइटीज चलने लगेंगी तो खेत पर मजदूर काम करेंगे। जमीन के मालिक कहेंगे कि मजदूर काम करते हैं तो हम क्यों काम करें, और मजदूर को तो अपनी तनख्वाह की फिक्र होती है उसे काम की बहुत फिक्र नहीं हो सकती तो इस तरह जब काम होगा तो मुझे सन्देह है कि कोआपरेटिव फार्मिंग से पैदावार बढ़ेगी।

और यह कोआपरेटिव फार्मिंग, जैसा कि कुछ मेम्बरों ने कहा है, नया नहीं है। मेरे खयाल से इस बारे में पहले अनुभव किया जा चुका है। पहली योजना के समय एक टीम बनी थी जिनको इस कोआपरेटिव फार्मिंग के सम्बन्ध में अध्ययन करने का मौका दिया गया था।

उन्होंने कोआप्रेटिव सोसाइटिज़ के बारे में जिसका सैकिंड फाइव इअर प्लान में जिक्र है। पृष्ठ २०२ पर लिखा है।

"कुछ ही समितियां सफल हो पाई है। उनके मार्ग में कठिनाई आई और उन्हें अपेक्षित सुविधायें उपलब्ध न हो सकी उनका उत्साह ठंडा पड़ गया और वे असफल हो कर रह गयी इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि खेती कोआप्रेटिव आधार पर न करके खेती करने के दूसरे साधन जैसे नए नए औजार, अच्छा बीज तथा खाद आदि का इंतिज़ाम वगैरह ही कोओप्रेटिव बेसिस पर करें और ये ऐसी चीजें हैं जिनका प्रबन्ध गरीब किसान अकेले में नहीं कर सकते हैं।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर हमारी सरकार यह चाहती है कि देश वासियों का जीवन स्तर ऊंचा उठे और उसको ऊंचा उठाने के लिये अगर वह सीलिंग ज़मीन पर लगाना चाहती है तो मैं इसका विरोध नहीं करता हूं। मैं कहता हूं कि सीलिंग हो लेकिन सीलिंग इस तरह न हो जिस से कि कोई व्यक्ति, कोई परिवार अपने रहन सहन का अच्छा इंतिजाम अपनी आमदनी से न कर सके और न अपने बाल बच्चों को ही शिक्षा दे सके। साथ हीं इस बात का भी ध्यान रखा जाना जरूरी है कि कहीं ऐसा न हो कि आज जो गरीब आदमी है वह आज से भी ज्यादा गरीब हो जाय। इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि आप इतनी कम सीलिंग न रखें जिस से कि उक्त परिणाम सामने आयें।

†श्री जं० ब० सिं० बिष्ट (अल्मोड़ा) : मैं तिब्बती सीमा पर रहने वाली जनता की समस्याओं के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। तिब्बत पर चीन द्वारा अधिकार कर लेने का उनके जीवन पर भारी प्रभाव पड़ा है। वे तिब्बत के साथ व्यापार नहीं कर सकते। १९५४ के करार के बावजूद, बोरैक्स, ऊन और नमक तिब्बत से भारत नहीं भेजा जा सकता। इसके प्रत्युत्तर में, उत्तर प्रदेश सरकार ने पश्चिमी तिब्बत को भेजे जाने वाले खाद्यान्नों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। इस प्रकार तिब्बती सीमा पर रहने वाली जनता के पास कोई जीविका का साधन नहीं रह गया है। दूसरी ओर वे देखते हैं कि तिब्बत में बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है। इससे उनमें कम्युनिजम के प्रति आर्कषक बढ़ रहा है।

तिब्बत में बड़े पैमाने पर सड़कें बन रही हैं, जबकि हमारे सीमावर्ती प्रदेश में सड़कों का अभाव है। यदि यही दशा रही तो हमारे प्रदेश की जनता भी कम्युनिज्म के रंग में रंग जायेगी। राज्य सरकारों के पास उस प्रदेश को विकसित करने लायक कोष नहीं है। यह कार्य भारत सरकार को ही करना पड़ेगा।

मैं इसी समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दिसम्बर के आखिरी हफ्ते में कुछ चीनी हमारे क्षेत्र में गारबियांग तक आये थे। वे उस प्रदेश की प्राकृतिक बनावट देखने और उसका अन्दाजा लगाने आये थे। सरकार को इसकी जांच करानी चाहिये।

मुझे शिकायत यह है कि सीमा प्रदेश तक कभी भी बड़े-बड़े अधिकारी नहीं जाते। नक्शों मे स्थिति का ठीक पता ही नहीं चलता। मेरा सुझाव है कि पहले की तरह अब फिर यह प्रथा बना दी जानी चाहिए कि नियुक्ति के दो वर्षों के भीतर प्रत्येक उपआयुक्त को स्वयं उन प्रदेशों में जाकर अपनी आंखों से सब कुछ देखना चाहिए। देश स्वतंत्र होने के बाद से अब तक शायद कोई भी उपआयुक्त वहां नहीं गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमें अपनी चौकी धर्चुला की बजाये गारबियांग में रखनी चाहिये। आखिर वहां भी लोग रहते हैं। हां, उनको पूरी सुविधायें जुटाई जानी चाहिये।

मैंने सुना है कि चीनी अधिकारी भारतीय प्रदेश के एक क्षेत्र को अपना बताते हैं। सरकार को इसकी असलियत का पता चलाना चाहिये। यह बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है।

मेरा सुझाव है कि भारत सरकार को उत्तर-पूर्व में लद्दाख से लेकर पूर्व में उत्तरी आसाम तक के क्षेत्र में विकास के लिये एक विशेष विभाग नियुक्त करना चाहिये। उसके लिये इनमें से कुछ अनुसूचित प्रदेशों के केन्द्रीय सरकार की ओर से अनुदान मंजूर किये जाते हैं। लेकिन जो प्रदेश उत्तर प्रदेश में हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इन क्षेत्रों का विकास अत्यावश्यक है।

खाद्य मंत्रालय की ओर से एक समिति स्थापित की गई थी जिसका काम था पर्वतीय और दुर्गम प्रदेशों में खाद्यान्न पहुंचाने की समस्या पर विचार करना। इस समिति ने इन क्षेत्रों के लिये कुछ भी नहीं किया है। इन क्षेत्रों में स्थानीय जनता की आवश्यकतायें पूरी करने लायक तो उपज हो ही नहीं सकती। तब सरकार उद्यानिकी और अन्य उद्योगों के विकास के लिये खर्च क्यों नहीं करती?

हमें उद्यानिकी के विकास की ओर गम्भीरता से ध्यान देना पड़ेगा।

हाल के भू-तत्वीय सर्वेक्षणों से पता चला है कि इन क्षेत्रों में जस्ता, तांबा और डोलोमाइट खनिज पदार्थ काफी मात्रा में हैं। लेकिन संचारों के अभाव में, इनका कोई व्यापारिक उपयोग नहीं किया जा सकता। इसलिये वहां संचार के साधनों और रेलों का विस्तार करना अत्यावश्यक है।

कुछ दिन पहले कहा गया था कि दिल्ली से काठ गोदाम तक एक बड़ी रेलवे लाइन डाली जायेगी। लेकिन अब उस परियोजना का कहीं कोई नाम ही सुनाई नहीं देता। इससे तो यही पता चलता है कि सरकार इस प्रदेश की ओर अधिक ध्यान नहीं दे रही है। मेरा अनुरोध है कि सरकार को इस परियोजना के सम्बन्ध में गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिए। आकाशवाणी को वहां एक छोटा सा प्रसारण केन्द्र भी स्थापित करना चाहिये और वहां की स्थानीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करने चाहियें।

†श्री तेवर (श्रीविल्लीपुत्तूर) : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुये मैं विदेश नीति और राष्ट्रमंडलीय सम्बन्धों पर कुछ कहना चाहता हूं। हमने संसार भर में इस बात का प्रचार किया है कि हमने अहिंसा से अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया है। राजनीति में यह बात अव्यवहारिक प्रतीत होती है। परन्तु यदि यह मान भी लिया जाये कि यह बात ठीक है तो अब तो यह बात सम्भव नहीं। वर्तमान समय में जब हम अपना करोड़ों रुपयों का बजट सेना के लिए सुरक्षित कर रहे हैं, तो भी अहिंसा की बातें करते जाना समझ में आने वाली बात नहीं। गोआ और पाकिस्तान के मामले में तो यह बात कही जाती है, परन्तु नागाओं को दबाने के लिए, राजनीतिक विरोधी दलों को, मज़दूरों और किसानों को दबाने के लिए सेना भेजी जाती है। तो यह सब उपदेश और शिष्टाचार व्यर्थ ही है।

हम शांति के स्वप्न लेते रहे और इस विचार में रहे कि संसार में लोक-तंत्र की स्थापना हो जाने से कोई किसी पर हमला नहीं करेगा, परन्तु क्रियात्मक क्षेत्र में हम इसके विपरीत

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तलर]

नजारा देख रहे हैं। स्वेज नहर और लेबनान के मामलों में हमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। हमारा तो विश्वास था कि अहिंसा के मार्ग से विश्व में सर्वत्र लोकतंत्र स्थापित होगा, परन्तु हमारे आस पास पाकिस्तान तथा अन्य देशों में सैनिक तानाशाहियों की स्थापना हो रही है। यदि हमारे पड़ौस के राष्ट्र मंडलीय देश में सैनिक ताना शाही चलती रही और पश्चिमी राष्ट्र इसे चुपचाप देखते रहे तो, क्या यह हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं बन जायेगा? क्या हमारा लोकतंत्र राक्षस तंत्र बन कर नहीं रह जायेगा? अफगान पर्वतों के पास पाकिस्तान अपने अड्डे बना रहा है।

आश्चर्य की बात है कि ११ वर्ष व्यतीत होने पर भी हम अपनी सीमा निर्धारित कर सकें। संविधान के अनुच्छेद ३ के विपरीत हम अपने क्षेत्र पाकिस्तान को देने को तैयार हो गये हैं। जब भी कुछ करने की इच्छा होती है तो विधान बना लिया जाता है। और यह सब इस लिए कि यहां उनका बहुमत है। बड़ों का आदर करने में हमें सिद्धान्तों का खून तो नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान से लगती अपनी सीमा पर हो रही गोलाबारी पर हमें पूरी सावधानी से ध्यान देना चाहिए। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि १९५९ का वर्ष १९३९ की भांति, जब कि दूसरा विश्व युद्ध आरम्भ हुआ था, बड़ा महत्वपूर्ण होगा। हम पश्चिमी राष्ट्रों के हाथों में अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। साथ ही हम यह भी कहते हैं कि हम तो तटस्थ और अहिंसा की नीति को अपनायें है, हम उनके साथ नहीं है। परन्तु यदि हम सचमुच अहिंसा की नीति पर चलते हैं तो सेना के लिए करोड़ों रुपयों के बजट की व्यवस्था क्यों की जाती है? हमें अपनी कूटनीति भी समझ में नहीं आई। ईमानदारी और शिष्टता के बिना कूटनीति भी केवल बनावटी चीज़ ही है। हम समझ रहे हैं कि हम शांति स्थापित कर रहे हैं परन्तु अवस्था यह है कि शांति के कई टुकड़े हो रहे हैं। हम दूसरे देशो को तो सह अस्तित्व का पाठ पढ़ाते हैं परन्तु अपने देश के राजनीतिक विरोधी दलों के लिए इस सिद्धान्त को निर्रथक समझते हैं।

राजनीतिक मतभेद होने पर भी प्रत्येक व्यक्ति का राष्ट्र के प्रति कोई उत्तरदायित्व है। इस सदन में महान त्याग करने वाले व्यक्ति आते रहे हैं और ऊंचे सिद्धान्तों वाले नये सदस्य भी आ रहे हैं। हमारी संस्कृति और परम्परायें महान है, परन्तु हम विचित्र बातें करके और विचित्र आरोप लगा कर विरोधी विचारधारा के लोगों को दबा देना चाहते हैं।

पाकिस्तान की गोलाबारी के सम्बन्ध में दिये गये स्थगन प्रस्ताव पर प्रधान मंत्री प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके। जो कुछ उन्होंने कहा है वह बड़ा दुःख पूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमारे जवान पाकिस्तानी हमले का उत्तर देंगे, परन्तु प्रश्न यह है कि कैसे देंगे। जवान तो हमारे ठीक है उनकी संख्या भी काफी है, परन्तु पाकिस्तान के पास जो नवीनतम अस्त्र हैं वे आप कहां से ले आयेंगे। आज जो काश्मीर पर पाकिस्तान कब्जा जमाये है वह अपनी शक्ति से नहीं हमारी मूर्खता के कारण है। हम तो नम्बूद्रपाद अथवा मथाई कांड़ों में ही उलझे रहते हैं और इस प्रकार के विवादों का भी हम समूचित हल नहीं कर पाते। हमारी सरकार खाद्य स्थिति का भी कोई हल नहीं निकाल सकी। हमें आर्थिक स्थिति की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और सभी पक्षों को मिल जुल कर यह समस्या हल करनी चाहिए ताकि देश के समक्ष कोई महान संकट स्थिति उपस्थित न हो सके।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार १८ फरवरी, १९५९/२९ माघ, १८८० (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

मंगलवार, १७ फरवरी, १९५९

२८ माघ, १८८० (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		६९३—७१९
तारांकित प्रश्न संख्या		
३११	केन्द्रीय वेतन आयोग का प्रतिवेदन	६९३—९७
३१२	भिलाई इस्पात संयंत्र के लिये जहाज .	६९८—९९
३१४	जीवन बीमा निगम . . .	७००—०२
३१५	मध्य क्षेत्रीय परिषद् .	७०२
३१६	इण्डिया आफिस लायब्रेरी .	७०२—०४
३१८	ऋणों की गारंटी . .	७०४—०६
३२१	दक्षिण भारत में विश्वविद्यालय	७०६—०७
३२२	न्यायिक प्रशासन के सुधार के सम्बन्ध में विधि आयोग की रिपोर्ट	७०७—०९
३२३	१९६१ की जनगणना . .	७०९—११
३२४	उमरेड़ तहसील की खनिज सम्पत्ति	७१२
३२६	कलकत्ता में स्पोर्टस स्टेडियम	७१२—१३
३२७	नेवेली लिग्नाइट परियोजना	७१४—१६
३२८	विदेश यात्रा के लिये विदेशी मुद्रा	७१६—१९
प्रश्नों के लिखित उत्तर		७१९—५७
तारांकित प्रश्न संख्या		
३१३	छात्राओं को छात्रवृत्तियां .	७१९—२०
३१७	भारत में चाय बागानों की बिक्री	७२०
३१९	अन्दमान को परिवहन की व्यवस्था	७२०
३२०	मल गैस	७२०—२१
३२५	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	७२१
३२९	उच्चतर प्रौद्योगिकीय संस्था, मद्रास .	७२१—२२

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
३३०	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम . . .	७२२
३३१	राउरकेला के लिये आस्थगित भुगतान . . .	७२२
३३२	वाणिज्यिक शिक्षा . .	७२२–२३
३३३	इस्पात का आयात	७२३
३३४	कोयला खानों की कर्म समितियां .	७२३
३३५	अपराध निवारण सम्बन्धी केन्द्रीय ब्यूरो . .	७२४
३३६	मैग्नेसाइट	७२४
३३७	श्री शान्ति प्रसाद जैन के लिए विदेशी मुद्रा . .	७२४
३३८	फ्रेंच इंस्टीट्यूट आफ पैट्रोलियम द्वारा छात्रवृत्तियां . .	७२५
३३९	ब्रीच कैण्डी, बम्बई . .	७२५
३४०	उत्तर क्षेत्रीय परिषद . . .	७२६
३४१	भारतीय विमान बल . . .	७२६
३४३	अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् . .	७२६–२७
३४४	त्रिपुरा के राजनैतिक पीड़ित	७२७
३४५	दिल्ली में लकड़ी के कोयले का मूल्य . .	७२७–२८
३४६	लोहा और इस्पात समानीकरण निधि	७२८
३४७	सालरजंग संग्राहलय . . .	७२८–२९
३४८	केरल में इस्पात पुनर्बेलन मिलें . .	७२९
३४९	निर्वाचन आयोग का प्रतिवेदन . . .	७२९
३५०	केन्द्रीय मद्य निषेध समिति . .	७२९–३०
३५१	एशिया के पुरातत्व वेत्ताओं का सम्मेलन . . .	७३०
३५२	केरल में लिग्नाइट .	७३०
३५३	"काम चलाऊ" गोली	७३१
३५४	बौद्ध गया में खुदाई	७३१
३५५	विलियर्स कोयला खान क्षेत्र	७३१
३५६	ज्वालामुखी में तेल	७३२
३५७	उड़ीसा नें रत्नगिरी में खुदाई-कार्य . . .	७३३
३५८	त्रिपुरा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को कानूनी सहायता	७३३
३६०	विश्वविद्यालय शिक्षा . .	७३३–३४
३६१	दिल्ली के स्कूलों में अध्यापकों का वेतन	७३४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित

प्रश्न संख्या

३६२ यूथ होस्टल ७३४

३६३ कुतुबमीनार के निकट सिक्कों का पाया जाना ७३५

३६४ औषधियों के नमूनों पर सीमा शुल्क ७३५

अतारांकित

प्रश्न संख्यां

३७० संघ लोक सेवा आयोग ७३५

३७१ दुर्गापुर का इस्पात कारखाना ७३६

३७२ पंजाब को कोयले का आवंटन ७३६

३७३ भारतीय प्रशासन सेवा स्कूल ७३६

३७४ उत्पादन-शुल्क ७३७

३७५ अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ऋण ७३७

३७६ म्यूटिनी मेमोरियल रोड (नई दिल्ली) ७३७

३७७ युद्ध सामग्री कारखानों के श्रमिक ७३७

३७८ युद्ध सामग्री कारखानों में किया गया काम ७३८

३८० राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान, लखनऊ ७३८

३८१ बिना पारपत्र के लोगों की गिरफ्तारी ७३८

३८२ बम्बई में शिक्षा विकास कार्यक्रम ७३८-३९

३८३ मिनिकाय द्वीपसमूह में पीने के पानी का संभरण ७३९

३८४ भारतीय जहाजों की विदेशी मुद्रा की आय ७३९

३८५ शिक्षा मंत्रालय के अधीन समितियां तथा आयोग ७३९-४०

३८६ काश्मीर का भूतत्वीय सर्वेक्षण ७४०

३८७ प्रतिलिपि विभाग, दिल्ली ७४०

३८८ दुर्गापुर के इस्पात कारखाने के लिये भर्ती ७४१

३८९ बंगलौर में भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद का मख्यालय ७४१

३९० पवन सुरंग परियोजना ७४१-४२

३९१ अमरीका के साथ भुगतान शेष की स्थिति ७४२-४३

३९२ राष्ट्रमण्डल छात्रवृत्तियां तथा अधिछात्रवृत्तियां ७४३

३९३ बरद्वान में विश्वविद्यालय ७४३

३९४ पश्चिमी बंगाल के कालेजों के अध्यापक ७४३-४४

३९५ भारतीय आदिम जाति सेवक संघ ७४४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३९६	राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की कार्यपालिका परिषद	७४४-४५
३९७	जीवन बीमा निगम .	७४५
३९८	बालगृहों को वित्तीय सहायता . .	७४५
३९९	हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड में डायरेक्टर की नियुक्ति	७४५-४६
४००	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	७४६
४०१	भारत के संविधान का द्विभाषी संस्करण	७४६-४७
४०२	लोक सहायक सेना	७४७
४०३	तस्कर व्यापार	७४७
४०४	नौ सेना विद्रोह	७४७
४०५	कृषकों की बेदखली	७४८
४०७	खनिज सर्वेक्षण के लिये बर्मे	७४८-४९
४०८	मुरादपुर (काश्मीर) के निकट तेल सर्वेक्षण	७४९
४०९	उड़ीसा में खनिजों का उत्पादन	७४९
४१०	टिटानियम .	७५०
४११	डी० एम० कालेज, इम्फाल . .	७५०
४१२	संस्कृत के उत्कृष्ट ग्रन्थों का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद	७५०-५१
४१३	भारतीय उत्कृष्ट ग्रन्थ .	७५१
४१४	'आर्मड् फोर्सेज हैडक्वार्टर्स' में असिस्टेंट	७५१
४१५	मद्रास के सरकारी कर्मचारियों की अपील	७५२
४१६	पंजाब को इस्पात का आवंटन	७५२
४१७	बीमे के दावों का निपटारा . .	७५२
४१८	सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिये विदेशी मुद्रा	७५३
४१९	गैर-सरकारी व्यक्तियों को प्रतिरक्षा संबंधी सामान का संभरण	७५३
४२०	हिमाचल प्रदेश में शिक्षा सम्बन्धी सर्वेक्षण	७५३-५४
४२१	आर्टस तथा व्यावसायिक कालेज . . .	७५४
४२२	पब्लिक स्कूलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थी	७५४
४२३	बम्बई में ग्रामीण संस्था (रूरल इंस्टीटयूट)	७५५
४२४	भिलाई इस्पात परियोजना .	७५५
४२५	व्यावसायिक पथ-प्रदर्शन सम्बन्धी सेवा	७५५-५६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

४२६ प्रादेशिक भाषाओं में विज्ञान सम्बन्धी पुस्तकें ७५६

४२८ पंजाब में राजनीतिक पीड़ित ७५६

४३० ईसाई मिशन ७५६–५७

स्थगन प्रस्ताव ७५७–६०

अध्यक्ष महोदय ने करीमगंज के निकट भारत पाकिस्तान सीमा पर १६ फरवरी, १९५९ को पाकिस्तान सेना द्वारा गोली चलाये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव को, जिसकी सूचना सर्वश्री गणेश नारायण गोरे तथा हेम बरुआ ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी ।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र ७६१–६३

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :—

(१) दिनांक ७ फरवरी, १९५८ की व्यवस्था द्वारा संशोधित १९५५ की स्टर्लिंग पेन्शन व्यवस्था में कुछ और रूपभेद करने के लिए करारों के बारे में वित्त मंत्री और ब्रिटेन के उच्चायुक्त के बीच हुये पत्र-व्यवहार की एक प्रति ।

(२) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उपधारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(१) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम (प्राइवेट) लिमिटेड का वर्ष १९५७–५८ का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे तथा उस पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(२) सरकार द्वारा उक्त प्रतिवेदन की समीक्षा ।

(३) खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उपधारा (१) के अन्तर्गत दिनांक ७ फरवरी, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५२ की एक प्रति ।

(४) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उपधारा २ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय असैनिक सेवा भविष्य निधि नियम, १९४२ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक ७ फरवरी, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या १४० ।

(दो) भारतीय असैनिक सेवा (गैर-यूरोपीय सदस्य) भविष्य-निधि नियम, १९४३ में कुछ और संशोधन करने वाला

विषय पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

दिनांक ७ फरवरी, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या १४१।

(तीन) भारत सचिव की सेवाएं (सामान्य भविष्य निधि) नियम, १९४३ में कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक ७ फरवरी, १९५९ का जी० एस० आर० संख्या १४२।

(५) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा १८ के अन्तर्गत, अप्रैल, १९५७ से मार्च, १९५८ तक की अवधि के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(६) प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, १९५७ की धारा ४३ के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्याधिकार आदेश, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक, २० जनवरी, १९५९ का एस० ओ० संख्या १६६।

(दो) दिनांक २२ जनवरी १९५९ का एस० ओ० संख्या २२२।

(७) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ४३ की उपधारा (३) के अन्तर्गत भारत के औद्योगिक वित्त निगम के सामान्य विनियमों में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३१ जनवरी, १९५९ की अधिसूचना संख्या २/५९ की एक प्रति।

१९५८-५९ के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के बारे में विवरण . ७६३

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने आयव्ययक (सामान्य) १९५८-५९ के बारे में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण उपस्थापित किया।

१९५८-५९ के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों रेलवे के बारे में विवरण . ७६३

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) ने आयव्ययक (रेलवे) १९५८-५९ के बारे में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण उपस्थापित किया।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ७६३

सैंतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव ७६३—८१४

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर १३ फरवरी, १९५८ को प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव तथा तत्सम्बन्धी संशोधनों पर अग्रेत्तर चर्चा जारी रही। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

बुधवार, १८ फरवरी, १९५९/२९ माघ, १८८० (शक) के लिए कार्यावलि—

१९५९-६० के लिए रेलवे आयव्ययक का उपस्थापन और राष्ट्रपति के अभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव तथा तत्सम्बन्धी संशोधनों पर अग्रेत्तर चर्चा